द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३७

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१
१५ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२)	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका।	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५--सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची | पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६६

अनुदानों की मांगें ४१६६–४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ४१६६–४२१२

दैनिक संक्षेपिका ४२१२–१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . . ४२५२–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४२७८–७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०–८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में ४२८१–८२

अनुदानों की मांगें ४२८२–४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२८२–४३३४

दैनिक संक्षेपिका ४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति--

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४६७४

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४-७५

समितियों के लिये निर्वाचन ४६७५-७६

१. प्राक्कनल समिति ४६७५

२. लोक लेखा समिति ४६७५-७६

लोक लेखा समिति--

राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . . ४६७७

अनुदानों की मांगें ४६७७--४७०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६७७--८१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४६८१--४७०६

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)

विचार करने का प्रस्ताव ४७०७--१९

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . . ४७१९--२१

विचार करने का प्रस्ताव ४७१९--२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१--२६

दैनिक संक्षेपिका ४७२७--३३

अंक ४०--सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२ . . . . . ४७३५--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४७५६-५७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२ ४७५७--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . . ४७६५--९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ४७९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४७९२

कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य ४७९२-९३

जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४७९३-९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१
१५ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उन माननीय सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने आये हैं ।

†**सचिव** : श्री बलराज मधोक ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान् मुझे आप से, और आप के द्वारा सदन से, श्री बलराज मधोक का परिचय कराते हुए हर्ष हो रहा है । श्री मधोक इस सभा के लिये नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं ।

[इसके पश्चात् श्री बलराज मधोक ने हिन्दी में शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम को कोयले का सम्भरण

†*१३१६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम को कोयले का संभरण कम होने का पता है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और सामान्य संभरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

315 (Ai) LSD—1.

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) असम के उपभोक्ता सामान्यतया अपना कोयला राज्य की कोयला खानों से ही लेते हैं और उन की जरूरतें पूरी करने के लिये राज्य में कोयले का उत्पादन काफी है। आम तौर से इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि उपभोक्ताओं को कोयला कम मिलता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या असम कोयला खान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले साल दिसम्बर में माननीय मंत्री से मिला था और उसने यह शिकायत की थी कि कोयले का रेल भाड़ा सहित मूल्य कम हो जाने के कारण खानों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वर्तमान प्रश्न कम सप्लाई के बारे में है। शायद माननीय सदस्य अधिक सप्लाई के बारे में सोच रहे हैं ताकि विभिन्न कोयला खानों से कोयले की पर्याप्त निकासी नहीं है। वह एक अलग प्रश्न है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : उस प्रतिनिधि मंडल ने यह बताया था कि मूल्य कम हो जाने के कारण कुछ कोयला खानों को अपना उत्पादन कम करना पड़ा और एक या दो खानें बन्द हो गयीं हैं। कम सप्लाई भी है । क्या सरकार ने उन के मामले पर विचार किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को असम में खनन स्थिति के बारे में कुछ जानकारी और अनुभव है और इस पेचीदे सवाल के बारे में मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मुख्यत: परिवहन की समस्या है क्योंकि कई क्षेत्र रेल से जुड़े हुए नहीं हैं और असम में कोयला लाने-ले जाने की समस्या है क्यों कि कुछ कोयला ऐसे क्षेत्रों से निकाला जाता है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। इसलिये, ट्रक आदि के जरिये कोयला लाने ले जाने की कठिनाइयां कभी कभी सामने आती हैं लेकिन बातों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : असम में कोयला खानों की बु ी हालत को देखते हुए क्या सरकार राज सहायता देने की आवश्यकता पर विचार करेगी, जैसा कि उसने दूसरे मामलों में किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि सरकार ने किसी कोयला खान को कोयले की खराब किस्म के लिये राज सहायता दी हो क्योंकि मेरी राय में घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन के यलये राज सहायता देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।

†**श्री अमजद अली** : क्या असम में अच्छा कोयला प्राप्त करने की सभी संभावनाओं का पता लगा लिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि खनन के लिये जो सब कुछ किया जाना चाहिये वह असम में या देश के और किसी भाग में किया गया है क्योंकि खनन का विषय ऐसा है जिस में काफी विकास होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । यह केवल असम के सम्बन्ध में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों का राजनैतिक प्रदर्शनों में भाग लेना

+

*१३१७. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों के राजनैतिक प्रदर्शनों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : इस के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है और कब तक इस का फैसला हो जायेगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : स्थिति यह है कि पिछले साल खड़कवासला में उपकुलपति सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गयी थी । सामान्य राय यह थी कि अच्छा होता कि राजनैतिक दल आपस में कोई समझौता कर लेते और इस मामले में किसी तरह का कोई बन्धन रखते । इसलिये हम विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ कुछ अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं । मेरी राय में, कोई कानून बनाने के बजाय, यह अधिक अच्छा होता कि राजनैतिक दल खुद इस मामले में कुछ बन्धन रखते ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार की निगाह में यह बात आई है कि जब कोई मंत्री यह बड़े नेता जाते हैं, तो स्कूलों और कालेजों को बन्द कर के लड़कों और लड़कियों को उन का स्वागत करने के लिये ले जाया जाता है ? अगर ऐसा है, तो उस बारे में क्या सरकार कोई ऐसा आदेश देगी कि भविष्य में ऐसा न किया जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : ऐसा होता है और यह गलत है कि स्कूल वगैरह बन्द किये जायें मिनिस्टरों के आने पर ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम नहीं है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अभी तक किन राजनैतिक दलों के साथ माननीय मंत्री ने अनौपचारिक परामर्श किया है और उस का क्या नतीजा निकला ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब तक इस सम्बन्ध में हम कोई समझौता न कर लें तब तक मैं कोई जानकारी नहीं दे सकूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि किस प्रकार अवसर दिये जायें । क्या यह सामान्य इच्छा है कि हमारे सभी बच्चे राजनीतिज्ञ हो जायें ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : बिलकुल नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** : हम इसके विरुद्ध हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : छात्रों द्वारा राजनैतिक प्रदर्शनों के लिये सरकार जिम्मेदार है ?

†**श्री वाजपेयी** : राजनैतिक प्रदर्शनों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है ? यदि हम आक्रमण के विरुद्ध चीनी दूतावास के सामने कोई प्रदर्शन करें तो क्या वह राजनैतिक प्रदर्शन होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि प्रत्येक संसद् सदस्य को कई बच्चे होते ।

†**श्री वाजपेयी** : मै अविवाहित हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो हर आदमी खुद ही सोच ले कि स्कूल के दिनों में उसके बच्चे किस तरह के हों । यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर आग्रह नहीं करना चाहिये । हम कोई समझौता कर लें ।

†**श्री त्यागी** : संसद् सदस्य के बच्चे राजनैतिक वातावरण में पैदा होते हैं । माननीय मंत्री के जवाब से यह अन्दाजा हुआ कि इस बात पर गौर हो सकता है कि अगर पार्टीज इस बारे में तैयार न हों, तो किसी क़ानून के जरिये से पोलिटिकल मामलों में उन का हिस्सा लेना रोका जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की स्टडी की गई है कि किसी दूसरे मुल्क में कानून के जरिये से विद्यार्थियों को पालिटिक्स में हिस्सा लेने से रोका गया है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैने स्वयं निवेदन किया है कि सरकार की इस बारे में कानून बनाने की मंशा नहीं है । मै चाहता हूं कि राजनैतिक दलों के नेता स्वयं इस मामले में महसूस करें कि छोटे बच्चों को प्रदर्शनों वगैरह में लाना देश के लिये अच्छा नहीं है । यदि लोग स्वयं इस बात पर विचार कर के इस विषय में आत्म-सयंम रखें, तो समस्या आसानी से हल हो सकती है । इस में दिक्कत की बात नहीं है । सभी लोग---चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के हों---बच्चों की शिक्षा और देश के भविष्य के बारे में चिन्तित हैं ।

श्री त्यागी: क्या गवर्नमेंट ने इस बारे में पोलिटिकल पार्टीज की कोई कनवेन्शन बुलाने की कोशिश की है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मै ने निवेदन किया है कि इस बारे में कुछ मशविरा लोगों से हो रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटेन के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में राजनैतिक चर्चाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और संपूर्ण देश तथा कभी कभी दुनियां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्नों पर . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आहाते के अन्दर शैक्षणिक चर्चा की बात नहीं है, वह तो प्रदर्शनों में भाग लेने की बात है ।

†**श्री तंगामणी** : अणु बम पर निषेध लगाने के लिए एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें छात्रों ने भाग लिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारा संबंध प्रदर्शनों से है, न कि चर्चा और वाद विवाद से हैं ।

†**श्री तंगामणि :** वह प्रदर्शन अणु बम पर रोक लगाने के लिए था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं जानता हूं कि हर स्कूल या कालेज में वाद विवाद सभाएं होती हैं । वहां संसद भी होती है । एक जगह मैं गया था वहां वे उसे "मॉक पार्लियामेंट" कहते थे । मैं ने कहा यह बड़ा अन्याय हो रहा है । आप उसे स्कूल पार्लियामेंट कह सकते हैं, न कि मॉक पार्लियामेंट क्योंकि पार्लियामेन्ट कभी उपहास का विषय नहीं हो सकती । वहां बच्चे सभी पहलुओं को सुन सकते हैं लेकिन उन्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता नहीं । यह मेरी व्यक्तिगत राय है । अब सवाल यह है कि उन्हें प्रदर्शनों में भाग लेने दिया जाये या नहीं । यहां यह सवाल नहीं है कि कालेज या विश्वविद्यालय के अन्दर उन्हें चर्चा करनी चाहिये या नहीं । इसलिए माननीय सदस्य इसी प्रश्न तक ही सीमित रहें कि उन्हें सक्रिय राजनीति में तथा प्रदर्शनों में भाग लेना चाहिये अथवा नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** ब्रिटेन में क्या प्रथा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ब्रिटेन में के मंत्री नहीं हैं । मैं सब दुनिया के बारे में प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री तंगामणि :** यह छात्रों के संबंध में है और मैं विश्वविद्यालयों के छात्रों के बारे में कह रहा हूं । पिछला सवाल यह था कि क्या और किसी विश्वविद्यालय में इस तरह की चीज पर रोक लगायी गयी है । मैं ने निश्चित सवाल पूछा था क्योंकि ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में इसके लिए अनुमति दी गयी थी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं नहीं समझ पाता कि माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हैं । मैं ने बताया है कि इस कार्य पर रोक लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है । मैं हमेशा ही राजनैतिक दलों से अपील करता रहा कि वे इस विषय में कोई समझौता कर लें ताकि १४ साल से नीचे के बच्चे जलूस आदि के लिए भरती न किये जा सकें । यह देश के भविष्य के लिए हानिकारक होगा और सभी राजनैतिक दल, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट और जनसंघ यह महसूस करें कि इस प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग करना देश के हित में न होगा ।

†**श्री वाजपेयी :** इस बात को देखते हुए कि कई छात्र संगठनों का राजनैतिक दलों से कोई संबंध नहीं है, क्या माननीय मंत्री उन छात्र नेताओं को परामर्श के लिए बुलाने की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय के प्रति सम्पूर्ण सम्मान के साथ मेरा मतभेद है कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने व्यक्तिगत राय जाहिर की थी । उससे सहमत न होने का माननीय सदस्यों को अधिकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : आप व्यक्तिगत राय समझते हैं लेकिन यह संसद है । गत वर्ष संसद सदस्य राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध कालेज में गये और उन्होंने छात्रों के साथ क्रिकेट खेला । एक शाम हम लोगों ने छात्रों के साथ प्रश्न काल में और बाद में मॉक पार्लियामेंट में भाग लिया । मॉक पार्लियामेंट का अर्थ संसद के उपहास से नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मॉक पार्लियामेंट की मेरी आपत्ति पर आपत्ति कर रहे हैं । मेरा यही कहना था कि उसे स्कूल पार्लियामेंट या कालेज पार्लियामेंट कहा जाये । मैं यह धारणा उत्पन्न करना चाहता था कि पार्लियामेंट का अर्थ केवल पार्लियामेंट से है, और किसी सभा से नहीं । "मॉक पार्लियामेंट" कोई न हो और न ही उनकी कार्यवाहियों का समाचार दिया जाये । संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही मैं ने यह सुझाव दिया था । लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है । यदि माननीय सदस्य उसे "मॉक पार्लियामेंट" ही कहना चाहें तो वे कह सकते हैं लेकिन वे इसे "मॉक पार्लियामेंट" न कहें ।

राजा महेन्द्र प्रताप : इतनी दफा मैं उठा बैठा, उठा बैठा कि मेरी कसरत हो गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अगला अवसर मिलेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरा यह मतलब नहीं था । आप मेरे कथन का बहुत अधिक मतलब निकाल रहे हैं । मॉक पार्लियामेंट का अर्थ संसद का उपहास नहीं है । छात्रों की "मॉक पार्लियामेंट" और "मॉक ट्रायल" होती हैं ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरा कहना यह है कि आप यह कोशिश कीजिये कि वहां तालीम इस तरह की हो कि लड़के इस बुरी तरफ जायें ही नहीं । इसमें किसी पार्टी का दखल नहीं है, इसमें तो पढ़ाई के अच्छे होने का सवाल है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह आपकी सजेशन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर विचार हुआ है या नहीं कि राजनीतिक हलचलों से दूर शान्त वातावरण में जहां विद्यार्थी डेमनस्ट्रेशंज में भाग न ले सकें, ऐसे स्थानों पर शिक्षा को विकेन्द्रित किया जाए ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो छात्र संघों का निर्माण किया जाता है, उनके पीछे भी कुछ राजनीतिक दल कार्य करते हैं और उसी से प्रभावित हो कर के छात्रों को इस प्रकार के प्रदर्शनों में भाग लेना पड़ता है ? यदि हां तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित की है कि जिससे भविष्य में छात्र संघों के निर्माण में राजनीतिक दल कुछ एक्टिव न हो सकें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि राजनीतिक दल मदद करते हैं यूनिवर्स्टीज में जब विद्यार्थी संघ बनते हैं । लेकिन जैसे मैं ने कहा है कि सिवाय इसके कि हम स्वयं इस बारे में विचार करें--सभी राजनैतिक दल—कि किस हद तक इस मामले में नियंत्रण होना चाहिये और किस हद तक लड़कों को स्वतंत्रता देनी चाहिये, कुछ नहीं हो

---

†मूल अंग्रेजी में

सकता है । मैं समझता हूं कि यह किसी का मंशा नहीं है कि हमारे बच्चे राजनीतिक मामलों पर विचार न करें या राजनीतिक मामलों पर बहस न करें । इनमें अवश्य ही यूनिवर्स्टीज के विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह भी विद्यार्थियों को समझना चाहिये कि उनका प्रधान काम शिक्षा ग्रहण करना है न कि राजनीतिक काम करना और इस मामले में स्वयं सभी नेता ठीक तरह से मार्गदर्शन करें तो मैं समझता हूं हमारे देश के लिए यह बड़ा हितकर होगा ।

†**श्री पाणिग्राही :** क्या सरकार राजनैतिक दलों की बैठकें बुलायेगी जैसा कि मद्रास सरकार ने मद्रास में किया था, जहां उन्होंने इसका हल निकाला ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक मेरी जानकारी है, मद्रास में कुछ समझौता हुआ था । लेकिन कुछ राजनैतिक दल मुकर गये और उन्होंने अपना विचार बदल दिया ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पढ़ाई का सवाल है या नहीं है ? अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि विद्यार्थी ऐसी बातें करें ।

डा० का० ला० श्रीमाली : आपका कहना ठीक है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियर :** मैं माननीय मंत्री की यह गलत धारणा दूर करना चाहता हूं कि मद्रास के कुछ राजनैतिक दल इस समझौते से मुकर गये हैं । दूसरी ओर वे उस समझौते पर दृढ़ रहे और समझौता आगे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं । वह सही नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह राजनीतिक दलों से यह चाहते हैं कि वे ऐसे [illegible] में [illegible] लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न करें । जब तक सम्पूर्ण राजनीतिक दल देश के इस सम्बन्ध में कोई समझौता न कर सकें तब तक के लिए क्या माननीय मंत्री जी यह उचित समझेंगे कि कम से कम कांग्रेस पार्टी द्वारा यह घोषित किया जाए कि वह किसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करेगी, खास तौर से चुनावों के सम्बन्ध में ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस मामले में मैं सब को अपील ही कर सकता हूं । जैसे और नेताओं को अपील करता हूं, कांग्रेस के नेताओं को भी अपील करता हूं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको राजनीतिक प्रदर्शनों में खींचा नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए भरती विश्वविद्यालयों में ही होती है क्योंकि छात्र ही भावी राजनीतिज्ञों की सेना छात्रों से ही बननी है । यदि उन्हें काम नहीं करने दिया जायेगा तो उस स्थिति में हमारे भविष्य को हानि पहुंचेगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राजनैतिक नेता तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय भरती की जगह नहीं है । माननीय सदस्य का यह सुझाव मुझे मंजूर नहीं है । विश्वविद्यालयों में हम लोगों से को भावी जीवन के लिए चाहे राजनैतिक क्षेत्र में या प्रशासन तथा दूसरी शाखाओं के क्षेत्र में, तैयार करते हैं । माननीय सदस्य की धारणा बिलकुल

---

†मूल अंग्रेजी में

गलत है यदि वह यह सोचते हों कि विश्वविद्यालय राजनैतिक नेताओं की भरती की जगह है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है लेकिन यह विभिन्न दलों और उनके नेताओं से अपील करते हैं कि जहां तक हो सके, वे बच्चों को इसमें न लायें ।

†**श्री त्यागी :** उन्हें एक कौन करेगा ?

आसाम में प्राकृतिक गैस का उपयोग

+

†*१३१८. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री विद्याचरण शुक्ल:
श्री नथवानी :
श्री मुरारका :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहरकटिया तेल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कौन से हैं ; और

(ग) ये कितनी गैस का उपयोग करेंगे और कब से ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]** ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि उपलब्ध गैस का उपयोग करने के लिए ७ परियोजनायें स्थापित की जायेंगी । विदेशी सहायता से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ? क्या इस संबंध में किसी विदेशी सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इन में से दो परियोजनाओं को अर्थात् घरेलू और औद्योगिक खपत के लिये गैस वितरण और बिजली संयंत्र, स्थापित करने का असम सरकार का विचार है । फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया उर्वरक परियोजना स्थापित कर रहा है । वह भी केन्द्रीय सरकार की कंपनी है । असम सरकार सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की आशा कर रही है । मुझे ज्ञात हुआ है कि जांच पड़ताल हो रही है और अंतिम निर्णय अभी नहीं किया गया है । शेष तीन परियोजनायें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या उर्वरक कारखाने के लिए ब्रिटिश सहायता तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता से संबद्ध ऋण के तौर पर समझी जायगी और ब्रिटेन ने क्या शर्तें रखी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि उसमें से कितना घरेलू उपभोग के लिए रहेगा और क्या कीमत होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** विवरण के मद संख्या २ की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना हूं।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** कीमत क्या होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कोई कीमत नहीं बतायी जा सकती।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या कोई गैस जलाया जा रहा है ? विवरण से यह पता चलता है कि गैस पर आधारित उद्योग १९६३ से पहले संभवतः नहीं स्थापित होंगे। जब गौहाटी तेल शोधक कारखाने को सप्लाई शुरू हो जायगी तब उस गैस का क्या होगा जो अब तैयार की जायगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि कुछ असोशियेटेड गैस जो तेल बनाते समय तैयार किया जाता है, अभी तक असम तेल क्षेत्रों के काम में नहीं लाया गया है और न तीन वर्षों में उसका कुछ भाग जला दिया गया है। मुझे आशा है कि जब तक गैस इस्तेमाल करने वाले उद्योग स्थापित नहीं किये जाते तब तक हमें यह बर्दाश्त करना पड़ेगा।

†**श्री मुरारका :** इस गैस की बिक्री से वार्षिक अनुमानित आय कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं अभी इस समय आंकड़े नहीं दे सकता। यदि अलग सवाल पूछा जाये तो मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक कोई निश्चित आंकड़े कायम नहीं किये गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि सरकार ने एक फ्रांसीसी फर्म को परामर्शदाता नियुक्त किया था और यदि हां तो यह नियुक्ति किस प्रयोजन से की गयी थी ? क्या वह वितरण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के अथवा नहरकटिया में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए की गयी थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह अलग सवाल है। उस बारे में यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी इकट्ठी करूंगा।

†**श्री गोरे :** इसका क्या कारण है कि सरकार तुरन्त इस गैस का उपयोग न कर सकी क्योंकि यह स्पष्ट है कि जब कभी तेल निकाला जाता है, कुछ असोशियेटेड गैस होता है और यदि ऐसा था तो इसका क्या कारण था कि अगले दो या तीन सालों में लाखों रुपये का गैस सम्भवतः जला दिया जाये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य को अवश्य ही यह मालूम होगा कि डिगबोई तेल-शोधक कारखाना पिछले कई दशकों से काम कर रहा है और जब तेल पैदा किया गया तब कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

गैस भी हमेशा ही तैयार किया गया और वह हमेशा जला दिया गया। जब उत्पादन बढ़ेगा अर्थात् हमारे दोनों तेलशोधकों कारखानों में उत्पादन शुरू हो जायेगा तब काफी मात्रा उपलब्ध होगी। इसलिए यह अभी हाल की समस्या है और यथासंभव शीघ्र उस गैस का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त कारवाही की जा रही है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या ३००/३५० लाख घन फुट प्रतिदिन के हिसाब से असोशियेटेड गैस १९६३ से आगे औद्योगिक और घरेलू उपभोग के लिए पर्याप्त होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो निर्णय का विषय है कि उपभोग के लिए कितना पर्याप्त होगा। वह उपभोग के ढंग और हमारी विकास-स्थिति पर निर्भर होगा। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां प्रति व्यक्ति खपत कहीं ज्यादा है लेकिन मैं समझता हूं कि विकास की वर्तमान दशा को देखते हुए, उपभोग का ढंग जिसका संकेत मैंने अपने उत्तर में दिया है, किफायती मालूम होता है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इन उद्योगों की स्थापना में देर के कारण जो उपलब्ध गैस जला देना होगा क्या उसका कोई अंदाज लगाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरी राय में कोई देर नहीं हुई है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि वह केवल इस कारण जला देना पड़ा कि सरकार समय पर यह तय न कर सकी कि वह सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में हो ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी नहीं। यह सही नहीं है ।

खेलकूद जांच समिति की रिपोर्ट

+

†*१३१९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **शिक्षा मंत्री** २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, विशेषतः पिछले ओलम्पिक खेलों में, भारतीय दलों के कार्य की समीक्षा करने और उस के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए जो समिति नियुक्त की गयी थी, क्या उस ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार माननीय मंत्री जी ने यह बताया था कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी होने का कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरी इस में कठिनाई यह है कि इस कमेटी के जो प्रधान हैं वे इस पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। उन से मैं ने निवेदन किया कि जितनी जल्दी हो सके वे रिपोर्ट दें। उन की भी कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। इस समिति के दो सदस्य हैं, शायद उन को इकट्ठा करने में दिक्कत होती हो। मैं ने उन से निवेदन किया था कि अगर उन को कोई दिक्कत हो तो मैं उस में मदद करने को तैयार हूं। लेकिन कमेटी के चेअरमैन तो वे ही हैं, उन को जितनी जल्दी हो सके, इस कार्य को खत्म करना चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह** : जब यह सवाल पिछली बार पैदा हुआ था तब मैंने सभा को बताया था कि मैं तब तक आगे काम नहीं कर सकता था जब तक 'चीफ दे मिशन' ने अपनी रिपोर्ट इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन को नहीं दे दी थी और वह रिपोर्ट सरकार को पेश की गयी थी और सरकार ने वह रिपोर्ट मेरे पास भेज दी । लेकिन वह रिपोर्ट अभी पिछले महीने आठ महीने देर से पेश की गयी है । माननीय मंत्री को वह अभी तक मिली है या नहीं यह मुझे पता नहीं । मुझे निश्चय ही नहीं मिली है और जब तक मुझे वह न मिल जाये तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि दो पर्यवेक्षकों, श्री एम० एम० कपूर और श्री एम० के० कौल ने अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् को रिपोर्ट पेश कर दी है और क्या उन्होंने यह कहा है कि पिछले ओलम्पिक में भारत अत्यधिक संतुष्टता के कारण हांकी में नहीं जीत सका ? क्या अंतिम रिपोर्ट पेश किये जाने से पहले इस रिपोर्ट पर भी विचार किया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां। सभी रिपोर्टों पर विचार किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी मौजूद हैं और इस समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि देर से देर कब तक रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री जयपाल सिंह : जितनी जल्दी हो सकेगा, हम रिपोर्ट यहां पेश कर देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारी हॉकी टीम के विरुद्ध यह आरोप है कि ओलम्पिक नियमों की उपेक्षा करने के लिए तीन व्यक्तियों को दूसरी मदों के लिए डमी खिलाड़ियों के तौर पर लिया गया था । क्या इसकी जांच भी होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : श्री जयपाल सिंह की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गयी है वही इन मामलों की छानबीन करेगी ।

†**श्री तंगामणि**: क्या सरकार के पास अभी उपलब्ध सभी रिपोर्टें इस समिति को पेश की जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां।

†**श्री तंगामणि** : कौन कौन सी रिपोर्टें हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस विषय से संबंधित कोई रिपोर्ट आप के पास है जो इस समिति को दी जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रोमाली :** रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जाती है । इस खेलकूद समिति की रिपोर्ट है जो अभी प्रस्तुत की जानी है । मैं ने बताया है कि इन सभी रिपोर्टों पर विचार किया जायगा ।

†**श्री जयपाल सिंह :** देर के संबंध में तथा हमारे सामने साक्ष्य देने के संबंध में भी कुछ संदेह मालूम होता है । मैं सभा को तथा देश को यह बताना चाहता हूं कि जो कोई भी इस समिति के सामने साक्ष्य देना चाहे उसका स्वागत है और कोई बात छिपायी नहीं जायगी और सारे देश को पूरी पूरी सचाई बतायी जायगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री जयपाल सिंह के अतिरिक्त इस समिति के कौन कौन से सदस्य हैं; कब इस समिति की स्थापना हुई थी और इस मध्य में समिति की कितनी बैठकें हुईं ।

डा० का० ला० श्रोमाली: २४ अक्तूबर को जो स्पोर्ट्स कौंसिल की मीटिंग हुई थी उस में यह कमेटी नियुक्त हुई थी, और जैसा मैं ने सुना है, इस में तीन मेम्बर्स हैं, श्री जयपाल सिंह, श्री नवल टाटा और श्री जी० डी० सोंधी । जहां तक मुझे पता लगा है यह सारी कमेटी एक बार भी नहीं मिली है । शायद अलग अलग सदस्यों में मश्वरा हुआ हो, लेकिन सारी कमेटी की बैठक नहीं हुई ।

बैंक निक्षेप बीमा योजना

†*१३२०. **श्री कोडियान :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटया :
श्री पांगरकर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राधामोहन सिंह :
श्री आचार :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वित्त मंत्री** २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक निक्षेप बीमा योजना को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) से (ख) . मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान :** उस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल के कई बैंक फेल हो गये हैं और उस के परिणामस्वरूप धन जमा कराने वालों के मन में आतंक पैदा हो गया है, क्या सरकार कम से कम केरल राज्य में बैंक निक्षेप बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में कोई विचार रखती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मामला अभी विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

†**श्री प्रभातकार :** क्या यह सच है कि १२ तारीख को वित्त मंत्री की बैंकरों प्रतिनिधियों से दिल्ली में भेंट हुई थी और इस बैठक में निक्षेप बीमा योजना पर विचार किया गया था ; और यदि हां, तो बैंकरों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह सच है कि १२ तारीख को भेंट हुई थी और उसमें इस बारे से विचार किया गया था। व्यापारिक बैंकरों ने सामान्य रूप से इस योजना का स्वागत किया था।

†**श्री कोडियान :** इस योजना के अधीन कितनी राशि जमा करायी जा सकेगी?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** प्रत्येक बात अभी विचाराधीन है। रिजर्व बैंक इस योजना को कार्यान्विति की दृष्टि से इसके ब्यौरे तैयार कर रहा है। परन्तु फिलहाल प्रत्येक बात अभी विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** उस पर कौन विचार कर रहा है और उस पर कितने समय से विचार किया जा रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह योजना रिजर्व बैंक के विचाराधीन है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह योजना अमेरिका में प्रचलित योजना पर ही आधारित होगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं इस समय इस बारे में कुछ भी उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि समपूर्ण योजना अभी विचाराधीन है ।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र के लगभग छः बैंकों से कह दिया गया है कि वह अपना कार्य बन्द कर दें, क्या इस योजना को स्वीकार करने पर इन बैंकों पर भी लागू किया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस योजना के स्वीकार हो जाने पर इसे सभी बैंकों पर लागू किया जायेगा परन्तु मैं नहीं समझती कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकेगी। मैं इस बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकती क्योंकि अभी तक ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं।

†**श्री प्रभात कार :** क्या यह सच नहीं है कि बड़े बड़े बैंकर ही उस योजना का विरोध कर रहे हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जी नहीं यह सच नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ उन्होंने तो इस योजना का सामान्य रूप से स्वागत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार ने उन देशों के अनुभव कर अविनिश्चय कर लिया है जहां यह योजना चल रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जी, हाँ। रिजर्व बैंक को सम्पूर्ण मामले के बारे में ज्ञान प्राप्त है। वह सभी सुकरताओं को देखते हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ; उसने निश्चित रूप से उन सभी बातों पर विचार कर लिया होगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस बीमा व्यापार को किस अभिकरण के द्वारा चलाया जायेगा ? क्या यह जीवन बीमा निगम के समान किसी राष्ट्रीय निगम को दिया जायेगा या कि गैर सरकारी बैंकों को ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा होगा।

भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रम

+

†*१३२१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण की एक प्रस्थापना उनके पास भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या विचार प्राप्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर दिया जायेगा और सभासदों को सूचित कर दिया जायेगा।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और उसी स्तर के राज्य पुलिस अधिकारियों के वेतन-क्रमों और भत्तों में बहुत अन्तर है, क्या सरकार भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इसी सम्बन्ध में तो विचार किया जा रहा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वेतन-क्रम भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के बराबर कर दिये जायेंगे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी नहीं। यह बात विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वेतन कम करने को पुनरीक्षित करने का निर्णय किया है, क्या सरकार अन्य पुलिस कर्मचारियों, जिनमें कनिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं, के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने का विचार रखते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक कनिष्ठ अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके मामले तो वेतन आयोग के आधीन आ गये थे। वहां तो केवल भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वेतन आयोग में पुलिस के सिपाहियों, हैड कान्सटेबलों और सब इन्सपेक्टरों के सम्बन्ध में विचार नहीं किया है क्योंकि इन कर्मचारियों का सम्बन्ध विभिन्न राज्य सरकारों से है। अतः क्या भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के साथ ही इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** क्योंकि उन कर्मचारियों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है इसलिये राज्य सरकारे ही उनके बारे में विचार करेंगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करते समय सरकार किस बात को ध्यान में रख रही है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछना चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्यों सोचती है कि केवल भारतीय पुलिस अधिकारियों के ही वेतन क्रमों को पुनरीक्षित किया जाये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस सेवा के लिये बहुत अच्छे पदाधिकारी भर्ती नहीं किये जा सके हैं। निसन्देह इस सम्बन्ध में परीक्षायें होती है, परन्तु अधिकतर अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा की अपेक्षा अन्य प्रकार की सेवाओं में जाना चाहते हैं। इसका एक कारण यह है कि भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रम अपेक्षाकृत कम है। दूसरा कारण यह है कि उनका कार्य भी प्रशासन कार्यों की तुलना में अधिक कठिन है, इन परिस्थितियों में यह अनुभव किया गया है कि उनके वेतन-क्रमों को बढ़ा दिया जाये।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट छपी थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वेतन-क्रम बढ़ा दिये है। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक भारतीय पुलिस सेवा का सम्बन्ध है, उनके वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करना भारत सरकार का काम है।

†**श्री त्यागी :** क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतन-क्रमों में वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता दी जायेगी या कि सारा खर्च सम्बन्धित राज्य द्वारा वहन किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस सम्बन्ध में अभी विचर विमर्श किया जा रहा है और आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा। उसके बाद श्री त्यागी द्वारा कही गयी बात पर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या इस सेवा का केन्द्रीयकरण करने के सम्बन्ध में कोई विचार है?

†**अध्यक्ष महोदय** : भारतीय पुलिस सेवा पहल ही ऐसी है। अगला प्रश्न।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

१३२२. **श्री पहाड़िया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड ने देश के सब विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में एक भाषा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सिफारिश की गयी है कि अन्तिम उद्देश्य अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं को अपनाना है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

†**श्री पहाड़िया** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक दिया है। यदि यह स्थिति है तो फिर राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का प्रचार कैसे किया जायेगा?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसा कि सभी सदस्यों को ज्ञात है, इस सम्बन्ध में कई बार सभा में चर्चा की जा चुकी है,। सरकार की निश्चित नीति यह है कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। यही सामान्य नीति है और यह राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। जहां तक हिन्दी के विकास के प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार ने हिन्दी के विकास के लिये कई कार्यवाहियां की हैं। परन्तु इसका विकास उन व्यक्तियों पर बलात हिन्दी लादने से नहीं होगा जो कि इसे स्वीकार नहीं करना चाहते।

डा० गोविन्द दास : जहां तक शिक्षा के माध्यम का सवाल है, सरकार की नीति तो स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने विश्वविद्यालयों ने अपने यहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी या राज्य भाषाओं को बनाया है और यह कब तक आशा की जाती है कि इसके लिए पूरा साहित्य तैयार हो जायेगा जिससे सरकार की जो नीति है कि हमारी भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनायी जाएं, उसको सब विश्वविद्यालय स्वीकार कर सकें?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो इनफारमेशन अगस्त, सन् १९६० तक मेरे पास आयी है वह यह है कि किसी न किसी स्टेज पर जिन यूनीवरसिटीज ने माध्यम बदला है अंग्रेजी से या तो हिन्दी या प्रान्तीय भाषा, वे इस प्रकार हैं :

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बनारस, बरोडा, बिहार, दिल्ली, गुजरात, गोरखपुर, जबलपुर, जादवपुर, उत्कल, करनाटक, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, पंजाब पटना, पूना, राजस्थान, सागर, एस० एन० डी० टी० विमैन्स यूनीवरसिटी, विश्व भारतीय, बनारस

†मूल अंग्रेजी में

संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस, और विक्रम विश्वविद्यालय। अतः सभा यह अनुभव करेगी कि धीरे धीरे कई विश्वविद्यालयों ने हिन्दी या प्रादेशिक भाषा को अपना लिया है।

डा० गोविन्द दास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

†**श्री जमालखवाजा** : कितने विश्वविद्यालयों ने एम० ए० स्तर पर हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये मुझे सभी ब्योरों में जाना पड़ेगा। मैं सम्पूर्ण विवरण सभा पटल पर रख दूंगा ताकि सभा सदस्य स्वयं ही सब कुछ जान सकें।

डा० गोविन्द दास : मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक आशा की जाती है कि हमारा साहित्य तैयार हो जायेगा, जिस से सब विश्वविद्यालयों का माध्यम हमारी भाषायें हो जायेंगी।

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक इस की अवधि का सम्बन्ध है, मैं कोई निश्चित अवधि नहीं बता सकता। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, अब यह निश्चय किया गया है यूनिवर्सिटीज को हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने में सहायता मिलेगी। जहां तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है वह किताबें लिखने के लिये और तर्जुमा करने के लिये पूर्ण रूप से दी जायेगी। लेकिन वह काम ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा। उन के द्वारा ही वह काम हो सकता है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इस विषय में जो कुछ भीहो सकेगा, वह सरकार करेगी, लेकिन इस में यूनिवर्सिटीज के सहयोग की आवश्यकता है, जो बड़े लेखक, वैज्ञानिक और राइटर्ज हैं, उन के सहयोग की आवश्यकता है। उन के लिखने पर ही ये पुस्तकें तैयार हो सकती हैं

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या सरकार देश के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राष्ट्र भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, वे कृपया यह प्रश्न माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूछें।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद करने के सम्बन्ध में कोई समन्वित योजना है ? क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालय में इसके लिये एक प्रकार के पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल किये जा रहे हैं और दूसरों में दूसरे प्रकार के ? क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी में पुस्तकें लिखने का काम छोड़ दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, योजना को छोड़ नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों से बातचीत कर रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने का यत्न करेगा। जहां तक अन्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों को किसी विशेष स्वायत शासी व्यवस्था से ही कार्य करना पड़ेगा। हम उन पर कोई भी निर्णय लाद नहीं सकते। यद्यपि हम उन्हें हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को स्वयं आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : भारत में ऐसे बहुत से पब्लिक स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों को हायर सीनियर क्रैमिज के लिये तैयार किया जाता है । यदि शिक्षा के माध्यम को एक दम बदल दिया जायेगा, तो क्या सरकार ने यह विचार किया है कि इन पब्लिक स्कूलों में और किस प्रकार की परीक्षा ली जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न यहा उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पहाड़िया** : अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी लागू करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को उन भाषाओं के लिये स्थापित करने के लिये सहायता दे रहा है जो उन क्षेत्रों में नहीं बोली जाती । उदाहरणार्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय में तामिल, तेलुगू आदि के लिये चेयरें हैं । इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दक्षिण के उन विश्वविद्यालयों को अनुदान दे रहा है जिन्होंने हिन्दी की चेयरे स्थापित की हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को या प्रादेशिक भाषाओं को अपने लिये शिक्षा का माध्यम बनाया है, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस प्रकार की नीति है कि उन को प्रोत्साहन दिया जाये, अथवा उन की नीति इस प्रकार की है कि वे और हतोत्साहित हों ।

डा० का० ला० श्रीमाली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति सरकार की नीति से भिन्न नहीं हो सकती है । इस मामले में कोई मत-भेद नहीं है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार उच्च प्रविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी शिक्षा के माध्यम को बदलने का विचार रखती है ? क्या इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक लोग उसका समर्थन करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्तिम उद्देश्य तो वही है । विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों को हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लिखने के लिये विज्ञान सम्बन्धी व्यक्तियों को मनवाना पड़ेगा । यदि पुस्तकें उपलब्ध हों, तो हम शीघ्र ही हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम के रूप में अपना सकते हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार निर्धारित कालावधि में भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रविधिक तथा वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने में अंग्रेजी को पूर्णतया समाप्त कर देने का विचार रखती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की जा सकती ।

†**श्री तिरुमल राव** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नीति यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रविधिक तथा वैज्ञानिक विषय पढ़ाने के लिये एक विशिष्ट कालावधि में अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस नीति का कई बार स्पष्टीकरण कर चुका हूं। इस सम्बन्ध में १९५० में राधाकृष्णन् आयोग ने सर्वप्रथम इस नीति का स्पष्टीकरण किया था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में राष्ट्र भाषा या प्रादेशिक भाषाओं को ही अपनाया जाये। सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। सरकार की वही नीति है और सरकार इस कार्य के लिये सभी विश्वविद्यालयों को सहायता दे रही है। हम पुस्तकों के हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओ में अनुवाद के कार्य के लिये शत प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं। सरकार इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में कार्य करना विश्वविद्यालयों का अपना काम है।

†**श्री हेम बरुआ** : जैसा कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की है, अंग्रेजी भी एक सहायक भाषा के रूप में रहेगी, तो क्या भाषा सम्बन्धी वर्तमान जोश में उतनी अधिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना विश्वविद्यालयों के लिये हानिकारक सिद्ध न होगा ? अंग्रेजी को कुछ समय तक के लिये और क्यों नहीं रहने दिया जाता क्योंकि वह एक सहायक भाषा के रूप में तो बाद में भी रहेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है कि सभी राज्य सरकारों ने उक्त नीति का समर्थन किया है। ऐसी कोई भी राज्य सरकार नहीं है जिसने यह कहा हो कि हमें अंग्रेजी से स्थान पर हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं को नहीं अपनाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी में मतैक्य है और इस बारे में माननीय सदस्य को कोई भी सन्देह नहीं करना चाहिये।

श्री प्र० ना० सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नेशनल लेंग्वेज या रिजनल लेंग्वेजिज के माध्यम से किस सीमा तक और किस वर्ष तक पढ़ाई होने लगेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं अवधि नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अवधि निश्चित करना मुमकिन नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह यूनिवर्सिटीज इस मामले में कदम उठाती हैं, कितने लेखक पुस्तकें लिखने के लिये तैयार होते हैं। केवल एनाउन्समेंट करने से कि अमुक दिन से यह हो जायेगा यह नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है, उसके लिये मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूं।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये विभिन्न उत्तर परस्पर विरोधी है। मूल प्रश्न के भाग (ख) में उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है और यह कहा है कि अंग्रेजी एक सहायक भाषा के रूप में जारी रहेगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य का कथन गलत है। प्रश्न का भाग (ख) यह था :

> "यदि हां, तो क्या यह भी सिफारिश की गयी है कि अन्तिम उद्देश्य अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं को अपनाना है ?

इनका उत्तर मैं ने सकारात्मक दिया था। इस में विरोध कहां है ?

†**श्री कासलीवाल** : उन्होंने यह कहा है कि अंग्रेजी एक सहायक भाषा के रूप में जारी रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने तो यह कहा है कि जहां तक शिक्षा सम्बन्धी मामलों का सम्बन्ध है, सरकार की घोषित नीति यह है कि कई बार सभा में बता चुका हूं कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं को अपनाना है। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, उन पर गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । उनका शिक्षा मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : शिक्षा बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि अंग्रेजी को कुछ समय तक और जारी रखा जाये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह भी सिफारिश है। परन्तु अब एक नयी स्थिति पैदा हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि सरकार की नीति १९५० में राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार है और वह यह है कि हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाये । जहां तक अंग्रेजी का सम्बन्ध है, यह मामला गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन है । वह शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं अपनायी जायेगी । यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ।

नागार्जुनकोंडा में पुरातत्व खुदाई

†*१३२३. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनकोंडा का पुरातत्वीय क्षेत्र कितना बड़ा है ;

(ख) इसमें से कितने भाग में खुदायी की गयी है ;

(ग) अभी तक कितने क्षेत्र की खुदाई होनी शेष है ;

(घ) नदी के सामने के किनारे का पुरातत्वीय क्षेत्र कितना बड़ा है ; और

(ङ) नदी के सामने के किनारे के कितने भाग की खुदाई हो चुकी है और शेष कितने भाग की खुदाई अभी की जानी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) खण्डहर लगभग आठ वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं ।

(ख) और (ग). खुदाई के योग्य लगभग ३७५० एकड़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में खुदाई की गयी है और इस समय खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

(घ) और (ङ). नदी के सामने के किनारे पर खुदाई का कार्य आन्ध्र प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है । कुछ एक स्थानों पर खुदाई का कार्य प्रारम्भ भी किया जा चुका है और शेष स्थानों पर खुदाई की जा रही है।

†**श्री नरसिंहन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खुदाई का उतना बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है, क्या पुरातत्वीय दृष्टि से कोई विशिष्ट समस्यायें निर्धारित की गयी

---

†मूल अंग्रेजी में

है ; यदि हां, तो ऐतिहासिक और अनैतिहासिक समस्याओं के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या समाधान मिला है ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी तो खुदाई की जा रही है और उस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

†**श्री नरसिंहन्** : यह उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खुदाई प्रारम्भ करने से पहले कोई विशेष समस्यायें निर्धारित कर ली गयी हैं जिनका समाधान यहां से प्राप्त करना है । यदि हां, तो अभी तक की गयी खुदाई के परिणामस्वरूप अभी तक कितना समाधान मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या नागार्जुन सागर के सम्पूर्ण इतिहास पर हमने विचार करना है ?

†**श्री नरसिंहन्** : मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्री इस पर प्रकाश डाल सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न काल में एक प्रश्न के अन्तर्गत हम उन सभी ब्योरों पर विचार कर सकते हैं जिन्हें खुदाई द्वारा जानने का यत्न किया जा रहा है । हम इन सभी बातों पर यहां विचार नहीं कर सकते ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या खुदाई के कार्य को कम खर्च पर और शीघ्र गति से करने के लिये आधुनिक प्रविधिक उपायों जैसे भू-भौतिकीय परीक्षण तथा विद्युत चुम्बकीय विधि का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक नागाजुंनकोंडा का सम्बन्ध है, खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है और जहां तक नदी की दूसरी ओर का सम्बन्ध है, खुदाई का कार्य अभी तक जारी है ।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं यह जानना चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इन सभी ब्योरों को कैसे जान सकते हैं । उन उपायों के इस्तेमाल का निर्णय करना तो विशेषज्ञों का काम है

†**श्री वेंकट सुब्बैया** : क्या सरकार खुदाई की उन सभी वस्तुओं को वापस लेने का विचार रखती है जो कि अमरावती से हटा दी गयी है और क्या उन सभी वस्तुओं को नागार्जनकोंडा के संग्रहालय में रखा जायेगा ।

†**डा० म० मो० दास** : अत्यधिक महत्वपूर्ण स्मारकों को पहाड़ी के ऊपर के संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया है और कई अन्य स्मारकों को भी किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि अमरावती से बहुत सी वस्तुएं हटा कर किसी अन्य संग्रहालयों में स्थापित कर दी गयी हैं । क्या उन वस्तुओं को वापस लाकर नागार्जुनकोंडा के केन्द्रीय सग्रहालयों में रखा जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : सम्पूर्ण स्थिति पर विचार किया जायेगा । जहां तक अमरावती की मूर्तियों का सम्बन्ध है, वे

†मूल अंग्रेजी में

अधिकांश अमरावती संग्रहालय से ही सम्बन्ध रखती हैं । उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी मूर्तियां पायी गयी हैं । यदि नागार्जुनकोंडा में इक्ष्वाकू काल से सम्बन्ध रखने वाली कोई मूर्ति हुई, तो हम उसे निश्चित रूप से अपने ध्यान में रखेंगे ।

†**श्री वेंकट सुब्बैया** : देश में कई संग्रहालय है । आन्ध्र प्रदेश के अन्य स्थानों तथा अमरावती में पायी गयी पुरातत्वीय वस्तुओं को देश के अन्य संग्रहालय में ले जाया गया है । क्या उन सभी वस्तुओं को वहां से वापस लाकर नागार्जुनकोंडा के संग्रहालय में सजाने का कोई विचार है, ताकि वह संग्रहालय आन्ध्र सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अमरावती का संग्रहालय भी तो एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है । मैं समझता हूं कि यदि उन वस्तुओं को वहां से हटाया गया तो वहां के लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे ।

†**श्री नरसिंहन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक और खुदाई का कार्य पूरा हो गया है ; इस बारे में पूरी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी, और रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कह दिया गया है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट तैयार हो रही है । परन्तु उस प्रकार की प्रमुख खुदाई के कार्य पर कुछ समय लग ही जाया करता है । खुदाई कार्य १९५४ में प्रारम्भ हुआ था और जनवरी, १९६१ में पूरा हुआ है । रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लग जायेगा ।

†**श्री तंगामणि**: क्या खुदाई के उस कार्य में किसी विश्वविद्यालय ने भी पुरातत्व विभाग की सहायता की है और यदि हां तो उन के क्या क्या नाम हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां भी जरूरत होती है, विश्वविद्यालय सहयोग देते हैं । परन्तु नागार्जुनकोंडा में मेरा ख्याल है कि किसी का भी सहयोग नहीं है ।

अंडमान द्वीप के पास मछलियां पकड़ने की विदेशी नावों का पकड़ा जाना

†***१३२४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान पुलिस की 'एम० यू० सुभाष' नामक गश्ती नाव ने १३ दिसम्बर, १९६० को निकोबार द्वीप समूह के ट्रेक और टेरिस नामक द्वीप के निकट मछलियां पकड़ने की दो नावें पकड़ी, जिनका संचालन चीनी नाविकों द्वारा किया जा रहा था ;

(ख) क्या यह सच है कि १४ दिसम्बर, १९६० को लघु निकोबार द्वीप के निकट मछलियां पकड़ने की एक विदेशी नाव फिर पकड़ी गयी, जिसमें शक्तिशाली इंजन लगा हुआ था और जिसका संचालन चीनी नाविकों द्वारा किया जा रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तट की रक्षा के लिये तैनात अन्दमान पुलिस के जहाज ने १३ दिसम्बर, १९६० को निकोबार द्वीप के प्रांगण में मछली पकड़ने की एक नाव पकड़ी जिस पर नम्बर एस० एम० एफ० ३९२ लिखा था ।

(ख) जी, हां । १४ दिसम्बर, १९६० को दक्षिण निकोबार द्वीपसमूह के ट्रेक और टेरस द्वीपों के निकट एक नाव पकड़ी गयी जिस पर नम्बर एस० एम० एफ० १९५ लिखा हुआ था ।

(ग) मछली पकड़ने वाली दो विदेशी नौकाओं पर, जिन पर नम्बर एस० एम० एफ० ३९२ और एस० एम० एफ० १९५ लिखा था क्रमश: आठ और नौ विदेशी मल्लाह थे। वे भारतीय प्रादेशिक जल में मछली पकड़ रहे थे। सत्रह मल्लाहों में से छः व्यक्ति चीनी उद्भव के थे जिन्होंने सिंगापुर में ब्रिटिश राष्ट्रीयता ग्रहण कर ली और ग्यारह चीनी राष्ट्रजन हैं। उन्हें विदेशी अधिनियम, १९४६ की धारा १४ और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मत्स्य-पालन विनियम, १९३८ की धारा ५ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों किश्तियां और सब सामान अन्दमान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों को दोष सिद्ध किया गया और विदेशी अधिनियम १९४६ की धारा १४ के अधीन प्रत्येक को एक एक वर्ष का कठोर कारावास और एक सौ रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना न देने पर छः महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा और अन्दमान तथा निकोबार मत्स्य-पालन विनियम, १९३८ की धारा ५ के अधीन पांच महीने का कठोर कारावास और प्रत्येक को पांच सौ रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर डेढ़ महीने के कठोर कारावास की सजा दी गयी।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में चायनीज़ नैशनल भी थे। जहां तक मुझे मालूम है उस बोट में एक पावरफुल इंजिन था । मैं जानना चाहता हूं कि इस बोट से क्या क्या सामान प्राप्त हुआ जिस से मालूम हो सके कि उनकी इच्छा क्या थी इस द्वीप समूह के पास आने की क्योंकि सिंगापुर तो बहुत दूर है, कम से कम एक हज़ार मील होगा।

†**श्री दातार** : उपलब्ध जानकारी से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले थे जो अन्दमान के समुद्रों में मूल्यवान मछली पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे और इस में कोई राजनीतिक अथवा अन्य पहलू नहीं था

श्री रघुनाथ सिंह : कौन से देश की नावें थीं ?

श्री दातार : इस के बारे में मैं ने अभी बताया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं आदमियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, बोट के बारे में पूछ रहा हूं कि नावें कहां की थीं, इक्विपमेंट उस पर कहां का था ?

श्री दातार : कुछ चीनी थे और कुछ सिंगापुर के थे।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने पूछा है कि नावें कहां की थी, इक्विपमेंट उस पर कहां का था ?

†**श्री दातार** : मेरे पास वह जानकारी नहीं है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : श्रीमान् जी, मैं ....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री बनर्जी और अन्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि मैं प्रश्न संख्या १३५३ लूं।

†**श्री अ० चं० गुह** : गृह-कार्य मंत्री महोदय नावों के उद्भव के बारे में उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरा प्रश्न बहुत आसान है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन के पास कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री दातार** : मैं ने बताया है कि जहां तक इन १७ सदस्यों का सम्बन्ध है, उन में से छः चीनी उद्भव के थे, जिन्होंने सिंगापुर में ब्रिटिश राष्ट्रीयता ग्रहण कर ली थी और ग्यारह चीनी थे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं नावों के उद्भव के बारे में जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नावें किस देश की थीं ?

†**श्री दातार** : यह मछली पकड़ने वाली नावें थी। इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि ये कहां से आयीं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यदि उन के पास यह जानकारी नहीं है कि ये नावें कहां से आयीं तो वे कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि इंजन कहां का बना हुआ था। उस नाव में बहुत शक्तिशाली इंजन था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय जांच करेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या दिसम्बर के मध्य के बाद से अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के निकट कोई और विदेशी नाव दिखाई दी है ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : नाव में जो इंजन लगा था वह कितने हार्स-पावर का था ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी।

†**श्री दातार** : जी नहीं।

प्रश्न संख्या १३५३ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री स० मो० बनर्जी और अन्य सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने कहा है कि प्रश्न संख्या १३५३ लिया जाये। अतः अब हम उस प्रश्न को लेते हैं।

दिल्ली को 'क' श्रेणी में रखना

†*१३५३. { **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री राम गरीब : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली (जिस में नई दिल्ली भी शामिल है) की जन संख्या बढ़ कर २६ लाख हो गयी है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस नगर की क्रमोन्नति कर के इसे 'क' श्रेणी का नगर बना दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जनगणना सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित होने के पश्चात नगरों की क्रमोन्नति के प्रश्न पर विचार किया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) वर्ष १९६१ की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की जन संख्या २६ लाख है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यदि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ कर २६ लाख हो जाती है तो केवल उस से वह शहर 'क' श्रेणी में रखे जाने का अधिकारी नहीं हो पाता । इस के अतिरिक्त वर्ष १९६१ की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(घ) जी, हां

(ङ) जी, हां।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार अंतिम आंकड़े प्राप्त होने पर दिल्ली को 'क' श्रेणी में रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार वेतन आयोग की सिफारिशो का पालन करेगी जो वह नगरों को उच्च श्रेणी में रखने के बारे में स्वीकार कर चुकी है ।

†**श्री वाजपेयी** : जनगणना के अतिरिक्त अन्य और कौन सी बातें हैं जिन्हें नगरों को उच्च श्रेणी में रखने के लिये ध्यान में रखना पड़ता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान 'ख' और 'ग' श्रेणी के नगरों के बारे के पैरा ३ में वेतन आयोग की सिफारिश की ओर आकृष्ट करती हूं। जो कुछ बातें उस में लिखी है उन सब पर ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नये जनगणना आंकड़ो के अनुसार कई शहरों की जन संख्या बढ़ गयी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली को 'क' श्रेणी में रखते समय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अन्य शहरों के मामलों पर भी विचार किया करेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं भी सभा को यही बात बताना चाहती थी यह समस्या केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है । अभी पूरे और अंतिम जनगणना आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और जनगणना रजिस्ट्रार के अनुसार वर्ष १९६१ की जनगणना के अंतिम आकड़े वर्ष १९६२ के अन्तिम भाग में तैयार होंगे । आंकड़े प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि जनगणना के पूरे आंकड़े वर्ष १९६२ के अन्त में पता चलेंगे। आयोजन समेत, अन्य सब मामलों में अस्थायी आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है तो फिर क्या मैं जान सकता हूं कि नगरों को उच्च श्रेणी में रखने के बारे में अस्थायी आंकड़ों को क्यों नहीं माना जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वेतन आयोग ने यह बात कही है कि नयी जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय किया जाये क्योंकि इस से उन कई नगरों के पुन-र्वर्गीकरण का सम्बन्ध है, जिनकी जनसंख्या अधिक होगी ।

†**श्री तंगामणि** : वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार, केवल कलकत्ता और बम्बई दो ही 'क' श्रेणी के शहर हैं और वे जनसंख्या पर आधारित हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक नगर को 'क' में रखने से सरकारी कर्मचारियों को अधिक प्रतिकर भत्ता मिलेगा, क्या इस मामले पर अब विचार किया जायेगा क्योंकि अस्थायी आंकड़े तो हैं ही ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री महोदय ने बार-बार कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उन्हें अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अत: मैं नहीं समझता कि इस पर जोर देने में कोई तुक है । इसके अतिरिक्त प्रश्न-काल भी समाप्त हो गया है ।

प्रश्न संख्या १३३३ के बारे में

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : प्रश्न संख्या १३३३ बहुत महत्वपूर्ण है । मेरी प्रार्थना है कि ये प्रश्न लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं । इसकी कोई सीमा होनी चाहिये । प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीसा—जस्ता अयस्क

†*१३२५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० के दौरान सीसा—जस्ता अयस्क का उत्पादन कम हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) खानों से निकाले गये अयस्क की मात्रा को नियंत्रित किया गया ताकि वह मिलिंग कारखानों की क्षमता से मेल खा सके और फालतू अयस्क न पड़ा रहे ।

(ग) सरकार ने भारत के धातु निगम द्वारा १५,००० टन की क्षमता वाला एक जस्ता गलाने वाला संयंत्र लगाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस दिया है । सरकार ने उसी निगम को अपने शीशा गलाने वाले वर्तमान संयंत्र की क्षमता ९,००० टन तक बढ़ाने के लिये भी लाइसेंस दिया है । जब यह निगम अधि-ष्ठापित क्षमता के अनुसार धातु का उत्पादन आरम्भ कर देगा जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है, शीशा—जस्ता अयस्क का उत्पादन भी उसी प्रकार बढ़ा दिया जावेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान क्लब

†*१३२६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के माध्यमिक स्कूलों में आजकल कोई विज्ञान-क्लब चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उनके कृत्य क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढाना ।

२. विज्ञान को रुचि के लिये प्रोत्साहन देना ।

३. विज्ञान सीखने में विद्यार्थियों के भाग लेने और उसमें कार्य करने के लिये उत्तेजित करना ।

४. प्रति दिन के व्यवहार और अनुभव में रुचि लेने के लिये विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना ।

५. पृथक् और सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन देना ।

६. अन्य विज्ञान क्लबों से मेल बढाना और जानकारी और गतिविधियों की अदला-बदली करना ।

७. प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य बनाना ।

विधान मंडलों के लिए अध्यापकों का चुनाव

†*१३२७. **ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाव दिया है कि अध्यापकों के विधान मंडलों के लिये निर्वाचन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भिलाई के निकट तापसह ईंटों का संयंत्र

†*१३२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई के निकट रूसी सहायता से तापसह ईंटों का एक संयंत्र स्थापित करने की योजना का ब्योरा तैयार कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) और (ख). रूस सरकार से ११२५ लाख रूबल ऋण में एक तापसह ईंटों के संयंत्र की परियोजना भी शामिल है। एक प्राथमिक परियोजना के बारे में अध्ययन किया जा रहा है जिस पर संयंत्र की स्थापना, इस के साइज़, इसमें उत्पन्न होने वाले सामान की किस्म आदि निर्भर है।

पैराशूट कारखाना, कानपुर

†*१३२९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित पैराशूट कारखाने का विस्तार किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसके विस्तार के लिये कितनी रकम की मंजूरी दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) यह विस्तार इस की वर्तमान क्षमता को दुगुना करने के लिये है।

(ग) ९.१५ लाख रुपये।

भारतीय अशोधित तेल

†*१३३०. **श्री विश्व नाथ राय :**
श्री आचार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री याज्ञिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्थित विदेशी तेल कम्पनियों ने भारतीय अशोधित तेल (क्रूड आयल) को साफ करने से इन्कार कर दिया है, जिसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अंक्लेश्वर क्षेत्र में शीघ्र होने का अनुमान है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तेल को साफ करने की किसी वैकल्पिक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारत स्थित विदेशी तेल समवायों में बातचीत चल रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वित्त निगम

†*१३३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वित्त निगम के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा रही है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) १९५९ और १९६० में सभी राज्यों को कुल कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) क्या ऋण लेने वाले अंश मूलधन और व्याज की अदायगी बिना विलम्ब के करते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अक्तूबर, १९६० में पुनर्वित्त की शर्तों में ढील दिये जाने से हाल के महीनों में निगम के कार्य में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष १९५९ और १९६० में पात्र बैंकों द्वारा विभिन्न औद्योगिक एककों को दिये गये क्रमशः ८५ लाख रुपये और १४१ लाख रुपये के ऋण निगम द्वारा पुनर्वित्त किये गये।

(ग) जी, हां। तथापि, अवधि में समय बढाने की मांग करना ऋण लेने वाले का काम है और जहां कहीं आवश्यक हो, उस अवधि को बढाना निगम का काम है।

मद्रास राज्य का भूतवीय सर्वेक्षण

†*१३३२. **श्री सम्पत**
श्री तंगामणि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५६-५७ से १९६०-६१ तक मद्रास राज्य के किन प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया ; और

(ख) इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

पदाधिकारियों का आरक्षित बल

†*१३३३. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पदाधिकारियों का एक आरक्षित बल निर्माण करने के उद्देश्य से पदाधिकारियों की भर्ती सम्बन्धी नियमों को अभी हाल में कुछ ढीला कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी विश्व कोष

*१३३४. { श्री खुशवक्त राय :
श्री आचार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी विश्व-कोष में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को प्रयोग करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का निर्देश मानने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में उक्त सभा ने क्या कारण बतलाये हैं ; और

(ग) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) नागरी प्रचारिणी सभा ने शिक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की है कि वह हिन्दी विश्वकोष में शास्त्रीय लेखों और रासायनिक सूत्रों (फार्मूलों) में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करने के निदेश वापिस ले ले ।

(ख) सभा ने निम्नलिखित कारण बतलाये हैं :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय अंकों और चिन्हों का प्रयोग सभा की नीति के विरुद्ध है ।

(२) हिन्दी पाठकों के लिये विश्व-कोष की उपयोगिता बहुत कम हो जायेगी ।

(३) इससे हिन्दी की प्रगति में रुकावट पैदा होगी और सामान्य रूप से लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होगा कि हिन्दी अंग्रेजी की सहायता के बिना प्रगति नहीं कर सकती ।

(४) अच्छा यही है कि विश्व-कोष के अन्य खण्ड उसी रूप में प्रकाशित हों जिस रूप में उस का पहला खंड प्रकाशित हुआ है ।

(५) दूसरे खण्ड के प्रकाशन का काम काफी आगे बढ़ चुका है और उसका संशोधन करने में बहुत समय लगेगा ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश और रुक्मिणी देवी के मन्दिर

*१३३५. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश और रुक्मिणी देवी के मंदिरों की अभी तक मरम्मत नहीं हुई है ;

(ख) द्वारिकाधीश के मंदिर को सुरक्षित स्मारक न घोषित करने और उसकी मरम्मत बन्द कर देने के क्या कारण हैं ;

(ग) रुक्मिणी देवी के मंदिर की कला की रक्षा के हेतु, जो कि एक सुरक्षित स्मारक है, उसकी मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) द्वारिकापुरी में खुदाई न करने के क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) (१) द्वारिकाधीश मंदिर रक्षित स्मारक नहीं है। उसको रक्षित घोषित करने के बाद उसकी मरम्मत की जायेगी ।

(२) रुक्मिणी मंदिर की हालत संतोषजनक है ।

(ख) गुजरात सरकार ने मंदिर से लगी हुई आधुनिक इमारत को अभी तक खाली नहीं किया और इसलिये उसे रक्षित नहीं किया गया ।

(ग) मरम्मत पुरातत्व के उसूलों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर की जाती है ।

(घ) इस क्षेत्र के ऊपरी अन्वेषण से पता लगा है कि यह स्थल ज्यादा प्राचीन नहीं है।

कोयला परिषद्

†*१३३६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला परिषद् की अन्तिम बैठक कब हुई थी ;

(ख) इसमें किन विषयों पर चर्चा की गयी थी और क्या सिफारिशें की गयीं थीं ; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों के बारे में क्या निश्चय किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २६ नवम्बर, १९६०।

(ख) परिषद् ने कोयले के बारे में कई समस्याओं पर विचार किया। परिषद् ने जिन बातों के बारे में सिफारिशें कीं, उनमें से मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(१) कोयला धोने के कारखानों से मध्य दर्जे के कोयले के इस्तेमाल की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करना ।

(२) कोयले के भूमिगत गैसयुक्त होने की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करना ।

(३) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार तृतीय योजना में अतिरिक्त उत्पादन कर आवंटन करना ।

(४) कोयले के परिवहन के लिये योजना बनाना और रेल के अतिरिक्त परिवहन के अन्य तरीके अपनाना ।

(५) कोयला भंडार बनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भाग (ख) के संख्या (१) और (२) में उल्लिखित समितियां स्थापित कर दी गयी हैं। प्रथम समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है और वह परीक्षणधीन है। समिति की अन्य सिफारिशें परीक्षणाधीन हैं।

१० टन भार वाले ट्रकों का निर्माण

†*१३३७. **श्री आचार :**
श्री उस्मान अली खां :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भारत में १०-टन भार वाले ट्रकों का निर्माण करने के लिए एक अस्थायी जापानी कम्पनी के साथ करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ब्यौरा और शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रुद्रसागर में तेल के कुएं

†*१३३८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्रसागर के तेल के कुंओं के एक विदेशी सार्थ को सौंपे जाने के बारे में बातचीत हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बातचीत का क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उड़ीसा में खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण

†*१३३९. **श्री कुम्भार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक दल ने बोलनगीर जिले (उड़ीसा) के खनिज संसाधनों का अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां वर्ष १९५८-५९ भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का की गयी प्रादेशिक माप के फलस्वरूप, नील-जीबहल के दक्षिण-पूर्व में जुमकादुंदुरी में, केन्द्रमन्डीडींगास के निचले हिस्सों में दुकशीरा, चुदापाली में और टीकडपारा में मेंगनीज-अयस्क का पता चला। बेलपाडा के पूर्व में

---

†मूल अंग्रेजी में

लांदायार के उत्तर-पश्चिम में और मतूपाली के निकट के क्षेत्रों से ग्रेफाइट का पता चला है। अभी इन निक्षेपों की आर्थिक संभावना का हिसाब लगाना है। वर्ष १९५८-५९ में बड़ीपाडा और जोलरपोदर के निकट शीशा--अयस्क का पता लगा था और वह अलाभप्रद पाया गया। बोलनगीर-पटना के अन्य क्षेत्रों में कार्य जारी है।

उत्तरी कामरूप में कोयला

†*१३४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम इंजीनियरिंग कालेज के भूतत्व-शास्त्र के एक अध्यापक द्वारा उत्तर कामरूप के सुबनखता क्षेत्र में की गयी भूतत्वीय जांच सम्बन्धी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के कोयले के मिलने की जानकारी दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन निक्षेपों के परिमाण का अनुमान लगाने के लिए इस क्षेत्र का अग्रेतर सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों की परीक्षायें

*१३४१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैंतालीसवें अध्याय के उन्नीसवें पैरे के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति पद्धति की ऐसी कोई योजना बनाई गई है जिससे प्रथम श्रेणी, जिस के लिये प्रतियोगिता परीक्षा होती है, को प्राप्त करने का एक अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नौजवान पदाधिकारियों के लिये एक विशेष प्रतियोगिता परीक्षा ली जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस योजना के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा कब होगी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). प्रश्न विचाराधीन है। अभी इस बारे में कुछ कहना असम्भव है कि इस प्रश्न पर अन्तिम निश्चय कब तक लिये जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा का आय-व्ययक

†*१३४२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के राज्यपाल के १० मार्च, १९६१ के संवाददाता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने उड़ीसा के १९६१–६२ के आय-व्ययक के बारे में, जिसे अभी सभा में पेश किया जाना है, कुछ प्रकाश डाला था; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार इसे उपयुक्त समझती है और इसका अनुमोदन करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सरकार ने दिनांक ११ मार्च, १९६१ के 'ईस्टर्न टाईम्स' में प्रकाशित समाचारों को देखा है । राज्य सरकार ने बताया है कि उड़ीसा के राज्य पाल न १० मार्च १९६१ को कटक में किसी प्रैस सम्मेलन में भाषण नहीं दिया । अथवा आयव्ययक पर कोई प्रकाश नहीं डाला । दिल्ली से उनके भुवनेश्वर लौटने पर कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वेतन आयोग की सिफारिशों को शीतागार में रख दिया जायेगा और और क्या कमी को कम करने के लिये योजना में कमी की जायगी । राज्यपाल ने उनको बताया कि उनकी जानकारी ठीक नहीं है । और कहा कि यह संभावना है कि आय के लगभग २५ प्रतिशत की कमी को कम किया जाये ।

तेल कम्पनियों के साथ मूल्य सम्बन्धी करार

†*१३४३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार और मुख्य तेल कम्पनियों के बीच तदर्थ मूल्य-करार की अवधि को ३० जून, १९६१ तक बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल मूल्य समिति द्वारा पेट्रोलियम-उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए एक वैकल्पिक दीर्घकालीन सूत्र सम्भवतः कब पेश किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा अगस्त, १९६० में स्थापित की गयी तेल मूल्य जांच समिति को अपना प्रतिवेदन १३-१२-१९६० को देना था परन्तु कार्याधिक्य के कारण अब यह आशा की जाती है कि यह समिति ३१-५-६१ से पहले, उन सिद्धांतों और तत्वों के, बारे में, जिनके अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये जायेंगे, अपना प्रतिवेदन नहीं दे सकेगी ।

छावनी अधिनियम

***१३४४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी अधिनियम में संशोधन करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) विधेयक के २९२ अनुभागों में से २६७ तक के संशोधनों का निरीक्षण सम्पूर्ण हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस मामले में कोई ऐसा विलम्ब नहीं हुआ जिसे दूर किया जा सकता हो। महत्वपूर्ण और उलझनों से भरे इन भारी संशोधनों के कारण नवीनतम नागरिक नियमों की समान धाराओं का ख्याल रखते हुए इन का सध्यान निरीक्षण आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने

†*१३४५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री दामानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नूनमती और बरौनी के तेल शोधक कारखानों की लागत सम्बन्धी प्राक्कलन अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मूल प्राक्कलनों के सन्दर्भ में इन प्राक्कलनों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या इन पुनरीक्षित प्राक्कलनों में विदेशी मुद्रा व्यय में होने वाली वृद्धि भी सम्मिलित है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है और इसकी पूर्ति किस प्रकार करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, अभी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तेल की खोज के लिये विदेशी सहायता

†*१३४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पांगरकर :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में तेल की खोज करने और उसे निकालने के बारे में विदेशी लोगों के साथ चल रही बातचीत में कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). विभिन्न तेल समवायों से प्राप्त प्रस्तावों पर अभी बातचीत की जा रही है।

राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति[1]

†*१३४७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति की स्थापना कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस आधार पर प्रदान की जाती है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसन्धान अधिछात्रवृत्ति योजना वर्ष १९५५-५६ से चल रही है।

(ख) इंजीनियरिंग में पोस्ट डाक्टरल स्तर पर वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान के लिये अधिछात्रवृत्तियां दी जाती हैं। आवेदनकर्ताओं के पास विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर की उपाधि होनी चाहिये।

लोहे और इस्पात की बिक्री पर लाभ

†*१३४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लोहे और इस्पात से प्रतिवर्ष कितना लाभ होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार लाभ की प्रतिशतता की कोई सीमा निश्चित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सरकार लोहे और इस्पात का व्यापार नहीं करती। अतः लाभ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, लोहा तथा इस्पात के उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं। वे केवल प्रतिधारण मूल्य ही रखते हैं। प्रतिधारण मूल्य जांच के बाद निर्धारित किये जाते हैं और उसमें लाभ का उचित अंश होता है। विक्रय मूल्य प्रतिधारण मूल्य से अधिक होते हैं। दोनों में जो अन्तर होता है वह लोहा तथा इस्पात समानीकरण निधि में डाल दिया जाता है जो भारत की समेकित निधि का एक भाग है।

७०० लिटर 'बकट व्हील एक्सकेवेटर'

†*१३४९. **श्री नरसिंहन्** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७०० लिटर के 'बकट व्हील एक्सकेवेटर' (मिट्टी खोदने का यंत्र) का परीक्षण शुरु हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Research Fellow-Ship.

(ख) यदि हां, तो यह कैसा काम कर रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, अभी नहीं परन्तु परीक्षण के तौर पर यह इसी मास आरम्भ किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन

†***१३५०. श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक निदेशक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले के बारे में जांच कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इसके कब पूरा हो जाने की संभावना है—

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) पकड़े गये रिकार्डों के आधार पर नवम्बर, १९६० में इस व्यक्ति के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा १९(२) के अधीन जांच की गयी। व्यक्ति के वकील ने एन्फार्समेन्ट निदेशालय के प्रश्नों का उत्तर देन के लिये समय बढ़ाने की प्रार्थना की : यह प्रार्थना मंजूर कर ली गयी और प्रश्नों के उत्तर ३१ दिसम्बर, १९६० को प्राप्त हुए। इस व्यक्ति के उत्तर में कुछ ऐसी बातें थीं जिनका स्पष्टीकरण किया जाना था। अत: एन्फार्समेन्ट निदेशालय ने इनको कुछ और प्रश्न लिखे हैं और उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कोई निश्चित बात बताना कठिन है। जैसे ही प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जायेगा, और जांच के लिये सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी, जांच का कार्य पूरा हो जायेगा। इसको यथा-संभव शीघ्र पूरा करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

रूस से मट्टी के तेल[1] की खरीद

†***१३५१. श्री आचार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से भट्टी का तेल खरीदने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की मात्रा, मूल्य और खरीद की अन्य शर्तों का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). मट्टी के तेल की वर्तमान खपत स्थानीय उत्पादन से अधिक है और यदि कोयला-क्षेत्रों से दूर के कुछ क्षेत्रों में कोयले के स्थान पर मट्टी के तेल को अंशत: इस्तेकाल किया गया तो इस कमी में और वृद्धि हो जायेगी। अत: यदि उचित मूल्य और शर्तें रहीं जैसे यदि रुपये में भुगतान करना पड़ा तो मट्टी के तेल का अतिरिक्त आयात करने पर विचार किया जा रहा है। रूस से भी आयात किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Furnace Oil

जन्तर मन्तर, नई दिल्ली

†*१३५२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित जन्तर मन्तर टूट रहा है और पिछले दो वर्षों से इसकी उचित देखभाल नहीं की जा रही; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खम्भात प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

†*१३५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खम्भात प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :—

विवरण

कैम्बे में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में अब तक की गयी प्रगति निम्न प्रकार है :

(क) इस कारखाने को स्थापित करने के स्थानों के बारे में संमान्य क्षेत्रों का एक सरकारी समिति दौरा कर चुकी है और उसने अपनी सिफारिशें भी दे दी हैं।

(ख) सरकारी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का अध्ययन करने और प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के वास्तविक स्थान का निर्धारण करने के लिये अपेक्षित प्रविधिक

---

†मूल अंग्रजी में

और अन्य आर्थिक आंकड़े एकत्र करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक प्रविधिक समिति बनायी है ।

(ग) इस तेलशोधक कारखाने के कारण व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा सोवियत सरकार द्वारा दिये गये ऋण में से दी जायेगी ।

(घ) तेल शोधक कारखाने के लिये डिजाइन और उत्पादन आंकड़े निर्धारित करने के लिये बड़े संयंत्र परीक्षण के लिये तेल शोधक कारखाने में साफ करने के लिये कच्चे तेल के नमूने बनाने की व्यवस्था की गयी है ।

राष्ट्रीय सेनाछात्रदल (महिला डिवीजन)

†*१३५५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का राष्ट्रीय सेनाछात्रदल (महिला डिवीजन) को बन्द कर देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†*१३५६. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को १९५९-६० में १.१८ करोड़ रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भारी हानि के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) हानि के कारणों के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ १४ के पैरा ४.५ में बताया गया है । इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब

†२७६८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १ सितंबर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब स्थापित करने की योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १६ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, जहां योजना पहले से चालू है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सब शेष विश्वविद्यालयों में इस का विस्तार करने का फैसला किया है । यह फैसला सब संबद्ध विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है । योजना चलाने के लिये उन की सहमति प्राप्त होने पर अनुदान देने के प्रश्न पर अयोग विचार करेगा ।

(ख) १-९-१९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ के उत्तर में जैसा कि बताया जा चुका था, ६०,००० रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

तांबा की खानें

†२७६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तांबें की कितनी खानें हैं ;

(ख) क्या १९५९ और १९६० में भारत के तांबे के क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इस समय तीन खानें चल रही हैं ।

(ख) और (ग). जी, हां । १९५९ और १९६० में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य का ब्योरा इस प्रकार है । कुछ क्षेत्रों में भारतीय खान ब्यूरो ने भी विस्तृत खोज की थी, जिसका वर्णन नीचे किया जाता है :—

आन्ध्र प्रदेश : कुरनूल जिला में गनी-कालावा क्षेत्र के छिद्रण के द्वारा प्रारंभिक खोज और विस्तृत मानचित्रण काम पूरा किया गया था । समूचे परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं और काम बन्द कर दिया गया है ।

गुंटूर जिले में अग्नि गुंडाला क्षेत्र में मानचित्रण और खोज से पता चला है कि वहां तांबे के खनिज का ३.२ **किलोमीटर** लम्बा क्षेत्र और दूसरा सीसे के खनिज का १.२ किलोमीटर लम्बा क्षेत्र का पता चला है ।

नेल्लोर क्षेत्र में गारिमे नापेंटा क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण जारी है ।

आसाम : उत्तरपूर्व सीमांत अभिकरण के सुवांसिरी क्षेत्र में तांबे और गिलट के लिये विस्तृत मानचित्रण और भू-रसायनिक नमूने लिये गये हैं ।

बिहार : सिंहभूम तांबा क्षेत्र के पश्चिमी और मध्य भागों में माहुलदीह तथा रोम क्षेत्रों में खनिजों के स्वरूप और लोडों के ढांचे का अध्ययन करने के लिये बड़े पैमाने पर मानचित्रण और नमूने का छिद्रण कार्य किया गया है । माहुलदीह क्षेत्र में फैले हुए तांबा अयस्क का काफी चौड़ा जोन २४० मीटर के अन्दर पाया गया है जिस के भागों में १.७ प्रतिशत तक तांबा पाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर : कुछ आशाजनक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, भू-रसायनिक नमूना लेना और खोज की गई है । कंगन-सोनमर्ग क्षेत्र का परीक्षण तांबे के लिये और रायसू-डोडा क्षेत्र का तांबे और गिलट के लिये किया गया है । कंगन-सोनमर्ग क्षेत्रों में खाइयां खोदते समय तांबे के निक्षेपों के अच्छे संकेत मिले हैं । दारावी क्षेत्र की जांच जारी है ।

मध्य प्रदेश : मुंडाटीकरा क्षेत्र में विस्तृत मानचित्रण एवं भू-रसायनिक नमूना किया गया था जहां गोसन जोन (सल्फाइड खनिजों का सतह संकेत) पाया गया । अभी तक तांबे का लोड नहीं मिला । छिद्रण जारी है ।

मद्रास : दक्षिण अर्कोट जिला में मामांदूर क्षेत्र में एक पुरानी तांबे का खान क्षेत्र पाया गया था । विस्तृत मानचित्रण और खुदाई के कामों से पता चला कि सतह पर ५ प्रतिशत औसत संयुक्त धातु तत्व वाला तांबा, सीसा और जस्ते का पोली मैटल निक्षेप है । खनिज वाला जोन ५०० मीटर की लंबाई तक फैला हुआ है । छिद्रण १९६१ में आरंभ किया गया था और जारी है ।

मैसूर : हसन जिला में कल्पाडी के पास तांबे वाले क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण और भू-रसायनिक नमूना लेने का काम पूरा किया गया था । विस्तार ५९९ मीटर के लगभग है । भू-भौतिकीय काम प्रगति पर है ।

राजस्थान : खनिज वाले जोन और अयस्क किस्म के ढांचे संबंधी नियंत्रणों का अध्ययन करने के लिये झुन झुनू में खेत्री तांबा पट्टी के चुने हुए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, भू-रसायनिक एवं भू-भौतिकीय जांच की गयी थी । भू-भौतिकीय अन्तरों वाले क्षेत्रों में नमूने का छिद्रण खेत्री क्षेत्र में किया जा रहा है जहां मुख्य खनिज जोन भूमि के नीचे लगभग १४०० मीटर तक सिद्ध हो चुका है ।

एक सुराख में ४ मीटर मोटा जोन जिसमें औसत १.६० प्रतिशत तांबा तत्व है ९७ मीटर की गहराई में पाया गया । दूसरे सुराखों के विश्लेषण के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

आगे दक्षिण की ओर झुन झुनू जिला केधानोटा क्षेत्र में, विस्तृत मानचित्रण करते समय पुरानी खानों के वर्गों के साथ खनिज जोन पाये गये ।

अलवर और जयपुर जिलों में प्रतापगढ़—थाना गाजी क्षेत्र में, भूतत्वीय मानचित्रण और उसके बाद पुरानी खानों वाले चुने हुए क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया गया है । भारतीय खान ब्यूरो के सहयोग से नागल क्षेत्र में नमूने की खुदाई प्रगति पर है ।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खेत्री और दरीबों में इन निक्षेपों की आर्थिक संभाव्यताओं को आंकने की दृष्टि से विस्तृत खोज एवं प्रयोगात्मक खनन कार्य किया जा रहा है और बड़े निक्षेप पाये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश : अलमोड़ा जिला में तांबा धातु खनिज क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण बनाया गया है । कुछ ज्ञात निक्षेपों का परीक्षण किया गया था । जिले में तांबे के निक्षेप बहुत कम दिखाई देते हैं ।

चमोली जिले में धानपुर-पोखरी क्षेत्र में तांबे और सीसे के लिये विस्तत जांच की गई है ।

महाराष्ट्र को कोयले का सम्भरण

†२७७०. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के बड़े सरकारी कामों के लिये कोयला का संभरण कम है और कुछ काम रुके हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हालत को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) महत्वपूर्ण औद्योगिक उपभोक्ताओं को संभरण जारी रखा गया है । हो सकता है कुछ ईंटें पकाने वाले कोयले पर निर्भर रहने वाले कुछ सरकारी कामों पर इसका प्रभाव पड़ा हो ।

(ख) ईंट पकाने वाले कोयले के संभरण में कमी का कारण है कि रेल द्वारा इस कोयले के परिवहन को कम प्राथमिकता दी जाती है । हालत को सुधारने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :—

(१) महाराष्ट्र के चुने हुए क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले डेरों तक ब्लाक रेकों में स्लैक कोयला ले जाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है जहां से सड़क द्वारा वितरण आसानी से किया जा सकता है ।

(२) दक्षिण और पश्चिम भारत के लिये रेल एवं समुद्र मार्ग से कोयले के परिवहन का प्रबन्ध किया जा रहा है ; और

(३) बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से लंबे परिवहन को कम करने के लिये मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कोयले का परिवहन करने की योजना की जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

†२७७१. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर १९६० से ३१ जनवरी १९६१ तक सरकारी क्षेत्र में कोयले का कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) १९५९-६० की इसी अवधि की तुलना में यह उत्पादन कैसा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). उपरोक्त अवधियों में सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का आयात

†२७७२. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० से जनवरी १९६१ तक कितना इस्पात विदेश से मंगवाया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में देश को इस्पात की कितनी आवश्यकता थी ?

†**इस्पात खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नवम्बर, में लगभग ८४,००० मीट्रिक टन और दिसम्बर १९६० में लगभग ९९,५३० मीट्रिक टन। जनवरी १९६१ के आंकड़ों का अभी संकलन नहीं किया गया।

(ख) इस्पात की कुल आवश्यकता देश में उत्पादन और आयात से पूरी की जाती है। इस्पात की मांग और आवंटन छः मासिक अविध के आधार पर की जाती है। अतः केवल नवम्बर १९६० से जनवरी १९६१ तक की अवधि में इस्पात की आवश्यकता के आंकड़े बताना संभव नहीं है। चादरों और तारों के अतिरिक्त, लौहा और इस्पात नियंत्रक को दिये गये इंडट पूर्णतः पूरे किये जाते हैं। इस्पात की समूची आवश्यकता अर्थात् १९६०-६१ (अक्तूबर १९६० से मार्च, १९६१) के उत्तरार्ध में चादरों और तारों के बारे में आवंटन तथा दूसरी किस्मों के इस्पात के बारे में इंडेंटों का अनुमान लगभग २,७००,००० मीट्रिक टन लगाया गया है। नवम्बर, १९६० जनवरी १९६१ के दौरान देश में तैयार इस्पात का उपादन इस प्रकार था :

नवम्बर १९६० .	२०९,००० मीट्रिक टन अनुमानित
दिसम्बर १९६० .	२२२,३५० मीट्रिक टन अनुमानित
जनवरी १९६१ (अस्थायी)	२४४,५०० मीट्रिक टन अनुमानित

मध्य प्रदेश को इस्पात का आवंटन

†२७७३. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक मध्य प्रदेश को इस्पात का कितना अभयंश आवंटित किया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि में कितना संभरण किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह))** : (क) चादरों और तारों को छोड़कर इस्पात के माल के लिये अभ्यंश प्रमाणपत्र प्रणाली १९६०–६१ में समाप्त कर दी गई थी। इन दो श्रेणियों को छोड़कर सब इंडेंटों का माल पूरा किया गया। १९६०–६१ में मध्य प्रदेश को १४१,४८० मीट्रिक टन का कुल आवंटन किया गया था। इस से चादरों और तारों के लिये अभ्यंश प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आवंटित मात्रा तथा दूसरी श्रेणियों के लिये इस्पात नियंत्रक को दिये गये कुल इंडेंट अभिप्रेत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (अप्रैल से दिसम्बर, १९६० तक) लगभग ३७,००० टन* ।

मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन

†२७७४. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या इस की मोटी रूप रेखा को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के चुने क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का क्रमबद्ध सर्वेक्षण किया है । जांच का ब्यौरा इस प्रकार है :—

होशंगादबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर और रायसीना (भोपाल) जिलों के नर्मदा घाटी के चुने क्षेत्रों में खोज कार्य किया गया था । ५००० वर्ग मील (१२९५० वर्ग किलो मीटर) के क्षेत्र में ३० प्रयोगात्मक सुराख खोदे गये थे और इनमें १६ इस लायक थे कि उन्हें सिंचाई के योग्य उत्पादन कूंओं के रूप में बदला जा सके । शेष छोड़ दिये गये थे क्योंकि उनका उत्पादन कम था । ब्यौरा इस प्रकार है :

जिला	प्रयोगात्मक सुराखों की संख्या	नमूने के कूंओं की संख्या (जिन्हें उत्पादन-कूंओं में बदला गया)
होशंगाबाद	२०	१२
नरसिंहपुर	३	२
जबलपुर	३	१
रायसीना	४	१
जोड़	३०	१६

खोज के परिणाम के आधार पर निम्न क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर भूमिगत जल विकास के लिये, नक्शा खेंचा गया है :

*इसमें केन्द्रीय अभ्यंशों में से दिया गया माल शामिल है किन्तु अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश को नियंत्रित स्टाकधारियों द्वारा दिया गया माल शामिल नहीं है । इनमें अवशिष्ट तथा चालू इंडैटों में से भेजा गया माल शामिल है ।

†मूल अंग्रेजी में

नर्मदा नदी का दक्षिण, होशंगाबाद जिला

(१) **पधढाल क्षेम :** यह एक २२० फुट (६७.०५ मीटर) गहरे नमूने के कए के आधार पर चुना गया है । ऐक्विफर की मोटाई लगभग ८६ फुट (२६.२ मीटर है) । यह क्षेत्र पधढाल कूंए के इर्द गिर्द २$^{1}/_{2}$ मील (किलोमीर) के अर्धव्यास के अन्दर है । मंगल नदी के पास का पश्चिम भाग बड़े पैमाने के भुगत जल विकास के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

(२) **पावर खेडा बाबाई क्षेत्र :** यह क्षेत्र लगभग २३५ वर्ग मील (५८६.२८ वर्ग किलोमीटर) है और नर्मदा नदी तथा ४ मध्य रेलवे लाइन के बीच स्थित है । पावर खेड़ा और सामालखेड़ा सुरारू पश्चिम सीमा पर स्थित हैं। पूर्व में, यह सेमरी और बाबाई के बीच पूर्वी पिपरिया के साथ मिलता है ।

(३) **पिरिया सैनखेड़ा--गाडरवाड़ा क्षेत्र :** यह नर्मदा नदी और मध्य रेलवे लाइन के बीच का फैलाया हुआ क्षेत्र महुआ खेड़ा और शोमापुर से पूर्व की ओर कोरिया तक जाता है । ४०० फुट (१२१.९६ मीटर) की गहराई तक और ८०० (२४३.८४ मीटर) की गहराई के नीचे कई ऐक्विफर पाये गये ।

नर्मदा नदी के दक्षिण में

(४) **खपूरिया-कला-बरेली-टोंगा क्षेत्र, रायसीना जिला :** यह क्षेत्र दक्षिण में नर्मदा नदी से लगभग दो मील उत्तर की ओर खपूरिया कलां तक जाता है । उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं विन्ध्य की पहाड़ियों से घिरी हैं। पूर्वी सीमा टोंगा और उदयपुरा के बिल्कुल बीच से जाती है ।

(५) **साहपुरा--भेराघाट क्षेत्र, जबलपुर जिला :** यह लगभग १३ मील (२०.९२ किलोमीटर) लम्बा, और ३$^{1}/_{2}$ मील (५ किलोमीटर) चौड़ा समकोण क्षेत्र है । यह पश्चिम में साहपुरा से मेराघाट और जबलपुर रेलवे स्टेशनों के बिल्कुल बीच उत्तर-दक्षिण लाइन तक है । मुख्य एक्वीफर जोन भूमि की सतह से नीचे २०० फुट (६०.९५ मीटर) और ३०० फुट (९१.४४ मीटर) के अन्दर स्थित है ।

जिन क्षेत्रों की खोज की गई है उनमें भूमिगत जल का रासायनिक किस्म सिंचाई के लिये उपयुक्त समझी गयी है ।

विदेशों से ऋण

†२७७५. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को देशवार खाद्यान्न एवं खुराक की दूसरी चीजों की खरीद के लिये कुल कितना ऋण लिया गया है (जिसका उपयोग तो किया गया है किन्तु जो वापिस नहीं किया गया) ।

(ख) इस ऋण पर उपरोक्त तिथि तक कितना ब्याज दिया गया था ; और

(ग) उक्त तिथि को भारत में कितना अनाज आया और उसकी मदें क्या हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७१**]**

तस्कर-व्यापार निरोधक दल के कर्मचारी

२७७६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तस्कर-व्यापार निवारक दल में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो कहां ; और

(घ) यह प्रशिक्षण कितने समय का होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली में तस्कर-व्यापार निवारक दल में तीन पुलिस निरीक्षक, ३३ सहायक उपनिरीक्षक तथा १४५ सिपाही लगे हुए हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों को दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर आवश्यक पदार्थों के यातायात से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों का शिक्षण दिया जाता है ;

(ग) दिल्ली में ।

(घ) कोई निश्चित अवधि नहीं है ।

दिल्ली "में गुम हुए व्यक्तियों सम्बन्धी दल"

२७७७. **श्री नवल प्रभाकर** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "गुम हुए व्यक्तियों सम्दबन्धी दल" ("**मिसिंग पर्सन्स स्क्वैड**") में कितने कितने कर्मचारी और पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(ख) १९५९–६० की तुलना में १९६०–६१ में कितने व्यक्ति गुम हुए ; और

(ग) १९६०–६१ में उक्त दल पर किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क)

सब इंस्पैक्टर	१
हैड कांस्टेबिल	५
कांस्टेबिल	१५

(ख)	गुम हुए व्यक्तियों की संख्या	गुम हुए व्यक्ति जिन का पता लगा लिया गया
१९५९	४,१४३	३,९६४
१९६०	४,०६०	३,८०२
१९६१ (३१–३–१९६१ तक)	१,३२१	३,१७१

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गुम हुए व्यक्तियों सम्बधी दल ("मिसिंग पर्सन्स स्क्वैड") का संगठन दिल्ली पुलिस की वर्तमान शक्ति में से ही किया गया है । और कोई भी अतिरिक्त पद नहीं बनाये गये । गुम हुए व्यक्तियों सम्बधी दल में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन पर १९६०-६१ में ३५,१९० पये व्यय हुए ।

दिल्ली में फौजदारी के मामले

†२७७८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने मजिस्ट्रेट फौजदारी के मुकदमें निबटाने के लिये नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) इनके पास गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने फौजदारी के मामले आये ; और

(ग) उन्होंने कितने मामलों को निबटाया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) ५३ (जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों सहित)

(ख) नीचे दिये गए ८८४,८९४ मामले :—

वर्ष	मामलों की संख्या
१९५६	११६६४५
१९५७	९९५१४
१९५८	१५६६८९
१९५९	२६३०३८
१९६०	२५२००८

(ग) ८८१६८६

दिल्ली के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्टट्रेट

२७७९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन मजिस्ट्रेटों को बढ़ाने का क्या औचित्य है ; और

(ग) इन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को क्या-क्या काम सौंपे गये हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार): (क) से (ग). भूमि अर्जन कार्य की देखभाल के लिए एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का पद और निर्माण किया गया है ।

दिल्ली पुलिस

२७८०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में दिल्ली के पुलिस थानों में कितने व्यक्तियों ने शिकायतें लिखवाईं ;

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस विभाग के पास इस प्रकार की भी शिकायतें आई हैं कि कुछ थानों में शिकायतें नहीं लिखी जातीं ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में ऐसी शिकायतें कितनी थीं ; और

(ङ) शिकायत न लिखने पर क्या कार्यवाही की गई जिससे नागरिकों को भविष्य में यह कठिनाई न हो ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार): (क)

१९५९ . .	१२७२३
१९६० . . .	१२९४१
१९६१	२९९०

(३१–३–६१ तक)

(ख) अभियोग चलाने की दृष्टि से पुलिस, हस्तक्षेप अपराधों का पता देने वाली, सभी शिकायतों की जांच करती है ।

(ग) तथा (घ). १९५९ में इस प्रकार की दस, १९६० में २० और १९६१ में (३१–३–१९६१ तक) २ शिकायतें प्राप्त हुईं । इनमें से केवल छः सही निकलीं ।

(ङ) दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्ड देने के लिये विभागीय कार्यवाही की गई ।

आगामी सामान्य निर्वाचन की व्यवस्था

२७८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिये अंतिम निर्वाचक नामवालियां कब तक प्रकाशित कर दी जायेंगी ;

(ख) मतदान केन्द्रों की सूचियां कब तक तैयार हो जायेंगी ;

(ग) मतदान केन्द्रों में परिवर्तन करने के लिये क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है ; और

(घ) मतदान केन्द्रों में परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है ?

विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) आगामी साधारण निर्वाचन, १९६१ में संशोधित निर्वाचक नामावलियों के आधार पर किये जायेंगे । इस प्रकार संशोधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तारीखें अलग-अलग राज्यों में अलग अलग होंगी । ख्याल है कि ये तारीखें अगस्त से अक्तूबर, १९६१ के महीनों में होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मतदान केन्द्रों की सूचियां संशोधित की जा रही हैं और आशा की जाती है कि यह काम अगले छः महीनों में पूरा हो जायेगा।

(ग) और (घ). मतदान केन्द्रों की सूचियों में परिवर्तनों के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के लिये सुझाव निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं। निर्वाचन आयोग इन सुझावों की जांच करता है और अगर कोई परिवर्तन आवश्यक समझे तो वैसे परिवर्तन करके अपनी मंजूरी की सूचना देता है। अगर कोई निर्वाचन पदाधिकारी और कोई परिवर्तन जरूरी समझता है, तो वह नया सुझाव रखता है। उस पर आयोग उसके गुण दोषों के आधार पर विचार करता है।

दिल्ली में लोक-सभा के मतदाता

२७८२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोक सभा के लिये मतदाताओं की कुल संख्या ३१ मार्च, १९६१ तक क्या थी ;

(ख) क्या यह मतदाता-सूची १९६२ के निर्वाचनों के लिये अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है ; और

(ग) दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता संख्या कितनी है ?

विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) इस समय चालू नामावलि के अनुसार दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या ११,६५,१५६ है।

(ख) चारों निर्वाचन-क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों को बहुत ध्यानपूर्वक संशोधित किया जा रहा है। लेकिन इसमें वे ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं हैं जो बाहरी दिल्ली निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार संशोधित मतदाता-सूचियां १९६२ के साधारण निर्वाचन के लिये काम में लाई जायेंगी।

(ग) चालू मतदाता-सूचियों के अनुसार अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या इस प्रकार हैं :—

नई दिल्ली	२,३८,६७८
चांदनी चौक	१,९३,२३०
दिल्ली सदर	१,९५,२५७
बाहरी दिल्ली	५,३७,९९१

दिल्ली प्रशासन

२७८३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के किन-किन विभागों का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली प्रशासन के निम्नलिखित तीन विभागों का पुनर्गठन कर लिया गया है :

१. दिल्ली प्रशासन सचिवालय

२. कराधान विभाग

३. उपायुक्त का कार्यालय

(ख) इस पुनर्गठन की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

दिल्ली प्रशासन सचिवालय

(१) आकार में कमी जिसके फलस्वरूप ४ अधिकारियों के और ४२ प्रशासी कर्मचारियों के पद कम कर दिये गये ।

(२) जहां तक हो सके, विभागाध्यक्षों के सीधे (बिना किसी सचिव की अंतर्स्थापना के) मुख्यायुक्त के अधीन काम करने की व्यवस्था ।

(३) सुनिश्चित रूप से अधिक अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिये शाखाओं का पुनर्वर्गीकर ।

कराधान विभाग

(१) मनोरंजन-कर अधिकारी तथा जिला उत्पादन शुल्क अधिकारी के कार्यालयों को सीधे बिक्रीकर, उत्पादन शुल्क तथा मनोरंजनकर के आयुक्त के प्रशासी नियंत्रण के अन्तर्गत कर दिया गया और समाहर्ता/जिला दंडाधिकारी के नियंत्रण को कुछ विशिष्ट मामलों तक सीमित कर दिया गया ।

(२) बिक्रीकर, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प तथा मनोरंजनकर के निरीक्षकालय तथा प्रशासी कर्मचारियों को एकीकृत कर एक ही संस्थान बनाया गया ताकि एक से दूसरी शाखा में उनका स्थानांतरण किया जा सके ।

(३) कराधान विभाग के एकीकरण तथा पुनर्गठन के फलस्वरूप वार्षिक व्यय में ४०,००० रुपये की कमी हुई है ।

उपायुक्त का कार्यालय

(१) पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में दक्षता लाने के लिये उपायुक्त के कार्यालय को ४ स्वयंपूर्ण एककों में विभाजित कर दिया गया है । इन एककों के नाम हैं—सामान्य प्रशासन एकक, राजस्व एकक, लेखा एकक तथा विविध कार्य एकक ।

(२) प्रत्येक एकक के अधीन आपस में सम्बन्धित कार्यों को करने वाली शाखाओं को एक साथ वर्गीकृत किया गया है ताकि पर्यवेक्षण में प्रभाव लाया जा सके और कार्य को शीघ्र निपटाने का सुनिश्चित प्रबन्ध किया जा सके ।

(३) पत्रकार के मार्गों की बड़ी संख्या को हटा कर ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि कम से कम अधिकारियों के हाथ से पत्र गुजरें ।

(४) स्थानीय समाहृत-क्षेत्र (कलक्टरेट) की बदली हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य का वैज्ञानिक ढंग से निर्धारण कर के उसे १८ शाखाओं में बांटा गया है । प्रत्येक शाखा पर एक शाखा अधिकारी नियुक्त किया गया है । शिकायतें तथा

पूछताछ शाखा की तरह कुछ नई शाखायें स्थापित की गई हैं और कुछ पुरानी शाखाओं को विघटित कर दिया गया है। सतर्कता कार्य चालू किया गया है और उसे दिल्ली प्रशासन के सतर्कता विभाग का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। उपायुक्त के कार्यालय में संगठन तथा रीति कार्य भी शुरू किया जा रहा है। शिकायतें तथा पूछताछ शाखा की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह शाखा न्याय चाहने वाले तथा जिला अदालतों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये आने वाले अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

(५) प्राप्ति, पंजीकरण तथा प्रेषण की एक नई पद्धति शुरु की गई है और अनावश्यक अभिलेखों को समय पर नष्ट करने का प्रबन्ध किया गया है।

(६) सिविल, राजस्व तथा फौजदारी अभिलेखागारों को पृथक-पृथक कर दिया गया है। प्रतिलिपि अभिकरण नियमों को पंजाब उच्च न्यायालय के परामर्श से संशोधित किया जा रहा है और अंतिम संशोधित रूप तैयार होते ही अदालतों के फैसलों की प्रतिलिपियां देने की एक नई पद्धति लागू कर दी जायेगी। वर्तमान हलकों में खातों और खतौनियों की संख्या के अनुसार राजस्व क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई है।

(७) दिल्ली में अभी हाल ही बढ़े हुए भूमि अवाप्ति कार्य को शीघ्र निपटाने का निश्चित प्रबन्ध करने की दृष्टि से भूमि अवाप्ति अभिकरण की शक्ति बढाई गई।

(८) जन शक्ति तथा श्रम की क्षति रोकने के लिये प्रत्यादान संगठन में कार्य विधि सम्बन्धी परिवर्तन किये गये।

(९) पुनर्गठन के फलस्वरूप लगभग ५०,००० रुपये की वार्षिक बचत हुई।

उद्योगों के लिये भूतपूर्व सैनिक

†२७८४. **श्री हेम राज बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों में भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता और अनुभव का उपयोग करने के हेतु सिफारिश करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों का इस काम के लिये उपयोग किया जा सकता है ; और

(घ) इन सिफारिशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, नहीं। अध्ययन दल की उपसमिति द्वारा की गई कतिपय सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में जूनियर टैक्निकल स्कूल

†२७८५. **श्री हेम राज :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९६१–६२ में कितने जूनियर टेक्निकल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है और वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : राज्य सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में १९६१–६२ में कोई जूनियर टेक्निकल स्कूल खोलने का विचार नहीं है ।

आयुध फैक्टरियों में मोटर साइकिलों का निर्माण

†२७८६. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के सहयोग से आयुध फैक्टरियों में मोटर साइकल बनाने के बारे में अब तक की क्या स्थिति है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)** (क). जापान के सहयोग से आयुध फैक्टरियों में मोटर साइकिल बनाने का प्रस्ताव इस समय रोक दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†२७८७. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य तथा केन्दीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं के अधीन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा राज्य में अब तक जिलेवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक पृथक कृषि बस्तियां कहां कहां स्थापित की गई हैं ;

(ख) उस अवधि में अब तक, केन्द्रीय तथा राज्य सरका द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) उन बस्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने परिवार बसा दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). राज्य से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां

२७८८. **डा० गोविन्द दास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्तियों के बारे में मंत्रालय के क्या नियम हैं और उनके लिये चुनाव किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके लिये एम० ए० प्रथम श्रेणी अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई थी, फिर भी एक उम्मीदवार जिसकी एम० ए० द्वितीय श्रेणी थी चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) जो देश छात्र-वृत्ति देता है वह शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक्सपर्ट कमेटी की सलाह से बनाये गये पैनल में से आखिरी चुनाव करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). हालांकि एम० ए० फर्स्ट क्लास रखा गया था फिर भी पैनल में सेकिंड क्लास के एक उम्मीदवार को शामिल किया गया था क्योंकि उसने अंग्रेजी साहित्य का बी० ए० आनर्स फर्स्ट क्लास में पास किया था और अव्वल आया था। वह यूनिवर्सिटी की एम० ए० परीक्षा में दूसरे नम्बर आया था। एक्सपर्ट कमेटी ने उसे एक असाधारण उम्मीदवार ठहराया था।

दिल्ली नगर निगम

†२७८९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली नगर निगम को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) उक्त राशि किन किन मदों के अन्तर्गत दी गई है ; और

(ग) क्या सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

'वंडर वर्ल्ड आफ साइन्स' का प्रकाशन

†२७९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'वंडर वर्ल्ड आफ़ साइंस' (विज्ञान की आश्चर्यजनक दुनियां) के नौ खंडों के हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन के सम्बन्ध में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** सरकार ने यह निश्चय किया है कि पहले खंड का तेलुगु, गुजराती, मलयालम, उर्दू और उड़िया में तथा खंड २ और ३ का हिन्दी, मराठी, बंगाली और तमिल में अनुवाद करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाय।

पंजाब में केन्द्रीय करों की वसूली

†२७९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ के दौरान पंजाब में केन्द्रीय करों की वसूली की राशि में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खेतड़ी-दरीबो तांबे की खानें

†२७९२. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी दरीबो तांबे की खानों की खुदाई में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रगति अनुसूची के अनुरूप हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). सहायक सेवाओं यथा जल संभरण, विद्युत और बस्ती के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच हो चुकी है। खेतड़ी परियोजना की स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है तथा उसके सम्बन्ध में कोटेशन मांगे गये हैं। ये बातें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसके हाथ में परियोजनायें सौंपी गई हैं, उक्त कोटेशन पर विचार कर रही है।

हरिजन कल्याण

†२७९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री पांगरकर :
श्री कुन्हन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुम्भार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तब से हरिजन कल्याण केन्द्रीय परामर्शदातृ बोर्ड के द्वारा मलमूत्र को टोकरियों या बाल्टियों में रख कर ले जाने की प्रथा समाप्त करने की योजना बनाने के लिये नियुक्त उपसमिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) सभा-पटल पर सिफारिशों का संक्षेप रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखी गई देखिय संख्या एल० टी० २८०७/६१]**

(ग) अधिकांश सिफारिशों को स्थानीय निकायों ने अमल में लाना है। भारत सरकार १९५७–५८ से मल-मूत्र को सर पर ले जाने की प्रथा समाप्त करने और पहिये वाली गाड़ियों का प्रयोग आरम्भ करने के लिये ५० प्रतिशत उपदान दे रही है। भारत सरकार इस अनुदान की शर्तों को अधिक उदार बनाने, कुछ अन्य सहायता देने, तथा भंगियों के कार्य की दशा सुधारने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

७९४. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, उद्योग, इंजीनियरिंग तथा स्वास्थ्य विभागों के कितने कर्मचारी उच्च सेवा के लिये प्रशिक्षित किये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने रेंजर कोर्स में प्रशिक्षित किये गये ;

(ग) विदेश से कितने प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारत से विदेश भेजे गये थे, लौटे ; और

(घ) जिन कर्मचारियों ने भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया उनमें कितने हिमाचली हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वातार): (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा कम्पनियों को मुआवजा

†२७९५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा काम करने वाली उन सब कम्पनियों को, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन कम्पनियों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : (क) नहीं श्रीमान् । . . .

(ख) २४६ बीमा करने वालों में से, जिन्हें उनके नियंत्रित काम के लिये अधिग्रहण दिये जाने के लिये मुआवजा लेने का हक था, २०० बीमा करने वालों ने अधिग्रहण मुआवजा स्वीकार कर लिया है । शेष बीमा करने वालों सम्बन्धी स्थिति नीचे बताई जाती है . . .

१. निम्न बीमा करने वालों ने मुआवजा राशि लेने के लिये आवश्यक औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की हैं यद्यपि उनको पेशकश की जा चुकी है :—

(१) आल इंडिया नेशनल प्रोवीडेंट इन्श्योरैंस कम्पनी लिमिटेड

(२) बंगाल यूनियन प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(३) ईस्टर्न लाइफ ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(४) ऐम्पायर आफ इंडिया लाइफ ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(५) फौर्च्यून प्रौवीडेंट इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(६) ग्रेट सोशल लाइफ ऐंड जनरल ऐश्योरैंस लि०

(७) गुजरात पापुलर प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस सोसाइटी लि०

(८) हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस लि०

(९) इंडिया प्रौवीडैंट कम्पनी लि०

(१०) इंडिया इन्डस्ट्रियल ऐंड प्रौवीडैंट ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(११) केरल गिल्ट-ऐंड्ड सिक्योरिटी प्रौवीडैंट ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(१२) नैशनल इक्नामिक प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस लि०

(१३) फोविक्स ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(१४) पोलिसी होल्डर्ज़ ऐश्योरैंस लि०

---

†मूल अंग्रेजी में

(१५) प्रौवीडैंट यूनियन इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(१६) सर्वेंट्स आफ इंडिया इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(१७) सोशल सर्विस प्रीवीडैंट इंश्योरैंस कम्पनी लि०

(१८) स्वदेशी प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(१९) अपलिफ्ट आफ इंडिया प्रौवीडैंट सोसाइटी लि०

(२०) विक्रम जनरल ऐश्योरैंस लि०

(२१) ज़ीनत ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

२. निम्न बीमा कम्पनियों के मामलों में मुआवजा राशि निर्धारित करने के काम में निम्न एक या अधिक कारणों से विलम्ब हो गया है :—

(क) त्रुटिपूर्ण लेखे ।

(ख) लेखाओं में कुछ बड़ी अनियमिताएं (गड़बड़ें) जिनके कारण जांच करने की जरूरत पड़ी ।

(ग) बीमा कम्पनियों द्वारा रखे गये कुछ दावों में विधि सम्बन्धी विवाद और विधि सम्बन्धी कठिनाइयां :

(१) आदर्श बीमा कम्पनी लि०

(२) ईस्टर्न फेडरल यूनियन इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(३) फ्री इंडिया जनरल इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(४) न्यू बंगाल प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(५) न्यू इन्श्योरैंस लि०

(६) पलाडियम ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(७) प्रेजीडेंसी लाइफ इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(८) रिलायैंस ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(९) स्वदेशी बीमा कम्पनी लि०

(१०) कोआप्रेटिव ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(११) कामेनवेल्थ ऐश्योरैंस कम्पनी लि०

(१२) दीपक जनरल इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(१३) आइडियल लाइफ ऐश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड (जिसका पहला नाम इंडियन लाइफ ऐश्योरैंस कम्पनी लि० था)

(१४) सनलाइट आफ इंडिया ऐश्योरैंस कम्पनी

(१५) भारत इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(१६) रक्षा प्रौवीडैंट इन्श्योरैंस सोसाइटी

३. निम्न कम्पनियों के मामलों में, आवश्यक सिफारिशें जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुई हैं और इस मामले के बारे में निगम के साथ बातचीत हो रही है :—

(१) आर्य इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(२) भास्कर इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(३) ब्रिटिश इंडिया जनरल इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(४) क्राउन लाइफ इन्श्योरैंस कम्पनी

(५) हैप्पी इंडिया इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(६) लौंग लाइफ इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(७) स्वराज लाइफ इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(८) यूनियन लाइफ ऐंड जनरल इन्श्योरैंस कम्पनी लि०

(९) विशाल भारत बीमा कम्पनी लि०

पंजाब के शिक्षा सम्बन्धी दौरों के लिये अनुदान

†२७९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पंजाब की किस किस संस्था को विद्यार्थियों के शिक्षा सम्बन्धी दौरों का आयोजन करने के लिये वित्तीय सहायता दी गयी थी और प्रत्येक संस्था को कितनी राशि दी गयी थी; और

(ख) उन दौरों के ब्योरे क्या हैं और उन्होंने किस किस स्थान का दौरा किया था ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२]

पंजाब में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का अध्ययन

†२७९७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना में पंजाब के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के अध्ययन के लिये पंजाब के किस किस गांव को चुना गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : एक विवरण संलग्न है जिसमें उक्त उद्देश्य के लिये चुने गये ४४ गांवों की सूची सम्मिलित है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]

खनन उद्योग में प्रयोग किये जाने वाला नया उपकरण

†२७९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद में मेकेनिकल एरियाज़ इन्टेगरेटर[1] नामक एक नया यंत्र बनाया गया है जिससे खनन सड़क मार्ग के क्षेत्र को नापा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उस मशीन का क्या उपयोग होगा और यह सरकार को कितनी लाभ-दायक सिद्ध होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mechanical Areas Integrator.

(ख) उस यंत्र से खान के सड़क मार्ग के अनियमित क्षेत्रों को मापा जा सकता है और इस प्रकार से खनन उद्योग में वह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जहां अनियमित रूप के क्षेत्रों को मापने की जरूरत हो वहां यह अन्य उद्देश्यों के लिये भी काम में आ सकता है।

ललित कला अकादमी

†२७९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है भारत सरकार ने उसे कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार उक्त राशि के प्रयोग पर कोई नियंत्रण भी रखती है; और

(ग) यदि हां, तो राशि किस प्रकार से खर्च की जाती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) इसके सामान्य कार्यों के लिये १९६०–६१ के अन्त तक २०,६९,९९९ रुपये।

(ख) जी, हां।

(ग) वार्षिक प्रतिवेदनों में जो विवरण दिये गये हैं उनकी १९५९–६० तक की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी गयी हैं। १९६०–६१ के कार्य भी उसी प्रकार के ही हैं।

दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम

†२८००. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरायदारों के निष्कासन के सम्बन्ध में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५९ के अधीन दायर किये गये २७८ मामलों में से कितने मामलों का निर्णय मालिकों के पक्ष में हुआ है और कितनों का किरायादारों के पक्ष में हुआ है; और

(ख) स्टैण्डर्ड किराया निर्धारित करने के लिये किरायादारों की ओर से जो ३३९ मामले दायर किय गये थे, उनमें से कितनों के बारे में किराया निर्धारित कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क)

मालिकों के पक्ष में . . .	७३
किरायदारों के पक्ष में .	९९
अनिर्णीत मामले	१०६
(ख) जिन मामलों के किराये निर्धारित कर दिये हैं .	१६४
अनिर्णीत मामले	१७५

'नये पैसे' को नया नाम दिया जाना

†२८०१. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नये पैसे' को 'पैसा' नाम देने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि पुराने पैसे का प्रचलन बन्द हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). आना-पाई वर्ग के 'पैसे' अभी तक चल रहे हैं। अतः आना-पाई वर्ग के प्रचलन के समाप्त हो जाने के बाद ही 'नये पैसे' को 'पैसा' का नाम दिया जा सकता है।

अंधे तथा गूंगे विद्यार्थियों को सहायता

२८०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंधे और गूंगे विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए कौन सी योजनायें सरकार अब तक चला रही है या चलाने वाली है; और

(ख) वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में इन विद्यार्थियों को कितनी और किस-किस योजनण के अन्तर्गत सहायता दी गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]**

राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन सम्बन्धी फिल्म

†२८०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन के बारे में फिल्म तैयार करने के बारे में क्या प्रगति की गयी है; और

(ख) इस फिल्म की तैयारी पर कुल कितनी लागत आयी है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) फिल्म निर्माताओं ने जो 'स्क्रिप्ट' दी वह निर्धारित लम्बाई से अधिक थी। निर्माताओं से कहा गया है कि अब वे संशोधित 'स्क्रिप्ट' दें।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी फिल्म तैयार नहीं की गयी है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन

†२७०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान गवषणा परिषद की सिफारिश पर एक केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन स्थापित करने के लिए अब तक की गयी प्रगति का क्या स्वरूप और व्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : संगठन के लिये निदेशक और अनिवार्य कर्मचारी नियुक्त कर लिए गए हैं।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के कार्यों को चार शाखाओं में आयोजित किया जायगा :

१. **सर्वेक्षण, जानकारी और सांख्यकी** : इस कार्य के लिये कुछ कर्मचारी भर्त्ती करने के लिये कार्यवाही की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रविधिक प्रशिक्षण : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और प्रविधिक सहायता के लिये स्विस फाउन्डेशन के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अधीन औजार बनाने के क्षेत्र में सूक्ष्म प्रकार के यंत्र बनाने के लिये कारीगरों को प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। फाउन्डेशन १५ लाख स्विस फ्रैंक्स के मूल्य तक की मशीनें और प्रशिक्षण का सामान देगा और इसके अतिरिक्त आठ वर्षों तक के लिये आठ विशेषज्ञ देगा।

३. नमूना और विकास (प्रमापीकरण, परीक्षण और किस्म नियन्त्रण समेत): संयुक्त राष्ट्र विशष निधि ने प्रविधिक सहायता की एक योजना स्वीकार की है जिसके अधीन विधि ने उपकरण उद्योग को प्रविधिक सहायता के लिये केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन को उपकरण, अधिछात्रवृत्ति और विशषज्ञों की व्यवस्था के लिये कुल ९,३५,५०० डालर की रकम आवंटित की है।

४. औजारों की मरम्मत : कुछ कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं और वे शीघ्र ही कार्य संभाल लेंगे।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

†२८०५. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की श्रोतृशाला का समय समय पर फिल्म दिखाने के लिय इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के लाभ के लिये कोई शैक्षणिक/प्रविधिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कुल कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया; और

(ङ) इन में से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला क्लब, दिल्ली अध्ययन सर्किल एवं लायन्स क्लब की ओर से कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, हां।

(ख) ताकि शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थायें सांस्कृतिक और धर्मार्थ कार्यों के लिये कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, कई शैक्षणिक और वैज्ञानिक समारोह किये गये।

---

†मूल अंग्रजी में

(ङ) कार्यक्रमों की संख्या

	१९५९	१९६०	१९६१
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	७	८	१
दिल्ली अध्ययन सर्किल	—	३	१
लायन्स क्लब . .	—	२	१

वन सर्वेक्षण नक्शे

†२८०६. **श्री संगण्णा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग के कार्यालयों में वन सर्वेक्षण नक्शे उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). यह राज्य का विषय है और वन सर्वेक्षण नक्शे बनाने और उनको बेचने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत के सर्वेक्षण विभाग के पास कुछ वन सर्वेक्षण नक्शे उपलब्ध हैं।

मद्रास राज्य का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२८०७. **श्री सुब्बय्या अम्बलम् :**
श्री पलनियाण्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिग्नाइड, कोयला, खनिजों तथा तेल के निक्षेपों का पता लगाने की दृष्टि से उस राज्य का अच्छी तरह भूतत्वीय सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारवाई की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). इन खनिज के बारे में विशेष रूप से मद्रास सरकार में कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की है। तथापि कावेरी के तास में श्लोका कार्य किये जाने के बारे में एक प्राथना प्राप्त हुई थी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कौरो मण्डल तट तथा कावेरी तास में भूभौतिकीय सर्वेक्षण कर रहा है। वहां तेल या प्राकृतिक गैस मिलने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली नगर निगम के लिये इमारत

†२८०८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामलीला मैदान के सामने 'सकुलर रोड' पर दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों के लिये एक १६ मंजिल वाली इमारत का प्रस्ताव किस हालत में है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : दिल्ली नगर निगम की निर्माण कार्य समिति ने निगम को अनुमोदन के लिये ६/९ जनवरी १९६१ को इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी। प्रस्ताव अभी निगम के विचाराधीन है।

बैंक

†२८०९. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने बैंक हैं;

(ख) उनमें से कितने बैंकों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) उनमें से कितने बैंक भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित है।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). १ अप्रैल १९६१ को जो स्थिति थी उस की सूचना नीचे दी जाती है :—

देश के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या (उन को छोड़ कर जिन को लाइसेंस इनकार कर दिये गये हैं/रद्द कर दिये गये हैं और वे जिनका विलय कर दिया गया है	बैंकों की संख्या जिन को लाइसेंस दिये गये हैं तथा वे जिन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं	भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों की संख्या
३५१	७६	८९

आर्मी वर्कशाप, दिल्ली

†२८१०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप दिल्ली छावनी में १९६० के अन्त में उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) १९५८–५९ तथा १९५९–६० में उत्पादन कितना था; और

(घ) १९६० की अपेक्षा उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). इस तथा कुछ अन्य वर्कशापों का पुनर्गठन एवं वैज्ञानिकन किया जा रहा है ताकि मरम्मत में सुविधा हो और उत्तम उत्पादन प्राप्त हो सके। इसका प्रभाव कुछ समय के बाद ही देखा जा सकता है जब शोधित क्षमता पूरी स्थापित हो जाए और कार्यान्वित कर दी जाए। कुछ उपकरणों के मामले में, १९६० के उत्तरार्ध में उत्पादन १९५८–५९ की इसी अवधि की तुलना में दुगना या तीन गुना हो गया है। कुछ दूसरे उपकरणों के मामले में मरम्मत कुछ कम हुई है। परन्तु फिर भी १९५८–५९ की तुलना में १९५९–६० में उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुई है। इस वर्कशाप के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े बताना लोकहित में नहीं होगा।

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल में द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों की समाप्ति

†२८११. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके एक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में काम आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाने का काम किस महीने और किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा ?

†**विधि उपमन्त्री (श्री हजारनवीस)** : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही प्रारूपित किया जाएगा।

(ख) काम लगभग जून १९६१ के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

केन्द्रीय शिक्षण संस्था में प्रार्थना

२८१२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षण संस्था में नित्य होने वाली प्राथना में सभी शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को सम्मिलित होना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी मुद्रणालय से कोई सम्मिलित प्राथना पुस्तिका (असेम्बली प्रेयर) प्रकाशित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसे सभी लोगों के लाभ के लिये जो उसका लाभ उठाना चाहें।

उत्तर प्रदेश में तेल के लिये छिद्रण

†२८१३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में तेल के सफल भूतत्वीय सर्वेक्षण की दृष्टि से, क्या उसके लिये छिद्रण तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उस राज्य में किसी स्थान पर लिया जाएगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश की तराइयों में अभी जो पर्याप्त भूकम्पीय काम किया जाने वाला है उसके परिणाम के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाएगा, तो छिद्रण कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैदानों में उफानी के पास कम गहराई का स्ट्रक्चरल छिद्रण प्रगति पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रद्दी लोहे सम्बन्धी समिति

†२८१४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहे समबन्धी समिति स्थापित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या कार्य हैं;

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' हैं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नई चादर की कतरनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सरकार ने लोहा और इस्पात नियन्त्रक की अध्यक्षता में रद्दी टुकड़े के सब पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित करने का फैसला किया है और आशा की जाती है कि यह समिति बहुत शीघ्र कार्य आरम्भ करेगी ।

(घ) और (ङ) नई चादरों की कतरनों का निर्यात नहीं करने दिया जाता क्योंकि इनका देश में औद्योगिक स्क्रैप के रूप में उपयोग किया जाता है ।

सैलम जिले में रसिपुरम का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२८१५. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य के सैलम जिले में रसिपुरम में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) क्या यह सच है कि रसी पुरम के रेत में सोना मिलता है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(घ) क्या भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर हां है, तो कब तक सर्वेक्षण पूरा होने की आशा है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई ।

(ख) तथा (ग) यह सम्भव है कि पहाड़ियों से निकलने वाले नालों की मिट्टी में कुछ सोना हो सकता है किन्तु इस क्षेत्र में कोई स्वर्ण क्षेत्र मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Committee for Ferrous Scrap.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें

२८१६. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को १९६० में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) १९६० में राज्यवार ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं; और

(ग) कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई या की जा रही है और शेष कितनी शिकायतों पर अभी तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) १६ शिकायतें प्राप्त हुई; किन्तु उनमें से सब में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे ।

(ख) और (ग). एक विवरण पत्र संलग्न है **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]**

आदिम जातीय झूमियों को कृषि सम्बन्धी ऋण

†२८१७. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झूमिया पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आदिमजातीय झूमियों को जो सहायक अनुदान दिया गया था, उसे कुछ मामलों में बदल कर कृषि सम्बन्धी ऋण बना दिया गया है और उन्हें ऋण अदा करने के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्रवाई के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितने लोगों का ऐसा ऋण बनाया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में आग लगाया जाना

†२८१८. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० में त्रिपुरा में वैष्णवपुर के मागो के घरों को आग लगाने के सम्बन्ध में कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उन पर दोषारोपण किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन लोगों को मालूम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं जिन्होंने आग लगाई थी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में सब राम डिवीजन में वैष्णवपुर गांव में १ दिसम्बर १९६० को प्रातःकाल माग जाति के कुछ आदिम जातीय लोगों और विस्थापित किरायेदारों में जो दंगा हुआ था, उस के दौरान दोनों पक्षों के लोग घायल हुए तथा एक माग आदिमजातीय व्यक्ति जिसका नाम भरतू या सौथा था, उसके घर को आग लगा दी गई । शरारती लोगों ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये भागते समय घर में एक जलती हुई लकड़ी फेंक दी । अपराधी का पता नहीं चल पाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के विद्यार्थियों को पुस्तक-अनुदान

†२८१९. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शिक्षा वर्ष के लिये त्रिपुरा में कितने विद्यार्थियों को पुस्तक-अनुदान दिया गया;

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के पृथक् पृथक कितने विद्यार्थी थे ;

(ग) त्रिपुरा के कितने विद्यार्थी इस समय कला समेत शिक्षा की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन त्रिपुरा से बाहर कर रहे हैं और केन्द्र या सरकार से सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) उन में से कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं और कितने अनुसूचित आदिम जाति के ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३५८७ ।

(ख) अनुसूचित जाति के ३९०
अनुसूचित आदिम जाति के ३१६

(ग) १९३

(घ) अनुसूचित जाति के ३२
अनुसूचित आदिम जाति के ९.

'चेन्ना बासवनायक'

†२८२०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री मुहम्मद इमाम : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य**-मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी की कन्नड़ सलाहकार समिति ने कन्नड़ उपन्यास 'चेन्ना बासवनायक' का दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के अपने संकल्प पर जोर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो साहित्य अकादमी के कार्यपालिका बोर्ड का फैसला क्या है और इस पर कब विचार किये जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) और (ख). जो स्थिति २१ नवम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर में बताई गई थी, उस में कोई परिवर्तन नहीं हुई।

अभियोग चलाने पर केन्द्रीय सरकार का व्यय

२८२१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अभियोग चलाने और कानूनी राय लेने पर कुल कितना व्यय किया; और

(ख) यह व्यय पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में कैसा है ?

विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). इस बारे में जानकारी अभी सुलभ नहीं है । सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से इसे इकट्ठा करना होगा । इस में काफी समय लगेगा । जानकारी प्राप्त हो जाने पर शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 'Chenna Basavanyaka'

उड़ीसा में सरकारी गैस्टहाउस

†२८२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में राज्यपाल भवन के अहाते (प्रांगन) में दूसरा सरकारी गैस्ट हाउस खोला जा रहा है;

(ख) क्या इस नये गैस्ट हाउस की देख भाल करने के लिये निदेशक का एक नया पद बनाने का फैसला किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस नवीन पद का वेतन क्या होगा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय उद्योग के लिये कोयला

†२८२३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के लिये भारतीय चाय उद्योग को कोयले की कितनी जरूरत है;

(ख) क्या उद्योग की कोयले की पूरी आवश्यकता पूरी की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) से (ग). चाय बनाने के मौसम १९६१ के लिये भारतीय चाय उद्योग की कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता २,८६,७८९ टन थी। इस आवश्यकता के मुकाबले में संभरण लगातार जारी रखा गया है और ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई कि चाय उद्योग को कम कोयला भेजा गया है ।

स्वामित्व के आधार पर खनिज लाइसैन्स

२८२४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के राजस्व विभाग के पत्थर की खान और खान विभाग में स्वामित्व के आधार पर लाइसैन्स देने का क्या आधार है; और

(ख) किन-किन खनिजों का लाइसैन्स दिया जाता है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा खनिज रियायत नियमावली, १९६० में बनाये गये नियमों के अनुसार मुख्य खनिजों के लिए और दिल्ली लघु खनिज नियमावली, १९३८ के अनुसार लघु खनिजों के लिए स्वीकृतियां दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में चीनी मिट्टी, विल्लौरी पत्थर, फीरोज़ा, अबरक, पत्थर, बजरी और यमुना-रेत की स्वीकृतियां दी जाती हैं ।

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

†२८२५. **श्री वीरेन्द्र बहादुरसिंहजी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के दफ्तर में एक चोरी की घटना पायी गई है;

(ख) इस चोरी से कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या मामले की सूचना पुलिस को दी गई है; और

(घ) जांच की प्रगति का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में सरकारी धन के गबन की एक घटना हुई है । खज़ान्ची भाग गया है ।

(ख) २८ फरवरी, १९६१ की सायंकाल को दिखाये गये रोकड़ बाकी के अनुसार, हानि अनुमानत: ४७,००० रुपये की है । हानि की सही राशि का अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है ।

(घ) यह पता चला है कि भागा हुआ खजानची गिरफ्तार कर लिया गया है और उस से ४०,००० रुपये वसूल हुए हैं । अग्रेतर जांच जारी है । विभागीय जांच भी चल रही है ।

सरायकेला और खरसवान में जनगणना

†२८२६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सरायकेला और खरसवान के हाल की जनगणना के आंकड़े अब तक प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दो क्षेत्रों में १९६१ की जनगणना में कितने लोगों को उड़िया भाषी लिखा गया है; और

(ग) इन दो क्षेत्रों में और भाषा बोलने वालों की भाषावार कितनी जनसंख्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) सरायकेला और खरसवान नगरों की अस्थायी जनसंख्या क्रमश: ५४८६ और ४०२१ है । ये जोड़ सर्वथा अस्थायी हैं क्योंकि जनगणना लिखने वालों द्वारा जो आंकड़े एकत्र किये गये हैं उन पर कोई जांच नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विमान बल प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारी

†२८२७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की सिफारिशें विमान बल प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये नये वेतन क्रमों को भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है ; और

(घ) सरकार ने इस की शीघ्र कार्यान्विति के लिये क्या कारंवाई की है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). विमान प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों की अधिकांश श्रेणियों के लिये वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शोधित वेतन क्रमों की घोषणा की जा चुकी है। एयरमैनों के पदों पर लगाये स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों समेत असैनिक कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिये उपयुक्त शोधित वेतन क्रम निर्धारित करने का प्रश्न अब सरकार के विचाराधीन है ।

खमरिया में आयुध फैक्टरी अस्पताल

†२८२८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खमरिया (जबलपुर) के आयुध फैक्टरी अस्पताल में पिछले दस महीनों में कोई लेडी डाक्टर काम नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दो लेडी डाक्टरों के पद इस अस्पताल में हैं ;

(घ) दो लेडी डाक्टर न रखने के क्या कारण हैं ;

(ङ) महिला रोगियों के इलाज के लिये वर्तमान प्रबन्ध क्या है ; और

(च) लेडी डाक्टरों का प्रबन्ध करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). आयुध फैक्टरी खमरिया में लेडी डाक्टरों के दो पद हैं, किन्तु पिछले दस महीनों से वहां कोई लेडी डाक्टर काम नहीं कर रही क्योंकि एक लेडी डाक्टर ने त्यागपत्र द्वारा अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरी अधिकृत चिकित्सा छुट्टी पर गई हुई है ।

(ङ) गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में नियुक्त लेडी डाक्टर खमरिया अस्पताल में सप्ताह में दो बार आती है । इसके अतिरिक्त खमपिया के दूसरे डाक्टर महिला रोगियों का इलाज करते हैं।

(च) रोजगार दफ्तर और समाचारपत्रों में विज्ञापन के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी चनने का प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली ।

पश्चिम बंगाल में चीनी राष्ट्रजन

२८२९. श्री खुशवक्त राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पश्चिम बंगाल में कितने चीनी राष्ट्रजन निवास कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से ७० प्रतिशत ने चीन के पासपर्ट लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) क्या वे राज्यहीन नागरिक बन कर भारत में रहना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १ जनवरी, १९६१ को पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड चीनी राष्ट्रजनों की संख्या ८४११ थी ।

(ख) और (ग). उनमें से बहुतों ने जो लम्बी अवधि से भारत में बसे हुए हैं प्रार्थना की है कि उन्हें राज्यहीन व्यक्ति मान लिया जाये ।

उड़ीसा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†२८३०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा राज्य में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति उड़ीसा राज्य सरकार को दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

स्पष्टतया, प्रश्न में 'राज्य' क्षेत्र की शिक्षा विकास योजनाओं की ओर निर्देश किया गया है, जिसके बारे में प्रतिक्रिया यह है :—

पहले तो राज्य सरकारें स्वयं अपने शिक्षा विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं । फिर उन कार्यक्रमों पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलों द्वारा विचार किया जाता है । तब योजना आयोग कार्यकारी दलों की सिफारिशों को ध्यान में रखता हुआ उनके लिये धन आवंटित करता है । इसके पश्चात् राज्य सरकारें अपने-अपने कार्यक्रमों को स्वयं अन्तिम रूप देती हैं और ऐसा करते हुए आवंटित धन राशियों को ध्यान में रखती हैं । फिर वे उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही करती है । इस प्रकार राज्य सरकारों की पंचवर्षीय योजनाओं में जो योजनाएं और कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम—उनके बारे में भारत सरकार द्वारा कोई प्रशासनिक स्वीकृति दी जाने का सवाल ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में लड़कियों के लिये स्कूल छात्रावास

†२८३१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ और १९६१-६२ में उड़ीसा राज्य में मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों की छात्राओं के लिये छात्रावास बनाने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) क्या उसके आवेदन पत्र मंजूर किये जा चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गई है और दी गई है ; और

(घ) किन किन स्कूलों के लिये राज्य सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, १९६०–६१ के लिये क्योंकि उससे केवल उसी वर्ष के लिये आवेदन पत्र भेजने के लिये कहा गया था ।

(ख) भाग (क) उल्लिखित संस्थाओं से प्राप्त पांच आवेदन पत्रों में से चार स्वीकार कर लिये गये हैं

(ग) १,८८,४०० रुपये, जिसमें से केन्द्रीय अंशदान १,४१,३०० रुपये मंजूर किया गया है ।

(घ) १. गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बोलनगीर* ।

२. गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, भद्रक ।

३. गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बांकी ।

४. महाराज गर्ल्स हाई स्कूल, परलीकीमेडी ।

५. गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जगतसिंगपुर ।

कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता

†२८३२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कलकत्ते में कोयला नियंत्रक के कार्यालय के लगभग ५०० कर्मचारियों में से २६५ कर्मचारियों को जिन्हें जुलाई, १९६० की हड़ताल के दौरान १२ से १६ जुलाई, १९६० तक अनुपस्थित रहने के लिये कोई दंड नहीं दिया गया था, अपनी वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गयी है ;

(ख) क्या यह इस कारण है कि उपर्युक्त अनुपस्थिति की अवधि माफ नहीं कर दी गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि इस अनुपस्थिति को माफ करने के लिए आदेश जारी किये जा चके हैं ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) क्या ये आदेश कार्यान्वित किये जा चुके हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). जुलाई, १९६० में हड़ताल की अवधि में अनुपस्थिति माफ करने के आदेश कार्न्वित न करने के कारण वेतनवृद्धि रोके जाने का कोई मामला नहीं है । फिर भी कोयला नियंत्रक के संगठन के ३८१ कर्मचारियों को

---

†मूल अंग्रेजी में

*राज्य सरकार के निवेदन पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बोलनगीर के नाम के स्थान पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, अठगढ़ का नाम रख दिया गया है ।

वार्षिक वेतनवृद्धि इस कारण नहीं दी जा सकी कि उनकी सेवा-पुस्तकें (सर्विस बुक्स) नये वेतनक्रम के अनुसार उनके वेतन पुनर्निधारित करने के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग के पास भेज दी गयी थीं। अनुमान है कि उनकी वेतनवृद्धि अब उन्हें शीघ्र ही दे दी जायगी।

भारत में कोयले की समस्यायें

†२८३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले की समस्या का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित ब्रिटिश राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम खान कर्मचारियों के मामलों का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). भारत सरकार की प्रार्थना पर ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का सामान्यतया सर्वेक्षण करने तथा कोयला निकालने की क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के एक विशेषज्ञ को भेजा था। इस विशेषज्ञ ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें काफी समस्यायें शामिल हैं जैसे संगठन और प्रबन्ध, मशीनीकरण, साज सामान का उचित रखरखाव और उसका अधिकतम उपयोग, कोयला तैयार करना और खानों में सुरक्षा की समस्यायें। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अभी उस रिपोर्ट की छानबीन कर रहा है।

(ग) यदि प्रश्न का आशय खान कर्मचारियों के मामलों के प्रबन्ध से हो तो कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी ओर सरकार का ध्यान दिया गया हो। यदि प्रश्न का आशय राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों से हो तो उत्तर भाग (क) और (ख) में दिया जा चुका है जहां यह बताया गया है कि रिपोर्ट से उत्पन्न, संगठन तथा प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है।

उड़ीसा में बकाया बिक्री-कर

†२८३४. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक बिक्री कर की बहुत बड़ी रकम बकाया पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च १९६१ के अन्त तक उस राज्य के विभिन्न जिलों से कितनी रकम बकाया थी;

(ग) बकाया रकम वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही न की जा रही हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६० को राज्य के विभिन्न जिलों में बकाया रकमें दिखाने वाला विवरण संलग्न है : **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) बकाया रकमें जमीन के लगान का बकाया वसूल करने के लिये जारी किये गये प्रमाण पत्रों के अन्तर्गत आ जाती हैं। प्रत्येक बिक्री कर मण्डल (सर्कल) में प्रमाणपत्र-न्यायालयों (सर्टिफिकेट कोर्टस) में मामले चला कर और बकाया वसूली के लिये सभी सभंव सहायता देकर बकाया वसूली के लिए कुछ कर्मचारी रखे गये हैं। चूंकि कुर्क जायदाद की बिक्री के लिये बोली लगाने वाले कठिनाई से मिलते हैं इसलिये सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि कुर्क सम्पत्ति के नीलाम में बहुत साधारण मूल्य पर बोली बोलने का अधिकार बिक्री कर विभाग को दिया जाये। बिक्री कर की बहुत बड़ी बकाया रकम को देखते हुए राज्य सरकार भी बिक्री कर विभाग के मामले निबटाने के लिये स्पेशल सर्टिफिकेट अफसर और कर्मचारी नियुक्त करने के प्रश्न की छानबीन कर रही है। इसके अलावा, जहां कहीं सम्भव हो, तीसरे पक्षों से व्यापारियों की बकाया रकमों की खास तरीके से वसूली के लिये बिक्री कर अधिनियम के अधीन जो भी शक्तियां उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बकाया आय-कर

†२८३५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० को आंकड़ों की तुलना में १ जनवरी, १९६१ को प्रत्येक आय कर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आय कर की कुल कितनी-कितनी रकम बकाया थी; और

(ख) १ मार्च, १९६१ को अलग अलग प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी रकम बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एच० टी० २ हवाई जहाज

†२८३६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में एच० टी० २ हवाई जहाज तैयार करने का काम रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख). १९६०–६१ के अन्त तक हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिडेड ने १६० एच० टी० २ हवाई जहाज बेचे हैं। अब और अधिक आर्डरों की कमी के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया है। यदि और अधिक आर्डर मिले तो उत्पादन फिर शुरू करना कठिन नहीं होगा।

उड़ीसा में बाढ़ पीड़ित राजनैतिक व्यक्ति

†२८३७. **श्री बं० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में अगस्त, १९६० में भयंकर बाढ़ से पीड़ित राजनैतिक व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम की सहायता दी जा चुकी है; और

(ग) उस प्रकार के कितने लोगों को सहायता मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। फिर भी, पीड़ित व्यक्तियों को जिनमें राजनैतिक व्यक्ति भी शामिल हैं, मुख्य मंत्री की सहायता निधि से (जिसका प्रशासन अब राज्यपाल द्वारा किया जाता है) कुछ भुगतान किये गये हैं।

दिल्ली में हायर सैकेंडरी स्कूल

२८३८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू सत्र से कितने नये हायर सैकेंडरी स्कूल दिल्ली प्रशासन की ओर से खोले जा रहे हैं;

(ख) स्कूल दिल्ली के किस-किस क्षेत्र में खोले जायेंगे; और

(ग) इनमें कितने लड़कियों के लिए और कितने लड़कों के लिये होंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). चालू शिक्षा सत्र में कोई हायर सैकेंडरी स्कूल खोलने का विचार नहीं है। १५ जुलाई, १९६१ से शुरू होने वाले अगले शिक्षा सत्र में २० हायर सैकेंडरी स्कूल (१० लड़कों और १० लड़कियों के) खोलने का विचार है, यदि दाखला चाहने वालों की संख्या को देखते हुए नये स्कूलों की आवश्यकता मालूम हो। क्षेत्रों का चुनाव कई बातों पर निर्भर है—जैसे दाखला चाहने वालों की संख्या, एवं स्कूल के लिये इमारत और जगह का मिलना इत्यादि।

दिल्ली छावनी में बिजली की दर

२८३९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० द्वारा दिल्ली छावनी के नागरिकों से ली जाने वाली बिजली के खर्च की दरें, दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली क्षेत्र के निवासियों से ली जाने वाली दरों की अपेक्षा अधिक हैं;

(ख) एम० ई० एस० द्वारा दिल्ली छावनी में और दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में ली जाने वाली बिजली की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या छावनी की दरों को कम कर के दिल्ली नगर निगम की दरों के बराबर करना सम्भव नहीं है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) दर निम्नलिखित हैं :—

	एम० ई० एस०	दिल्ली नगर निगम
रोशनी तथा पंखे	२८ नए पैसे प्रति इकाई	१९ नए पैसे प्रति इकाई।
घरेलू शक्ति	१९ नए पैसे प्रति इकाई	८ नए पैसे प्रति इकाई।

(ग) इन दरों को घटाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अखिल भारतीय फ्लैट रेट हैं जो कि देश भर की सैनिक संस्थाओं में बिजली सम्भरण पर आये खर्च के आधार पर नियत किये गये हैं। वह दर सभी छावनियों में लागू हैं, और किसी स्थान पर प्रचलित दरों पर अवलम्बित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली छावनी में जमीन के भीतर नालियां

२८४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में जमीन के भीतर गन्दी नालियां बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या छावनी के असैनिक क्षेत्र भी उसमें शामिल किये जायेंगे; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). दिल्ली छावनी में, जिसमें छावनी के असैनिक क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, भूगर्भ नालियां बिछाने की योजना बनाई गई है। योजना निरीक्षण के प्रारम्भिक स्तर पर है और इस योजना के परिपक्व होने पर ही पता चल सकेगा कि काम कब शुरू किया जायेगा।

दिल्ली छावनी में बिजली की कमी

२८४१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में असैनिक लोगों के लिये बिजली की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ;

(ग) क्या दिल्ली छावनी में असैनिक लोगों को बिजली लगवाने की अनुमति नहीं दी जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक बिजली लगाने की अनुमति मिल जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). दिल्ली छावनी में रहने वाले असैनिकों के लिये बिजली की कमी नहीं है और विद्युत् शक्ति से चलने वाली मशीनों को छोड़ कर बिजली के कनैक्शन स्वीकार किये जा रहे हैं। यह प्रतिबन्ध सलि लगाया गया है कि छावनी में बिजली की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें, अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाईं। जभी यह सम्पूर्ण हो गई असैनिक उपभोक्ताओं को विद्युत् शक्ति कनैक्शन देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

छावनी बजट

२८४२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड के सदस्यों को छावनी के बजट के प्राक्कलन नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में क्या तरीका अपनाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). छावनी बोर्ड के सदस्यों को बजट अनुमानों के मसौदे की प्रतियां देने की प्रथा नहीं है, विशेषकर के बड़े छावनी बोर्डों में। तदपि बजट अनुमानों के मसौदे और सम्बन्धित रिकार्ड और रजिस्टर, बोर्ड द्वारा विचार किये जाने से, कम से कम चार दिन पहले, सदस्यों के निरीक्षण के लिये, कार्यालय में रख दिये जाते हैं। सदस्यों को जो भी जानकारी चाहिए, उसे पाने की, उन्हें हर सहूलत दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बजट अनुमानों के मसौदे और उससे सम्बन्धित रिकार्ड और जानकारी की प्रतियां बनाने में, लम्बे चौड़े परिश्रम को सामने रखते हुए, वर्तमान का पद्धति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं।

कोयले का कोटा

†२८४३. **श्री राम शरण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ के लिये (१) ईंटें पकाने का कोयला (ब्रिक बर्निंग कोल) (२) घरेलू कोयला अर्थात् साफ्ट कोक हार्डकोक और (३) छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोयले का सालाना कितना कितना कोटा प्रत्येक राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के लिये रखा गया था;

(ख) जनवरी, १९६० से फरवरी, १९६१ तक अलग अलग प्रत्येक महीने में ईंटें पकाने के और छोटे उद्योगों के कोयले के कोटे में से कितना कितना उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली को दिया गया; और

(ग) यदि कोई असमानता हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग 'मुगल सराय से ऊपर' की दिशा में जहां तीनों राज्य स्थित हैं, सीमित परिवहन क्षमता के कारण पूरा पूरा कोटा नहीं भेजा गया है। उसका एक कारण यह भी है कि रेल द्वारा ले जाने के लिये तीनों किस्म के कोयले को नीची प्राथमिकता दी गयी है।

मद्रास राज्य में तांबा, सीसा और जस्त

†२८४४. **श्री नरसिंहम् :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदास राज्य में दक्षिण अर्काट के कल्लाकुरछी क्षेत्र में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा किये गये परीक्षणात्मक छिद्रणों से वहां तांबा, सीसा और जस्त मिलने का संकेत मिला है;

(ख) गुणात्मक तथा परिमाणात्मक संकेत क्या हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में और अधिक खोज करने के लिये और क्या क्या कार्यवाही की जायगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां। इस क्षेत्र में पहले छिद्र से २६ मीटर की गहराई पर लगभग ३ मीटर मोटे खनिज क्षेत्र का भेदन हुआ है। इस क्षेत्र में जस्त, सीसा और तांबा सल्फाई काफी मात्रा में दिखायी पड़ता है। उसके नमूने विश्लेषण के लिये भेज दिये गये हैं और परिणाम की प्रतीक्षा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस क्षेत्र में और अधिक काम इस समय जारी छिद्रण कार्यक्रम के परिणामों पर निर्भर है।

भारत के रिजर्व बैंक में भरती

†२८४५. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने क्लर्कों और टाइपिस्टों की जगहों के लिये मई-जून, १९६० में एक परीक्षा और इण्टरव्यू लिया था;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार अभी तक वास्तव में काम पर लगाये गये हैं; और

(घ) जो लोग प्रतीक्षा सूची में रखे गये थे उन्हें नियुक्त करने में देर के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। रिजर्व बैंक के नयी दिल्ली आफिस में क्लर्कों की भरती के लिये अप्रैल-मई, १९६० में एक लिखित परीक्षा और इण्टरव्यू लिया गया था।

(ख) छब्बीस।

(ग) और (घ). रिजर्व बैंक की भरती की प्रक्रिया के अधीन चुने गये, उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची सामान्यतया साल में एक बार, योग्यता के आधार पर बनायी जाती है और जब कभी जगह खाली होती है उनकी नियुक्ति की जाती है। अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है लेकिन अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है क्योंकि अभी तक आवश्यक संख्या में जगहें खाली नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ

२८४६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ की जो चारदीवारी गत वर्ष बनवाई गई थी उस पर कितनी लागत आई;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वह सारी की सारी दीवार गिर गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १४,८४२.७१ रुपये।

(ख) दीवार नहीं गिरी।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

त्रिपुरा में पिछड़े वर्ग

†२८४७. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में किन किन जातियों को पिछड़े वर्ग घोषित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मनीपुरी और नाथ जातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछड़े वर्ग के लोग किन लाभों के अधिकारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). त्रिपुरा में जिन जातियों को "अन्य पिछड़े वर्ग" समझा जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं :

१. बंखल

२. मनीपुरी

३. नगरछी

४. गटी

५. योगी या जोगी या नाथ

(ग) शिक्षा सम्बन्धी रियायतें जैसे मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां, वजीफे, पुस्तक-अनुदान और सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई ।

त्रिपुरा में रुपया उधार देना

†२८४८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में रुपया उधार देने के मामले में किसी कानून का नियन्त्रण है; और

(ख) यदि हां, तो उस कानून के अधीन १९६०–६१ में रुपया-उधारी के खिलाफ कितने मामले दायर किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

†२८४९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जिला बोर्डों द्वारा नियुक्त कई प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को वे स्कूल राज्य शिक्षा विभाग को सौंप दिये जाने के बाद अभी हाल नौकरी से अलग कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक जिले में ऐसे कितने शिक्षक हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० कां० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकटठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जौकोल (मनीपुर) में वनस्पति उद्यान

†२८५०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के बिशनपुर सब-डिवीजन में एक वनस्पति-उद्यान बनाया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिये कोई निधि दी है; और

(ग) यदि हां, तो वह कितनी रकम है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) इस विषय में एक योजना पर विचार हो रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात कारखानों में श्रीलंका के इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†२८५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका में स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखाने के लिये श्रीलंका के टैक्नीशियनों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उनमें से कितनों को प्रशिक्षण दिया जायगा और कहां ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). भारतीय इस्पात कारखानों में, आवश्यकता पड़ने पर, श्रीलंका के टैक्नीशियनों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने में भारत सरकार को खुशी होगी ।

उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम

†२८५२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कांग्रेस गणतन्त्र परिषद संयुक्त मन्त्रिमण्डल द्वारा अधिनियमित उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम को उस राज्य में राष्ट्रपति के शासन की अवधि में लागू न करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह अधिनियम किस तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा और उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम के अधीन प्रारूप नियम प्रकाशित किये गये हैं और आपत्तियां मांगी गयी हैं । जो आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं उनकी छानबीन हो रही है । अन्तिम रूप से नियम बनाये जाने के बाद ही अधिनियम लागू किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय

†**श्री आसर** (रत्नागिरि): नियम १९६ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें

"भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के कथित निर्णय से पैदा होने वाली स्थिति"

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : सरकार का ध्यान भी ऐसे सम्वादों की ओर आकर्षित हुआ है जिनसे गलत धारणा पैदा हो गयी है। जांच करने पर सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि श्रीलंका की सरकार को अपनी घोषणा के उत्तर में ६०,००० आवेदन पत्र श्रीलंका वासियों से और ५,००० आवेदन पत्र बाहर के व्यक्तियों से, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन पत्र ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने पहिले पहल राशन कार्डों के लिये आवेदन किया है। राशन कार्ड जारी करने के पूर्व श्रीलंका की सरकार प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच कर रही है और इस बात की पुष्टि कर रही है कि किसी अवैध आप्रवासी या अराष्ट्रिक को, जिनके विसा की अवधि समाप्त हो गयी है, ये राशन कार्ड जारी न होने पावें। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। श्रीलंका से बाहर रहने वाले निवासियों के आवेदन पत्रों पर भी इसी प्रकार विचार किया जा रहा है। अतः यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसकी विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री थानु पिल्लै** (तिरुनलवेली): क्या किसी व्यक्ति का राशन कार्ड इस आधार पर बदलने से इनकार किया गया कि इस बात की जांच की जा रही है कि वह सच्चा भारतीय है या अवैध आप्रवासी है ?

श्री सादत अली खां : मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रधान मंत्री पिछले दो दिनों से दिल्ली के बाहर गये हैं। शायद वे कल भी सभा में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। क्या आप प्रधान मंत्री से अनुरोध करने का कष्ट करेंगे कि उन्हें सत्र के दिनों में सभा में ही मौजूद रहना चाहिये चाहे बाहर कितना ही आवश्यक कार्य क्यों न हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री इस नियम के अपवाद हो सकते हैं। प्रधान मंत्री की उपस्थिति की देश में हर स्थान पर आवश्यकता होती है। इतना होने पर भी उन्होंने संसद की प्रतिष्ठा बनाये रखने का पूर्ण प्रयत्न किया है। वे प्रश्न काल में नियमित रूपसे उपस्थित रहते हैं। वे सभा से बाहर तभी जाते हैं जब उनकी उपस्थिति की अत्यन्त आवश्यकता होती है। मेरे विचार से यह प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है कि वह स्वयं इस बात का निश्चय करें कि उसे कहां जाना है कहां नहीं ? अतः ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये कि हम उनके दायित्व निभाने के मार्ग में रोढ़ा अटका रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कोयला बोर्ड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं कोयला बोर्ड के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०३/६१]

उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अन्तर्गत उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा १० फरवरी, १९६१ को प्रख्यापित उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का उड़ीसा अध्यादेश संख्या २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०१/६१]

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी)** : क्या गृह मंत्री उड़ीसा किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक को इसी सत्र में लेना चाहते हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया है । उसके अधीन विधान निर्माण की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित की गयी हैं । इस सम्बन्ध में एक परामर्शदातृ समिति भी बनायी जायेगी । यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है और यहां आने वाला है । परामर्शदातृ समिति के निर्माण के पश्चात् यह मामला उसके सम्मुख रखा जायेगा ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०४६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ के अधीन अधिसूचना तथा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० के संशोधन

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० वे० गोपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक १८ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ३५५ ।

(२) दिनांक १८ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ३५६ ।

(३) दिनांक २५ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ४०२ ।

(४) दिनांक २५ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ४०३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०५/६१]

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०६/६१]

प्राक्कलन समिति

एक सौ तेंईसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय–विकास शाखा के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ तेइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभा को ज्ञात होगा कि ६ मार्च, १९६१ को मैंने सभा में यह बताया था कि सरकार गेहूं के यातायात पर से प्रतिबन्ध हटाना चाह रही है । मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि इस विषय पर सावधानी से विचार करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गेहूं तथा गेहूं की वस्तुओं के लाने ले जाने पर से तत्काल देश भर में प्रतिबंध हटा लिया जाय । जिन कारणों से सरकार ने यह निश्चय किया है वे हैं : आगामी रबी की फसल की अच्छी होने की संभावना, केन्द्रीय रक्षित भंडार में खाद्यान्नों की काफी मात्रा, विदेशों से काफी मात्रा में आयात का कार्यक्रम तथा देश में गेहूं की वर्तमान दरों में कमी ।

नवीनतम समाचारों से ज्ञात होता है कि देश में इस वर्ष गेहूं की फसल काफी अच्छी होगी । गेहूं की वर्तमान दरों में गिरावट को देख कर कुछ क्षेत्रों में यह आशंका पैदा हो गयी थी कि यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार इस मामले में तत्काल कदम नहीं उठायेगी तो नयी फसल के बाजार में आने पर गेहूं की कीमतों में असामान्य रूप से गिरावट आ सकती है। इस बात की आशंका थी कि यदि तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इससे कृषकों के हितों पर आघात होगा और वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गेहूं तथा गेहूं की वस्तुओं के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध के हटाने से अब प्रमुख गेहूं उत्पन्न करने वाले राज्यों में गेहूं के दाम एक दम नहीं गिरने पावेंगे और इस प्रकार किसानों को उपयुक्त कीमत प्राप्त हो सकेगी।

खंड व्यवस्था के अधीन कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात किये जाने वाले गेहूं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिबन्धों को हटा लेने पर उन्हें अपनी पसन्द का गेहूं प्राप्त हो सकेगा।

केन्द्रीय रक्षित भंडार में उपलब्ध गेहूं की बड़ी मात्रा को देखते हुए, तथा बड़ी मात्रा में भारी आयात कार्यक्रम को देखते हुए इस बात की आशंका करने का कोई कारण नहीं है कि देश के किसी भाग में गेहूं की कीमतों में अत्यधिक चढ़ाव होगा। सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये बहुत अधिक गेहूं है। राज्य सरकारों को आश्वासन दिया जा चुका है कि उन्हें केन्द्रीय रक्षित भंडार से आवश्यक मात्रा में गेहूं दिया जा सकता है।

यह निश्चय किया गया है कि रोलर गेहूं की मिलों को केन्द्रीय रक्षित राशि से ही गेहूं दिया जाय तथा उनको आम बाजार से गेहूं खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने वाले लोग देश के बाजारों से गेहूं न खरीद सकें और देशी गेहूं सामान्य उपभोक्ता के लिये उपलब्ध रहे।

गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों के लाने ले जाने पर से सारे प्रतिबन्ध हटाने के लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं। अब सारे देश में गेहूं तथा गेहूं की वस्तुओं का स्वतंत्रतापूर्वक यातायात किया जा सकता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : माननीय मंत्री ने कल यह बताया था कि सरकार चावल के खंडों के बारे में भी कुछ निश्चय करने वाली है वह क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : चावल की स्थिति भी पहिले से बहुत अच्छी है। यदि स्थिति ऐसी ही रहे तो चावल के खंडों के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय किया जा सकता है।

अनुदानों की मांगें

पुनर्वास मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१-६२ के लिये पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७४	पुनर्वास मंत्रालय	२५,३३,०००
७५	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्प-संख्यकों पर व्यय	१०,३३,७३,०००
१३०	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	१५,४९,१७,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस समय केवल पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च, १९५८ के अन्त तक ४१.१७ व्यक्तियों ने पाकिस्तान से प्रव्रजन किया । तथापि १९६० के अन्त में हुई जनगणना के अनुसार बंगाल में विस्थापितों की संख्या इस समय ३१.३२ लाख है । इस में से २२.७५ लाख व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्राप्त हो चुकी है, १.२८ व्यक्ति शिविरों में हैं और ६.४४ व्यक्तियों ने पुनर्वास सहायता के लिये आवेदन ही नहीं किया है । अतः पुनर्वास मंत्रालय के अनुसार केवल शिविर में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को छोड़ कर यह समस्या हल हो चुकी है । तथापि हम ने देखना है कि वास्तविक स्थिति क्या है ।

जिन लोगों को सरकार ने बस्तियों में बसाया है उनकी यह स्थिति है कि उन्हें अपने छप्पर भी बेचने को बाध्य होना पड़ा है । इतना ही नहीं उनका व्यवसाय केवल भीख मांगना है । शरणार्थियों की सब से बड़ी संख्या नादियाद जिले में है तथापि उन्हें अभी तक आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है । आज उनके कारण पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था को धक्का लग चुका है । तथापि पुनर्वास मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है ?

नादियाद, चौबीस परगना और हुगली में शरणार्थियों की हालत और भी अधिक गिर गयी है । उनके लिये एक बुनाई मिल खोलने का आश्वासन दिया गया था । यह भी कहा गया था कि उनके लिये अन्य उद्योगों की स्थापना की जायेगी जिससे उनको रोजगार प्राप्त हो सके तथापि उनके लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया गया । हाल की बाढ़ से उनकी हालत और खराब हो गयी है ।

शरणार्थियों की बस्तियों में उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी एक बोर्ड, श्री जी० डी० बिड़ला की अध्यक्षता में खोला गया था, तथापि श्री सुकुमार सेन की अध्यक्षता में उसका पुनर्गठन किया गया तथापि अभी तक एक भी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना नहीं होने पायी है ।

जहां तक शिविरों का सम्बन्ध है वहां का जीवन नरक तुल्य है अतः उनको जितना शीघ्र हो सके बन्द कर देना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं दण्डकारण्य परियोजना को लेता हूं। २८ नवम्बर, १९६० को श्री सुकुमार सेन ने इसके पूरे समय कार्य करने वाले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तब से इस परियोजना में केवल योजनायें बनायी गयी हैं और संगठनात्मक कार्य ही किया गया है। दोनों कार्य कागज पर ही हुए हैं व्यावहारिक रूप में बहुत कम कार्य किया गया है।

शरणार्थियों को ६८ करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यह ऋण अदा नहीं कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति ऋण अदा करने के लिये अपने बरतन भांडे बेच रहे हैं। सरकार चाहती है कि उनसे ऋण की राशि वसूल की जाय। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को मानवोचित दृष्टिकोण से देखा जाय।

अब मैं छोटे पैमाने के उद्योगों को लेता हूं। कांटागंज में छोटे पैमाने के उद्योगों से शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये एक योजना बनायी गयी थी तथापि पिछले छः वर्षों से वहां केवल इमारत ही बन सकी है और अब उसकी यह हालत हो गई है कि जोरदार बारिश आने पर भी वह गिर सकती है। अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया गया।

यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण से भी सम्बन्ध रखता है तथापि १९५० के उपद्रवों में पीड़ित मुसलमानों के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री मुहम्मद इलियास ने भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था तथापि कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

अन्त में मैं आसाम से आये हुए शरणार्थियों की समस्या पर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें बिना किसी अपराध के अपनी धन तथा सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें ऋण देने के स्थान में उपदान दिया जाय जिससे कि वे अपने को ठीक तरीके से बसाने में सफल हो सकें।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाढ़) : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह इस मंत्रालय के जीवन का अन्तिम वर्ष है तथापि मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को बन्द करने के पूर्व हमें भली प्रकार सोच समझ लेना चाहिये।

यद्यपि सरकार ने यह दावा किया है कि वह २० लाख शरणार्थियों को बसा चुकी है तथापि सच्चाई यह है कि उनको भली भांति नहीं बसाया गया है उनकी हालत अभी तक बहुत शोचनीय है। उनकी वर्तमान अवस्था के लिये सरकार का प्रशासन ही जिम्मेदार है। अतः सरकार को उनकी समस्या पर ध्यान देने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय करना चाहिये।

प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों पर ६० करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इतनी राशि उनको सहायता इत्यादि के रूप में दी गई है। जब कि इतने धन से तो उन तीन चार लाख शरणार्थियों को अच्छी तरह से कहीं बसाया जा सकता था। इसलिये इस व्यय का कोई लाभ नहीं। दूसरी ओर इसका सामाजिक प्रभाव बड़ा बुरा पड़ा है। उन शरणार्थियों में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं। अच्छा तो यही होगा कि उन शिविरों को जल्द से जल्द खतम कर दिया जाये। और यदि आवश्यक हो तो इसके लिये कुछ सीमा तक बल-प्रयोग भी किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

मैं श्री प्रभात कार की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनको बिलकुल भी विवश न किया जाये। यह इसलिये जरूरी है कि शिविरों में इतने अर्से से रहने के कारण वे कुछ काहिल हो गये हैं। इसलिये उनको शिविर छोड़ कर दण्डकारण्य जाने के लिये कुछ विवश तो करना ही पड़ेगा। इसके लिये यदि उनको कुछ प्रलोभन भी दिये जाने हों, तो देने चाहियें। यदि पश्चिमी बंगाल दण्डकारण्य योजना का लाभ नहीं उठायेगा, तो उसे पछताना पड़ेगा।

साथ ही, दण्डकारण्य योजना भी थोड़ी लचकीली बनायी जानी चाहिये। ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिये कि वहां शिविरों में रहने वाले शरणार्थी ही, या शिविरों में न रहने वाले दस प्रतिशत तक शरणार्थी ही जा सकेंगे। जो भी शरणार्थी वहां जाने के लिये तैयार हों, उनको अवश्य ही जाने देना चाहिये। बाद में उनकी खुशहाली देख कर और भी शरणार्थी अपने-आप तैयार होने लगेंगे।

पश्चिमी बंगाल में आंशिक रूप से बसाये गये शरणार्थियों की सहायता के लिये सरकार की क्या योजना है? पश्चिमी बंगाल में यह समस्या काफी गम्भीर है और मंत्रालय को भंग करने से पहले इस समस्या का कोई हल निकलना ही चाहिये।

श्री प्रभात कार ने कहा है कि शरणार्थियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र और उनकी सम्पत्तियां नीलाम की जा रही हैं। । मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा-सुना। शरणार्थियों को जो ऋण दिये गये थे, उनकी वसूली नहीं हो पाती। उसमें कई पेचीदगियां हैं। पहले तो यह कि शरणार्थियों के पास उनकी अदायगी के लिये पैसा ही नहीं है। दूसरी यह कि उसमें कई कानूनी अड़चनें हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारों को उन ऋणों की वसूली के लिये नोटिस जारी नहीं करने चाहियें क्योंकि उससे शरणार्थियों में गलत मनोवृत्ति पैदा होगी। ३,००० रुपये या ३,५०० रुपये तक के साधारण पुनर्वास ऋणों को बट्टेखाते में डाल देना चाहिये। केवल वही ऋण वसूल किये जाने चाहियें जो उद्योग-धंधों के लिये दिये गये थे। इससे सरकार को कोई हानि इसलिये नहीं होगी कि वे ऋण तो वैसे भी वसूल नहीं होंगे। शायद इसीलिये यह नीति बनाई गई थी कि ऐसे ऋणों की वसूली का शत प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार पर रहेगा, वसूली न होने पर राज्य-सरकार को उसकी आंशिक हानि भी नहीं उठानी पड़ेगी।

श्री प्रभात कार का यह कथन भी सही नहीं है कि पिछले साल से दण्डकारण्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। प्रगति तो काफी हुई है। हां, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पहले-पहल बसने वालों को काफी कठिनाइयां पड़ेंगी। इसलिये उनको हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

सब से हाल की जनगणना के अनुसार पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्गमील १,००० व्यक्ति है। दण्डकारण्य में पश्चिमी बंगाल और केरल जैसे घने बसे राज्यों की अतिरिक्त जन-संख्या को बसाया जा सकता है।

लेकिन सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिये कि दण्डकारण्य योजना का व्यय अनुचित सीमा तक न बढ़ पाये। अपव्यय नहीं होने देना चाहिये। यह ग़लत है कि दण्डकारण्य को ट्रैक्टर-उद्योग का परीक्षण-स्थल बनाया जाये। वहां ऐसे ही ट्रैक्टर भेजे जाने चाहियें जो बिल्कुल अच्छी अवस्था में हों। खेद की बात है कि युद्ध सामग्री कारखानों से जो ५८ ट्रैक्टर लिये गये थे, उनमें से एक का भी उपयोग नहीं हुआ है। मंत्रालय को इसकी ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

सरकार ने प्रशिक्षण योजनाओं पर काफी व्यय किया है। लेकिन छोटे पैमाने के या कुटीर उद्योगों के अभाव के कारण उनका कोई भी लाभ नहीं हो पाता।

पुनर्वास उद्योग निगम को छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग पुनर्वास क्षेत्रों में शुरू करने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक माननीय सदस्य अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कर दें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : पुनर्वास मंत्रालय को अभी भंग नहीं किया जाना चाहिये। अभी पुनर्वास सम्बन्धी अनेक समस्यायें पड़ी हैं, जिनका हाल में कोई हल होता दिखाई नहीं देता। इसलिये मंत्रालय को कुछ दिनों तक अभी और बनाये रखना आवश्यक है।

पुनर्वास मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन वे अपर्याप्त हैं।

उन के बारे में मंत्रालय की कोई एक निश्चित नीति नहीं है। पठानकोट के हरिजन शरणार्थी १४–१५ वर्ष से जिन झुग्गियों में रहते आये हैं, अब उनके घर और उनकी जमीनें नीलाम कराई जाने वाली हैं।

अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना अनुचित है।

दण्डकारण्य परियोजना एक ऐसी बुरी शाइत में शुरू हुई थी कि उसमें हर तरह की पेचोदगियां शुरू होती चली जा रही हैं। लोग अपने-अपने राजनीतिक हित साधने में लगे हुए हैं। वे विस्थापितों की कठिनाइयों को दूर नहीं करना चाहते, बल्कि उनको साधन बना कर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वास्तव में हमें दण्डकारण्य योजना को एक राष्ट्रीय योजना समझना चाहिये। पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों को अपने राज्य के शरणार्थी-शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को दण्डकारण्य में जाकर बसने के लिये तैयार करना चाहिये। और यदि पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी वहां जाने के लिये तैयार न हों, तो अन्य राज्यों के शरणार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिये। नहीं तो दण्डकारण्य योजना हमारे देश के लिये कलंक बन जायेगी।

समझ में नहीं आता कि यह मंत्रालय अपने आपको भंग करने में इतनी जल्दबाजी क्यो कर रहा है। जबकि इतनी सारी समस्यायें उलझी हुई पड़ी हैं। हमारे मंत्री इतनी बार पाकिस्तान गये हैं लेकिन उन्होंने निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि, बीमा पालिसी, आदि छोटे छोटे मसलों का भी कोई खास हल नहीं निकाला। इनसे शरणार्थियों को बड़ी परेशानी होती है। मंत्रालय को इनके मानवीय पक्ष पर भी विचार करना चाहिये। पाकिस्तान सरकार के साथ बात करके शीघ्र ही इनका हल निकाला जाना चाहिये।

अन्त में, मैं एक भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं। यह बिलकुल गलत बात है कि हमारी सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ अपेक्षतः अच्छा व्यवहार किया है। पश्चिमी पाकिस्तान से ४७.४० लाख और पूर्वी पाकिस्तान से ४१·१७ लाख शरणार्थी आये हैं। सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर १९२·१९ लाख और पूर्वी पाकिस्तान से आये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

शरणार्थियों पर १९१.८९ लाख रुपये खर्च किये हैं। इसलिये उनके साथ पक्षपात होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को तो अन्य विभागों को नहीं सौंपा जाना चाहिये। दो वर्ष तक उनका प्रशासन पुनर्वास मंत्रालय के ही अधीन रहना ठीक होगा

आशा है, माननीय मंत्री इन सुझावों पर विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी।

†**श्री प्रमथनाथ बनर्जी** (कण्टाई): पंजाब और बंगाल ने जिन विपत्तियों का सामना किया है, उनको वर्तमान ही नहीं भावी पीढ़ियां भी याद रखेंगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के दोनों भाग किसी दिन फिर एक हो जायेंगे। बंगाल का विभाजन दूसरी बार हुआ है। पहला विभाजन १९०५ में बंग-भंग के समय हुआ था। दूसरा विभाजन १९४७ में देश स्वाधीन होने के समय हुआ।

पहले विभाजन के समय बिहार के नेताओं ने वचन दिया था कि स्वाधीनता के समय मानभूम, सिंघ भूम, पूर्निया और सन्थाल परगना, इत्यादि जिले बंगाल को लौटा दिये जायेंगे। लेकिन वह वचन कभी पूरा नहीं हुआ।

दूसरे विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं पर इतने अत्याचार किये गये कि उनको भागकर पश्चिमी बंगाल आ जाना पड़ा। वे पश्चिमी बंगाल में आकर विभिन्न राजनीतिक दलों के चक्कर में आ गये।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुछ शरणार्थी उड़ीसा और बिहार में भी गये थे, पर वहां रह नहीं सके। अब उनके लिये दण्डकारण्य योजना शुरू की गई है। पर वे वहां जाने में भी हिचक रहे हैं। राजनीतिक दलों को चाहिये कि उनको दण्डकारण्य जाने के लिये तैयार करें। इससे उनको रोजी मिल जायेगी। बंगाली लोग सदा से भ्रमणशील रहे हैं। उन्होंने दूर दूर तक अपनी बस्तियां बसाई हैं। बंगाल में भी वे बाहर से आकर ही बसे थे इसलिये उनको दण्डकारण्य में जाने से हिचकना नहीं चाहिये। पश्चिमी बंगाल उन सभी शरणार्थियों के लिये रोजी-रोटी नहीं जुटा पा रहा है। दण्डकारण्य में उनके बस जाने से बंगाली संस्कृति का प्रसार ही होगा।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : पुनर्वास मंत्रालय को भंग करने की बात चल रही है। पर अभी पुनर्वास संबंधी अनेकों समस्यायें अनिर्णीत पड़ी हैं। उनके संबंध में पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण करार किया जाना चाहिये।

दिल्ली में लाखों शरणार्थी गन्दी बस्तियों की हालत से भी बुरी, बदतर हालत में गुजर कर रहे हैं। पुराना किला, किंग्जवे कैम्प और फिरोजशाह कोटला में रहने वाले लोगों का भाग्य बड़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिश्चित है उनकी झोंपड़ियां राजधानी के लिये कलंक हैं। उनको आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनको उस स्थान से हटाया नहीं जायेगा। उनके रहने के लिये पक्के मकानों और दुकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सरकार इसमें मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। ५ रुपये प्रति गज की लागत की भूमि ३० से ५० रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी जा रही है वह भूमि शरणार्थियों को न लाभ न हानि के आधार पर दी जानी चाहिये।

पहाड़गंज के मुलतानी ढांडा क्षेत्र में शरणार्थियों और स्थानीय जनता के बीच विभेद किया जा रहा है वहां की भूमि के लिये शरणार्थियों से तो ६० और ८० रुपये प्रति वर्ग गज मांगा जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों से केवल साधारण किराया लिया जा रहा है।

पहले यह तय किया गया था कि शरणार्थियों को हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति पर पंजीयन कर नहीं लगाया जायेगा, लेकिन अब उस पर ४ प्रतिशत पंजीयन कर लगाया जा रहा है यह अनुचित है।

मेरी मांग है कि इन लोगों को दिये गये ऋण भी अल्प आय वर्ग के अधीन दिये हुये ऋण समझ लिये जायें और उनसे २० किश्तों में यह रकम वापस मांगी जाय, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि ८ किश्तों में यह रकम नहीं दे सकते हैं। अतः इस प्रश्न पर उदारता से विचार किया जाय। अन्य राज्यों में भी इस संबंध में स्थिति अच्छी नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों की हालत बहुत खराब है। वहां निष्क्रमणार्थियों की सम्पत्ति और शरणार्थियों के संबंध में कोई विधि नहीं है सारा कार्य कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार हो रहा है। जो लोग पख्तून अधीकृत क्षेत्रों से आये हैं या अन्य क्षेत्रों से आये हैं उन्हें अपने दावों के एवज में अभी तक केवल ३५०० रु० दिये गये हैं। उसमें से भी २५०० रु० उस भूमि के एवज में काट लिये जा रहे हैं जो कि उन्हें दी गयी है। इसके विपरीत उन निष्क्रमणार्थियों को जो पाकिस्तान जाकर वापस आ रहे हैं और जिनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तानी जासूस और खुफिया या विध्वंसक कार्य करने वाले हैं उनको उनकी सम्पत्ति वापस लौटायी जा रही है।

अन्य मामलों में भी इन शरणार्थियों के साथ पक्षपात का व्यवहार किया जाता है। मुज्जफराबाद और पूंछ के शरणार्थियों को काश्मीर में बसाने के मार्ग में रोड़ा अटकाया जा रहा है। इतना ही नहीं कथुआ मे लगभग ५०००० व्यक्तियों को जिन्हें भारत में रहते हुये दस बारह वर्ष हो गये हैं उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया है।

शरणार्थियों को उपदान वितरण करने के मामले में भी वहां पक्षपात से काम लिया जा रहा है। वस्तुतः जो रकम विस्थापितो के पुनर्वास में व्यय की जानी चाहिये थी वह उस कार्य में व्यय नहीं की जा रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस संबंध में एक जांच समिति बिठलानी चाहिये कि काश्मीर में पुनर्वास के कार्य के लिये दिये गये रुपये को किस प्रकार व्यय किया जा रहा है।

[श्री बलराज मधोक]

सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वे इस मंत्रालय से छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को दूसरे विभागों में खपाने की दिशा में पूरा प्रयत्न करे।

†**श्री शोभा राम** (अलवर) : मैं राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के विस्थापित व्यक्तियों की समस्यायें सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। जब वहां शरणार्थी बसाये गये थे तो उनके साथ सरकार ने कुछ खास शर्तों पर पट्टा लिखवाया था। उसमें कहा गया था कि वे उन्हें किराये पर नहीं उठायेंगे वे पट्टे में दी गयी किसी शर्त का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा वे कभी भी भूमि राजस्व की बकाया राशि देने से इनकार नहीं करेंगे। यह कहीं भी नहीं कहा गया था कि दस या पन्द्रह वर्षों के पश्चात् उनसे इस भूमि की कीमत मांगी जायेगी। तथापि अब उनसे इस जमीन की कीमत मांगी जा रही है।

इस संबंध में हमने पिछले वर्ष प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव के नाम से एक पत्र तत्कालीन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव को भेजा था। उसके उत्तर में पुनर्वास मंत्रालय से हमें यह उतर मिला कि किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि से नहीं निकाला जायेगा तथापि जो व्यक्ति उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त करना चाहे उसको उस भूमि की कीमत १५ बराबर की किस्तों में देनी होगी।

तथापि अब सरकार प्रतिकर पुंज में रकम एकत्रित करने के लिये इन जमीनों का नीलाम करना चाहती है। यदि इस भूमि का नीलाम किया जायेगा तो इन व्यक्तियों को पुनः अपना घर बार छोड़ना होगा। सरकार को निश्चित आश्वासन देना चाहिये कि जो लोग अपनी भूमि की कीमत को १५ किश्तों में चुकाने योग्य नहीं हैं और भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जाय। सरकार को इस समस्या की गम्भीरता पर विचार करना चाहिये। अन्य बातों के संबंध में मैं पुनर्वास मंत्रालय से पूरी तरह सहमत हूं। तथा मंत्रालय के कार्यों से पूर्ण-रूपेण सहयोग करने को तैयार हूं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : पुनर्वास मंत्रालय के पास अभी काफी समस्यायें हैं जिसके कारण इस मंत्रालय को इस वर्ष के अन्त तक बन्द करना संभव नहीं होगा।

मंत्रालय का पहिला काम निष्क्रमणार्थियों तथा शरणार्थियों को दिये गये मकानों के संबंध में है। लगभग १०० करोड़ रुपये की निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति में से ६५.२७ करोड़ की सम्पत्ति का ही निपटारा हो सका है। जहां तक निष्क्रमणार्थी मकानों की संख्या है २,८६,१४८ निष्क्रमणार्थी मकानों तथा १,९४,४४२ सरकारी मकानों में से अभी तक केवल ३,५१,९९४ मकानों का ही निपटारा हो चुका है। अतः यह असंभव है कि अवशेष सारा कार्य कुछ ही महीनों में हो सके।

जहां तक कृषि संबंधी भूमि का संबंध है अभी २०९,५२६ व्यक्तियों को उनको दी गयी भूमि में स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं। यह कहा गया है कि कुछ लोग स्थायी अधिकार प्राप्त करने को उत्सुक ही नहीं हैं। यह बात गलत है तथापि जब अभी ४० प्रतिशत व्यक्तियों को स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं, तब इतने शीघ्र मंत्रालय का काम समेट लेना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यद्यपि पंजाब के बाहर ५८,००० विस्थापित परिवार हैं तथापि उनमें से अभी तक केवल १२,३४७ व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी जमीन पर स्थायी अधिकार प्राप्त हुआ है अवशेष ४६,००० व्यक्तियों को किसी प्रकार के अधिकार मिले ही नहीं हैं अतः यह कहना गलत है कि मंत्रालय का कार्य समाप्त हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं उन समस्याओं को लेता हूं जिनका अभी तक पाकिस्तान से निपटारा नहीं हुआ है। यद्यपि अभी हाल पाकिस्तान से इस संबंध में वार्त्ता हुई तथापि उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इस संबंध में संयुक्त स्कंध समवायों का प्रश्न अभी तक निलम्बित पड़ा हुआ है मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे वित्त मंत्रालय पर इस बात के लिये दबाव डालें कि उन समवायों को भी उसी दर पर प्रतिकर मिले जिस दर से अन्य व्यक्तियों को मिलता है।

चौथा प्रश्न मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों का है। इनको न केवल अन्य मंत्रालयों में खपाया जाये, अपितु इस बात का प्रयत्न किया जाये कि इन्हें वे पेंशन इत्यादि के लाभ भी प्राप्त हों जो इन्हें सामान्य रूप से मिलने चाहिये थे।

अब मैं विस्थापित व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं को लेता हूं उनके संबंध में अभी ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने भी पंजाब में कुछ प्रन्यास संपत्ति छोड़ी है। यह उन्हें हस्तांतरित नहीं हुई है। इस सम्पत्ति को सुयोजित तरीके पर उन्हीं लोगों को दे दी जाय जिनके पास उनका कब्जा है, इस प्रकार उनकी स्थायी व्यवस्था की जाय।

दण्डकारण्य परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। यदि पश्चिम बंगाल के शरणार्थी वहां नहीं जाना चाहते हैं तो सरकार को चाहिये कि अन्य राज्यों के शरणार्थियों को भी वहां की भूमि वितरित की जाय।

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनर्वास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने और उस को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ पुराने साथी शायद यह सोचेंगे कि यह तो हमेशा इस मंत्रालय को कोसता आया है कि उसका काम बहुत खराब है, लेकिन आज यह धन्यवाद कैसे दे रहा है। दरअस्ल बात यह है कि जब बछड़े को दूध नहीं मिलता है अपनी मां के स्तनों से तो वह डड्ढे लगाया करता है और जब दूध मिल जाता है तो वह अपनी जगह पर आनन्द से लौट जाता है। इसी प्रकार कामधेनु रूपी सरकार का स्तन रूपी पुनर्वास मंत्रालय है, जिस से दूध मिलता था और उस दूध को पी कर अब बछड़ा बड़ा हो गया है और अब उसे दूध पीने की आवश्यकता नहीं रही है। मुझे शायद और किसी जगह का एक्स्पीरिएंस न हो, लेकिन राजस्थान के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार ने हमारे राजस्थान के बारे में जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान के अन्दर हरिजनों के लिये भारत सरकार ने जो कार्य किया है अगर उसी प्रकार से और प्रदेशों की सरकारें भी करतीं तो जो दलित वर्ग के भाई जो पाकिस्तान से आये हैं उन की समस्या काफी सुलझ जाती।

मुझे खुशी है कि हमारे बीकानेर के गंगानगर जिले के अन्दर लगभग चार हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान के अन्दर एक पैसे की प्रापर्टी नहीं थी, एक इंच उन के पास जमीन नहीं थी, ऐसे लोग थे जो इधर उधर ठोकरें खाते फिरते थे, पाकिस्तान में भिन्न प्रकार के धन्धे करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को आबाद कर के एक महान् कार्य किया है। आज हमारे पुनर्वास मंत्रालय का जो इतना बड़ा यज्ञ था, वह समाप्त होने जा रहा है और शायद उस की पूर्ण आहुति दे कर श्री खन्ना साहब इस यज्ञ को अब समाप्त करने भी जा रहे हैं। इतने बड़े कामों के अन्दर कुछ त्रुटियां तो होती ही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग कुछ समस्याओं को ले कर सरकार के सम्बन्ध में अलग अलग रायें रख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, हरिजनों के लिये जो कार्य हुआ है उसके लिये मैं सरकार का बहुत आभारी हूं।

[श्री प० ला० बारुपाल]

मेरी कोई विशेष डिमांड नहीं है, लेकिन गंगा नगर के अन्दर अभी मैं गया तो देखा कि लगभग १५० परिवार ऐसे हैं जिन्होंने किसी कारण वश समय के अन्दर अपनी किश्तें अदा नहीं की हैं। एक तो वहां पर लगभग हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ने से, और कुछ उन को समय पर पानी न मिलने से, कुछ समय पर साधन उपलब्ध न होने से वे अपनी जमीन पर अच्छी तरह से काश्त नहीं कर पाते, इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस मंत्रालय को भी, मैं समझता हूं, ज्यादा दिनों तक चलाना सरकार उपयुक्त नहीं समझती है। वे लोग समय पर अपनी किस्तें नहीं भर सके इसलिये उनकी जमीने कैंसेल कर दी गईं, और उन जमीनों को सरकार किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को अलाट कर रही है। हमारे भारत की यह परम्परा रही है कि जिस को कुछ दिया उस से फिर वापस नहीं लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उनकी नालायकी हो सकती है, उनकी अकर्मण्यता हो सकती है कि इस प्रकार से निकम्मापन अपना कर बैठ गये, आलसी बन कर बैठ गये, और किस्तों को देने की चेष्टा नहीं की, यह सोच कर कि शायद सरकार उन को माफ कर देगी। मैं इसमें सरकार को दोष नहीं दूंगा, जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं उन्हीं को दोष दूंगा। फिर भी मेरा निवेदन है कि एक बार उनको और मौका दिया जाय। इस फैसले के होने के बाद जो जमीनों की कीमत की पहली किस्तें हैं वे उनको वे भर देंगे, और उसके बाद वे बराबर किस्तें अदा करते रहेंगे। अगर वह न दे पायेंगे तो फिर मैं एक बार भी उन के बारे में नहीं कहूंगा और सरकार फिर उन को कैंसेल कर सकती है लेकिन एक बार मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भाई हों, हरिजन हों या कोई और हों, सब को जमीनें लौटा दी जायें और जो उनकी जमीनें दूसरों को अलाट की जा रही हैं वह न किया जाय।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा नगर है वहां पर अभी तक कोई हरिजन बस्ती नहीं बसायी गयी है। जैसी कि और जगहों पर आपने बसायी है। बीकानेर में कमलानगर नाम की बस्ती बसाई गई है। मैं चाहता हूं कि कुछ हरिजन भाई जो हमारे जैसों के घरों में रहते थे उनको उस बस्ती में बसने की सुविधा दी जाए। वे ४० से ५० परिवार होंगे। मैं वहां की सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेम्बर हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उनको वहां जमीन सस्ते दामों पर दिला दूं। अगर उनके लिए छोटे मोटे मकान बना कर सरकार उनको दे दे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा।

मेरे पड़ौसी प्रदेश पंजाब है और वहां पर जिला फिरोजपुर में कुछ लोग पाकिस्तान बनने के पहिले भी मुसलमान भाइयों के मकानों में रहने लगे हैं। अब वे मकान उन से वापस मांगे जा रहे हैं और उन को नीलाम कराया जा रहा है उतनी ही कीमत वह भाई जो इस मकान में रह रहे हैं देने के लिये तैयार हैं तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों से उन मकानों को छुड़ाना ठीक नहीं है। अगर रिफ्यूजीज़ को देना हो तब तो दूसरी बात है क्योंकि सब से पहले उनका हक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन लोगों से उन मकानों को न लिया जाए।

तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो तीन सुझाव दिए हैं उन पर सरकार विचार करेगी। एक तो यह कि बीकानेर में ४०–५० हरिजन परिवारों की बस्ती बनाना, दूसरा गंगानगर में जिन लोगों की जमीन कैंसिल की जा रही है उसको रोकना और तीसरे वे भाई जो पाकिस्तान गए हुए मुसलमान भाइयों के मकानों में बैठे हैं उनको उनमें से न हटाना।

मैंने आप से पांच मिनट का समय मांगा था, इसलिये मैं उससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं पुनर्वास मंत्री को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि जो लक्ष्य मैं ने

विस्थापितों की सेवा करने का बनाया था जब कि दिल्ली में एक कान्फरेंस हुई थी ; वह लक्ष्य करीब-करीब संतोषजनक रूप से पूरा हो गया है । इसके लिए मैं अपनी राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो व्यक्ति अपने परिवारों को, अपने घरों को और अपनी जमीन जायदाद को छोड़ कर चले आए, उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने अब तक जो काम किया है वह उसका नैतिक कर्तव्य था और अपने इस नैतिक कर्तव्य को निभाने में सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों ने और हमारे पुनर्वास मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं । परन्तु मैं इसके साथ ही साथ अपने पुनर्वास मंत्रालय को और विशेष रूप से पुनर्वास मंत्री महोदय को आने वाले वर्ष के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुझाव भी देना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में आपने लिखा है कि एक वर्ष के पश्चात् आप इस मंत्रालय को समाप्त करने जा रहे हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपके हाथों में इस समय उलझी हुई समस्याएं हैं उनका इस मंत्रालय के समाप्त होने के पहले समाधान हो जाए ताकि आगे आने वाले कार्य को आप जिस किसी को भी सौंपें उसको कठिनाई न हो ।

मैं सब से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद के सम्बन्ध में एक समस्या आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं । गत वर्ष भी मैंने इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा के समय इस प्रश्न को उठाया था । बीच में मैं मिला भी और पुनर्वास मंत्री महोदय को मैंने अनेक बार लिख कर भी भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य से उस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है । स्थिति यह है कि वहां जिन लोगों को आपने बसाया था और उस समय उनको जो आश्वासन दिए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं । और यह केवल फरीदाबाद की ही बात नहीं है । आपने जो और भी बस्तियां बसायी हैं जैसे राजपुरा और हस्तिनापुर उनकी भी यही स्थिति है । उनको आपने बसाते समय आश्वासन दिया था कि वहां उन के रोजगार की इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वे लोग और उनके बच्चे अपना निर्वाह कर सकें । परन्तु अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया । जहां तक राजापुर का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में तो मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि उसको इंडिस्ट्रियल एरिया नहीं बनाया गया और उसकी आर्थिक समस्या का समाधान जितनी अपेक्षित मात्रा में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है ।

जहां तक हस्तिनापुर का संबंध है मैंने आप से ३० नवम्बर, १९६० को एक प्रश्न पूछा था कि "क्या यह सच है कि हस्तिनापुर में बसाए गए ३०० परिवारों में से २०० परिवार नगर छोड़ कर किसी अन्य स्थान को चले गये हैं । यदि हां, तो २०० परिवारों के नगर छोड़ कर जाने के क्या कारण हैं" तो आपने स्वयं उत्तर दिया था कि इतने परिवार वहां बसाए गए थे और उन में से इतने चले गए और आपने कहा था 'अधिकतर परिवार रोजगार की सुविधाओं के अभाव के कारण ही नगर छोड़ कर चले गए हैं" । तो वहां भी रोजगार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं ।

फरीदाबाद के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की योजना थी कि जो विस्थापित परिवार वहां बसाये जायेंगे उनके लिये भी रोजगार की व्यवस्था की जायेगी कि वे अपना और अपने बच्चों की निर्वाह की समस्या का समाधान कर सकें । परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं उनमें विस्थापित भाइयों को उनके अनुपात के अनुसार स्थान नहीं मिला हुआ है । बहुत से कारखाने तो फरीदाबाद में ऐसे हैं कि जिनमें अनुपात तो दूर विस्थापितों की संख्या सर्वथा नगण्य है । मैं चाहता हूं कि फरीदाबाद में जो चौथे नम्बर का वार्ड आपने छोड़ रखा है इसलिये कि वहां छोटे कुटीर उद्योग लगाये जायेंगे, उस स्थान में वे उद्योग लगाये जायें । आप कह

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

सकते हैं कि यह काम तो वाणिज्य मंत्रालय का है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि आप वाणिज्य मंत्रालय से कहें कि जब वहां इतनी बड़ी संख्या में विस्थापितों को बसाया गया है और एक बहुत बड़ा भूभाग वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज को चालू करने के छोड़ा गया है तो वहां पर वे उद्योग चालू किये जायें। आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि हमने सवा करोड़ रुपया १४२ छोटे उद्योग चलाने के लिये रखा है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि वे उद्योग कहां चलाये जा रहे हैं। लेकिन जहां तक इन बस्तियों का प्रश्न है इनमें तो छोटे उद्योग लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वहां बसने वाले विस्थापितों को रोजगार मिल सके।

वहां तो स्थिति यह है कि जिन १२-१३ साल के छोटे-छोटे बच्चों की आयु स्कूल जाकर अपना भविष्य बनाने की है वे प्रातःकाल मूंगफली, लेमन चूस आदि लेकर अपने घरों से बेचने के लिये निकलते हैं और दिन भर सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं और शाम को वापस आते हैं। आप उनके जीवन की कठिनाई को उनकी आंखों में देख सकते हैं। इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिये मेरा सुझाव है कि जो आप पालीटैकनिक स्कूल खोल रहे हैं उनमें से एक-एक स्कूल इन विस्थापितों की बस्तियों में अवश्य खोला जाये। मुझे यह बात कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जब मैंने पीछे पुनर्वास मंत्री महोदय से निवेदन किया कि जो तीन पालीटैकनिक स्कूल पंजाब में खोले जा रहे हैं उनमें से एक फरीदाबाद में अवश्य खोला जाये, तो यद्यपि उनका इस से सम्बन्ध नहीं था, लेकिन उन्होंने सम्बंधित मंत्री से कहा और पंजाब गवर्नमेंट को भी कहा, लेकिन दुर्भाग्य फरीदाबाद का कि एक चतुर चालाक मंत्री इस स्कूल को उठाकर रिवाड़ी ले गये। और फरीदाबाद के विस्थापित हाथ मलते रह गये।

मैं चाहता हूं कि आप अपने मंत्रालय की ओर से भविष्य में जो शिक्षा सम्बन्धी योजनायें क्रियान्वित करने जा रहे हैं उनमें यह अवश्य रखें कि फरीदाबाद, राजपुर, हस्तिनापुर की तरह की बस्तियों में दूसरे मंत्रालयों से मिल कर एक-एक पालिटैकनिक स्कूल खोलने का प्रबन्ध करें। वहां के विस्थापितों को जिनको अभी तक अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने का अवसर नहीं मिला कम से कम उनको अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सुविधा तो मिल सके। इसलिये न बस्तियों में एक-एक पालिटैकनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था अवश्य की जाये।

दूसरी बात जो मैं फरीदाबाद के विस्थापितों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह उनको मिले हुए घरों के बारे में है। उन लोगों ने मुझ को आंकड़े दिये हैं और मैंने वे आपको भेजे थे कि जो घर १७०० में बनाये गये हैं उनके लिये उनसे कुछ मिलाकर २७०० रुपये मांगे जाते हैं इसके अतिरिक्त उस कीमत पर ब्याज भी लगाया जायेगा। यह सब मिलाकर ४२०० रुपये हो जायेगा। ये लोग आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वे इतनी रकम सुगमता से नहीं दे सकेंगे। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि फरीदाबाद में ऐसे कितने ही घर हैं जिनमें दूसरे वक्त खाना नहीं बनता तो आप देखें कि जिन लोगों की यह दयनीय अवस्था है कि जिनके यहां केवल एक बार दिन में खाना बनता है वे लोग १७०० के मकानों के लिये ४२०० पये कैसे दे सकेंगे। वे लोग मेरे पास आये हैं और मैंने अनेक बार उनके आवेदन पत्र आपके पास भेजे हैं। बार-बार आपके पास भेजते हुए संकोच भी होता है। परन्तु ये लोग बार-बार आते हैं और चूंकि मैं इनका प्रतिनिधि हूं, इसलिये मेरा यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि मैं इनकी मांग को आपके सामने रखूं।

इस सम्बन्ध में राज्य सभा में आधे घंटे की चर्चा हुई थी जिसमें आपने कहा था कि मिनिस्ट्री के इस सम्बन्ध के कागजों को और इन लोगों की शिकायतों को किसी तटस्थ व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाये और वह इन को देखे और आपने इस काम के लिये डा० हृदयनाथ कुंजरू का नाम भी प्रस्तुत किया था। मैंने उन लोगों को यह कहा कि इस विषय में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि आपके यहां इतनी ज्यादा एसोसियेशन्ज—संगठन बने हुए हैं कि यदि एक को संतुष्ट करेंगे, तो संभवतः दूसरा नहीं मानेगा, दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास किया जायेगा, तो तीसरा नहीं मानेगा, इस लिये आप सब संगठनों की ओर से इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र लाइये, जो कि मैं पुनर्वास मंत्री महोदय को दूंगा और चूंकि उन्होंने अपनी ओर से इतना तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया हुआ है, इस लिये सम्भव है कि इस समस्या का कोई समाधान निकल आये। इसके अनुसार वे लोग वहां की सब एसोसियेशन्ज की ओर से—निर्णय उस एसोसियेशन को छोड़ कर, जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी से प्रभावित है—एक आवेदनपत्र लाये और वह आवेदन पत्र उपस्थित कर दिया गया। उस आवेदनपत्र में उन लोगों ने यह आग्रह किया कि डा० हृदयनाथ कुंजरू और रेलवे के उपमंत्री, जनरल शाहनवाज खां, इस समस्या का समाधान करें। लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूं कि पुनर्वास मंत्री महोदय ने उस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष यह मंत्रालय समाप्त हो जायेगा और इस सम्बन्ध में यह अन्तिम बहस है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पुनर्वास मंत्री इस बात पर विस्तार के साथ प्रकाश डालें क्योंकि वे लोग बहुत दुखी स्थिति में हैं और हम लोगों को हृदय से यह स्वीकार करना चाहिये कि हमारी भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के परिणामस्वरूप जहां और लोग हमारे देश में आये, वहां उन में हमारे फ्रन्टियर के वह भाई भी हैं, जो कि वहां रेगिस्तान में जा कर बसे हैं और तेरह वर्ष के बाद भी इस योग्य नहीं हो पाये हैं कि वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें।

इस मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कबायली इलाकों के जितने भी लोग बसे हुए हैं, यद्यपि उनके पास कागजात नहीं थे, जिनके आधार पर उनको हर्जाना या मुआवजा दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ने यह रवैया अपनाया है कि उनको ढाई हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दिये जायें। मैं ने इस सम्बन्ध में माननीय पुनर्वास मंत्री के सहयोगी, श्री नायर से पूछना चाहा था, ताकि मैं इस बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस में इशारा दीर और चितराल आने वाले लोगों की तरफ है, तो मैं माननीय मंत्री जी और मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि जो लोग पिछले वर्षों से भटक रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया था, उनको सहायता देने के लिये यह व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि यह संकेत किसी दूसरी ओर है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां और किसी के सम्बन्ध में मंत्रालय ने इतनी उदारतापूर्वक निर्णय लिया है, वहां इन लोगों के बारे में भी विचार किया जाये। वे लोग बड़ी असहाय स्थिति में हैं, इसलिये उनको कुछ सहायता देने के बारे में शीघ्र ही निश्चय किया जाये।

अन्त में मैं लाजपतराय मार्केट के व्यापारियों, दुकानदारों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन लोगों को अभी तक दुकानें नहीं मिली हैं। वे लोग अपने खोखों में हजारों रुपये का सामान रखते हैं, लेकिन शाम को जब वे ताला लगा कर घर जाते हैं, तो घर में उन का दिल धड़कता रहता है कि हमारा सामान रात में सुरक्षित रहेगा या नहीं। जब और व्यापारियों को दुकानें दी गई हैं और उनको बसाया गया है, तो जो शेष रह गये हैं और जो अधिकारी हैं, उनको भी दुकानें दी जानी चाहियें ताकि उनको भी सन्तोष हो सके, जैसे कि और उन व्यापारियों को है, जिन्हें पक्की दुकानें मिल गई हैं।

पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	१४३	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों के बीच दंडकारण्य की प्रगति के सम्बन्ध में अधिक प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४४	श्री अरविंद घोषाल	दंडकारण्य में रेशम की खेती आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४५	श्री अरविंद घोषाल	उत्तर प्रदेश को भेजे गये शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में में उचित जांच करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४६	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को उद्योगों में लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४७	श्री अरविंद घोषाल	इकट्ठा ऋण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४८	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों द्वारा खोले गये छोटे उद्योगों की जांच की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१४९	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को छोटे उद्योगों के विकास में सहायता और पथप्रदर्शन देना	१०० रुपये
७४	१५०	श्री अरविंद घोषाल	पुनर्वास मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों को बसाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७४	१५१	श्री अरविंद घोषाल	पुनर्वास मंत्रालय को तब तक जारी रखने की आवश्यकता जब तक कि सभी शिविर बन्द न हो जायें	१०० रुपये
७४	१४६६	श्री वाजपेयी	मंत्रालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों को वैकल्पित रोजगार देने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७५	१५२	श्री अरविंद घोषाल	राज्यों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य की जांच के लिये गैर-सरकारी समिति की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	१४६७	श्री वाजपेयी	उन विस्थापित व्यक्तियों से जिन्होंने अपने मकान मुलतानी ढांढा और पहाड़गंज दिल्ली की नजूल भूमि में बना लिये हैं उनसे भूमि की कीमत वसूल करने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	१४६८	श्री वाजपेयी	सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों में बनायी गयी दुकानों का आवंटन करना	१०० रुपये
७५	१४६९	श्री वाजपेयी	किंग्सवे शिविर में १९४७ से रहने वाले शरणार्थियों को बसाने में असफल रहना	१०० रुपये
७५	१४७०	श्री वाजपेयी	पुराना किला में रहने वाले शरणार्थियों को लागत मूल्य पर मकान देने में असमर्थता	१०० रुपये
७५	१४७१	श्री वाजपेयी	पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के दावों का पंजीयन करने में असफल रहना	१०० रुपये
७५	१४७२	श्री वाजपेयी	पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के शरणार्थियों को उचित सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७५	१४७३	श्री वाजपेयी	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में असफलता	१०० रुपये
१३०	१५३	श्री अरविंद घोषाल	पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ली गयी योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफल रहना	१०० रुपये

†**श्री अरविंद घोषाल** (उलूबेरिया) : बड़ी कठिनाई से हमारी एक शरणार्थी समस्या हल हो पायी थी कि दूसरी शरणार्थी समस्या खड़ी हो गयी। यह समस्या बेरूबाड़ी के शरणार्थियों की है। इसके अतिरिक्त आसाम से भी शरणार्थी आ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्हें बसाने की जिम्मेदारी किस पर है अभी अभी ज्ञात हुआ है कि शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में आसाम सरकार से मतभेद हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का हल हो चुका है।

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है वह विलम्बकारी है और इसके सम्बन्ध में मेरे पास कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिन व्यक्तियों ने कभी ऋण नहीं लिया है उन्हें भी ऋण की वापसी के नोटिस दिये गये हैं।

यद्यपि यह कहा जा रहा है कि आसाम के शरणार्थियों को २०० रु० उपदान के रूप में दिये जा रहे हैं यह गलत है। मेरे पास इस सम्बन्ध में कई पत्र हैं जिनसे ज्ञात होता है कि आसाम लौटने वाले शरणार्थियों को कोई उपदान नहीं दिया गया है।

कई शरणार्थियों को १००० रु० से १२००० रुपये मंजूर किये गये हैं तथापि वास्तव में उन्हें अभी तक २०० रु० से ५०० रु० तक ही दिये गये हैं। इसका यह फल हुआ है कि वे इसका लाभ नहीं उठा सके हैं।

गोरेश्वर बाजार में बंगालियों की दुकानें थीं उपद्रवों के कारण उन्हें वे दुकानें छोड़ देनी पड़ीं तथापि उपद्रवों के बाद भी उन्हें वे जमीनें प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

शरणार्थियों पर बलात् जोर डाला जा रहा है कि वे शिविरों को छोड़ देवें। यद्यपि वे स्वयं शिविरों में नहीं रहना चाहते हैं, तथापि उनके लिये अन्यत्र सुरक्षा भी नहीं है। अतः सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। कुछ परिवार जो आसाम को लौटे भी हैं वे अभी तक गोहाटी स्टेशन में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की पुनर्वास सहायता नहीं मिली है। कुछ शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के नैनीताल और पीलीभीत के जिलों में भेजा गया है। उन स्थानों से कई शिकायतें आई हैं। अतः मेरे विचार से यदि दंडकारण्य परियोजना इन शरणार्थियों को बसाने को तैयार है तो इन्हें वहीं भेजा जाना चाहिये। मैं अन्त में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमारी सहायता करें और मैं उनको यह आश्वासन देता हूं कि यदि वह इस बात का आश्वासन दें कि आसाम में शरणार्थियों को बसाने का प्रबन्ध किया जायेगा और उनकी उचित सुरक्षा की जायेगी तो इन शरणार्थियों में से ९० प्रतिशत शरणार्थियों को वापस ले जाने के लिये तैयार हूं।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर): इस पुनर्वास मंत्रालय की सबसे बड़ी त्रुटि मुझे यह दिखाई पड़ रही है कि यह मंत्रालय अपनी समाप्ति पर अधिक जोर दे रहा है बजाय इसके कि पुनर्वास पर। जैसे ही शरणार्थियों के पुनर्वास का काम पूरा होता है वैसे ही इस मंत्रालय की समाप्ति होनी चाहिये।

पुनर्वास का काम समाप्त करने के पूर्व पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिये। पुनर्वास विभाग के कर्मचारी अपने भविष्य के सम्बन्ध में चिंतित हैं और सरकार को इस मामले में अवश्य ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इन कर्मचारियों का भविष्य में क्या होगा इस बात पर विचार किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि उनका ध्यान रखा जायेगा।

शरणार्थियों का पहिला दल जो दंडकारण्य भेजा गया है, उसने वहां की स्थिति व व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छे विचार प्रकट नहीं किये हैं। इसी कारण अन्य शरणार्थियों को वहां भेजने में

---

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाई हो रही है। सरकार को इस मामले में धैर्य से काम लेना चाहिये। वहां शुरू से उन्हीं शरणार्थियों को वहां भेजा जाये जो आंशिक रूप से बसाये गये हैं।

हमें यह बताया जाना चाहिये कि बेरूबारी के शरणार्थियों के बारे में क्या किया जा रहा है।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: आज से चौदह वर्ष पूर्व विभाजन के समय यह मंत्रालय बनाया गया था। लगभग ९० लाख विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये। और उनके पुनर्वास पर एक बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है। हमने लगभग २५ लाख एकड़ भूमि इन के लिये निर्धारित की है तथा लगभग एक लाख मकानों की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इस मद में लगभग १०० से १२० करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। हमें इस बात पर विचार करना है कि यह समस्या कहां तक हल हो गई है और क्या शेष समस्या के लिये इस मंत्रालय को आगे चलाने की जरूरत है या नहीं है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो प्रायः सभी सदस्यों ने पूछे हैं। संक्षेप में मैं इनका उत्तर दूंगा। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस मंत्रालय, इस के पदाधिकारियों की बात है तो मैं कहूंगा कि इन सब ने मिलकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। एक समय था जब कि लोग कहते थे कि इस मंत्रालय का काम कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है।

जहां तक पूर्वी क्षेत्र की बात है, आसाम, त्रिपुरा, बिहार और उड़ीसा पुनर्वास विभाग बन्द कर दिये गये हैं। इन चारों राज्यों में हम ने १,८५,००० परिवारों की सहायता की है और उन पर लगभग ६० करोड़ रुपये व्यय किये हैं। यहां पुनर्वास विभागों को बन्द करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया था और वहां की शेष समस्या के लिए जो कुछ आवश्यक था उसका प्रबन्ध कर दिया गया है। मेरा ऐसा विचार है कि इन विस्थापित व्यक्तियों पर ४०० करोड़ रुपये और व्यय होंगे।

जहां तक पश्चिमी बंगाल की समस्या का सम्बन्ध है ४,५५,००० परिवारों को सहायता पहुंचाई गई। और उन परिवारों पर १३० करोड़ रुपये व्यय किये गये। मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि शरणार्थियों को मैं ने बहुत अधिक समय तक शिविरों में रखा है और उन के लिये कोई उचित व्यवस्था जल्दी नहीं की गई। मैं मानता हूं कि मैं इसका दोषी हूं क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये वे बड़ी बुरी स्थिति में थे। ४२ लाख व्यक्तियों में से १०,२५,००० व्यक्तियों को ही शिविरों में जगह दी जा सकी। आज से ६ वर्ष पूर्व जब मैं ने इस मंत्रालय का भार संभाला तो इन शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ३०,००० से ४०,००० तक थी लेकिन पाकिस्तान से निरंतर शरणार्थी आते रहे और उन की संख्या बराबर बढ़ती रही। यहां तक कि सन् १९५५–५६ तक उनकी संख्या बढ़ कर ६ लाख हो गई। इन में से ५० से ५३ प्रतिशत व्यक्तियों को ही शिविर में स्थान मिल सका। यह कहा जा सकता है कि हम ने इन को बसाने के लिय उचित कार्यवाही नहीं की। प्राक्कलन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमारा दायित्व योजना बनाने तथा ऋण देने में ही समाप्त नहीं हो जाता बल्कि हमें यह भी अच्छी तरह देखना चाहिये कि क्या इन योजनाओं की भली भांति क्रियान्वित भी किया गया है अथवा नहीं। हम इस बारे में भी कार्यवाही करेंगे। वर्ष १९६०–६१ में ४५,००० व्यक्ति शिविर से बाहर गये।

दंडकारण्य योजना का प्रारम्भ बड़ बुरे ढंग से हुआ। लेकिन फिर भी वहां शरणार्थी जा रहे थे लेकिन अचानक ही गत वर्ष यह बात उठाई गई कि जब तक कुछ शर्तों की पूर्ति नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

हो जाती तब तक कोई भी शरणार्थी वहां जाने के लिय तैयार नहीं है । मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, उन के साथी, विधान सभाई तथा बंगाल एवं दिल्ली के समाचार पत्रों के सम्पादकों एवम् संवाददाताओं को निमंत्रण दिया कि वे दंडकारण्य आयें और स्थिति की स्वयं देख भाल करें उस समय यह बताया कि यह योजना बहुत ही लाभदायक है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बारे में तीन प्रस्ताव रखे जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। लेकिन फिर भी शरणार्थी वहां नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और यह निश्चय किया गया कि लोगों को स्वेच्छा से जाने की बात का प्रयोग कर के देखा जाये । इसका योग किया गया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। "दंडकारण्य सप्ताह" भी मनाया गया जिस में इस बारे में भाषण दिये गये कि दंडकारण्य में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । इस योजना पर १० करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं और काफ़ी धन व्यय करने की स्वीकृति ली जा चुकी है । कुल मिला कर इस पर प्रति वर्ष ७०--८० लाख लाख रुपये व्यय हो रहा है । इस मद में लगभग २½ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय भी खर्च हो चुका है । १९५९ में हम ने ५८ ट्रेक्टर खरीदे। गत वर्ष ७५ ट्रैक्टरों के लिये आर्डर दिया गया है। वहां विकास कार्य जोरों पर चल रहा है । हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाली गई है और भी भूमि बनाई जा रही है । एक के बाद दूसरे गांव बनाये जा रहे हैं । लोग स्वेच्छा से वहां नहीं जा रहे हैं। अतः आज समस्या यह आ गई है कि क्या दंडकारण्य योजना सफल होगी अथवा असफल । ऐसी स्थिति में यह निर्णय कर लिया गया है कि अब शिविर के शरणार्थियों को बिना किसी विलम्ब के नोटिस दे दिया जाय। इस निर्णय से पश्चिमी बंगाल की सरकार पूर्णतः सहमत है । जनवरी १९६१ से हम ने नोटिस देना शुरू कर दिया है । पिछले तीन महीनों में ५००० परिवारों को नोटिस दिये जा चुके हैं। इस संबंध में मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी दंडकारण्य जाने की अपेक्षा उत्तर प्रदेश जाना अधिक पसंद करते हैं। यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल १९६१ के अंत तक. तक ८००० परिवारों को नोटिस दे दिये जायेंगे । कृषि करने वाले इन परिवारों की संख्या पश्चिमी बंगाल में १६,००० है । इस प्रकार नोटिस देने का काम धीरे धीरे दिसम्बर १९६१ तक समाप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस योजना को सफलता मिले । और यह सफलता तभी मिल सकती है जब कि लोग वहां पहुंचे। नोटिस की अवधि दो माह की है । लेकिन इन नोटिसों के बावजूद भी लोग इन शिविरों में अधिक नहीं जा रह हैं। मैं समझता हूं कि पिछले तीन महीनों में बड़ी मुश्किल से २०० से २५० परिवार दंडकारण्य गये हैं। अतः स्थिति यह आ गई है कि पश्चिमी बंगाल के शिविरों में जो शरणार्थी हैं उन को हर प्रकार से समझाया बुझाया जायेगा कि वे दंडकारण्य जाने के लिये तैयार हो जायें और उस के बाद भी यदि वहां जाने के लिये वे राज़ी नहीं होते हैं तो सरकार के पास इस के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जायगा कि वह उनकी सहायता बंद कर दे। पश्चिमी बंगाल के विधान सभाई ने यह धमकी दी थी कि यदि इन शरणार्थियों को दण्डकारण्य जाने के लिये विवश किया गया और उनकी सहायता बंद की गई तो सरकार को इस के परिणाम भुगतने होंगे । इस संबंध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहना गलत है । वह इन शरणार्थियों के मित्र नहीं हैं बल्कि वे तो ऐसा कह कर इन शरणार्थियों को भिखारी बना देना चाहते हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि विस्थापित व्यक्तियों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाना बहुत अशुभ है ।

अंशतः पुनर्वासित लोगों की संख्या १० लाख है। इसका भी एक कारण यह हो सकता है कि ये लोग पश्चिमी बंगाल से बाहर जाना नहीं चाहते। हो सकता है कि बंगाली होने के नाते बंगाल के प्रति इनका प्रेम रहा हो। लेकिन इन के पश्चिमी बंगाल से बाहर न जाने से इतना अवश्य हुआ कि पश्चिमी बंगाल पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और वहां बेरोजगारी बढ़ गई है। वहां की जनसंख्या में काफ़ी वद्धि हो गई है। पश्चिमी बंगाल की स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहां पश्चिमी बंगाल में बिल्कुल भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा): आपने वैकल्पिक प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया जो इस सभा में अनेक बार रखा जा चुका है कि दक्षिण बंगाल में भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए जिससे लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास हो सके।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उसकी याद दिलाई। परन्तु मैं उस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आंशिक रूप में पुनर्वासित लोगों की समस्या हल की जानी चाहिए। इस के लिए हम ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह अपनी समस्या का निर्धारण कर के हमें ब्यौरा प्रदान करे। संभवतः लगभग डेढ़ महीना पूर्व सचिवों के स्तर पर एक बैठक हुई थी जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की शेष समस्या की चर्चा की गई थी। हम ने कुछ और सूचना मांगी है तथा उस के प्राप्त हो जाने पर मैं पश्चिम बंगाल के आंशिक रूप में पुनर्वासित परिवारों की समस्या की पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री के साथ चर्चा करने का विचार कर रहा हूं। मैं उन के पास इस लिए जाना चाहता हूं कि योजना की जांच कर सकूं ताकि मुझ पर जल्दबाजी करने का आरोप न लगाया जा सके। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि आगामी एक या दो महीनों में मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ परामर्श कर के शेष समस्या के संबंध में अंतिम निर्णय कर लूंगा। अभी यह बताना कठिन है कि उस में कितना व्यय होगा परन्तु मोटा अनुमान लगभग १४ से १५ करोड़ रुपये का है। मैं यह अनेक बार कह चुका हूं कि पश्चिम बंगाल के आंशिक रूप से पुनर्वासित परिवारों के मामले की पूर्ण एवं उचित जांच की जाएगी।

†**श्री प्रभात कार**: उद्योगों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: जहां तक उद्योगों का संबंध है, मैं संक्षेप में आंकड़े दूंगा। मैं अपने को केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित रखूंगा क्योंकि श्री प्रभातकार ने अन्य चार जिलों की उपेक्षा की है। इस मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार और पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा लगभग ८० मध्यम कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई है जिस में लगभग ५.६८ लाख रुपये व्यय हुए हैं तथा उन में लगभग २०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए।

जहां तक रोजगार का संबंध है, दो निर्दिष्ट साधनों—काम दिलाऊ दफ्तर और प्रशिक्षण—द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। अभी तक काम दिलाऊ दफ्तर के माध्यम से लगभग ५६,००० व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है और ४०,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

†**श्री प्रभात कार**: प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से कितनों को रोजगार मिल चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : उनकी संख्या मैं नहीं बता सकता परन्तु कुल ४०,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं ।

†**श्री प्रभात कार** : प्रश्न खर्च का नहीं है वरन् यह है कि कितने व्यक्तियों को रोजगार देकर वास्तव में पुनर्वासित किया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जो प्रशिक्षण के बाद यह जानकारी रखे कि उनमें से कितनों को रोजगार मिला है। मेरा कार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है और वह किया जा चुका है।

†**श्री प्र० ना० सिंह** (चन्दौली) : उनको रोजगार दिलाना आपका कर्त्तव्य नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा कर्त्तव्य उन्हें वृत्तिका दिलाना है । इसके लिये मैं यह प्रयत्न करता हूं कि प्रशिक्षण केन्द्र और उत्पादन केन्द्र पूर्णतः सज्जित हों । जहां तक प्रशिक्षण के पश्चात् उनको रोजगार दिलाने का प्रश्न है, मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि मुझे ९० लाख विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में विचार करना होता है। हमारे देश के शरणार्थियों की संख्या संभवतः समस्त आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या से भी अधिक है ।

फिर जहां तक ऋणों की अदायगी का प्रश्न है मेरे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए हैं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं पुनर्वासित व्यक्तियों को फिर से विस्थापित कदापि नहीं करना चाहता हूं । परन्तु यदि व इन ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में हैं तो उन्हें वैसा अवश्य करना चाहिए । श्री गुह का सुझाव तो बहुत अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ३५०० रुपए तक के ऋण की छूट दे दी जाय परन्तु अच्छा होता कि यह विचार उनके दिमाग में उस समय आता जबकि वह स्वयं वित्त मंत्री थे। यदि ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है। मेरा दावा है कि यदि इन ऋणों को माफ कर दिया जाये तो विरोधी पक्ष भी मेरा स्वागत करेंगे। परन्तु मैं विवश हूं और ऋणों की वसूली करनी ही होगी । पश्चिम बंगाल में ऋण के रूप में दी गई ५३.५ करोड़ रुपये की राशि में से २५.०२ करोड़ रुपए की राशि देय हो गई है। परन्तु वसूल केवल १.२२ करोड़ रुपए ही हुए हैं अर्थात् लगभग ४ प्रतिशत ही । इसमें पुनर्वास उद्योग निगम के ऋण और पश्चिम बंगाल के परिवहन संगठन को दिया गया लगभग एक करोड़ रुपए का ऋण भी सम्मिलित है जिसके एक भाग का भुगतान किया जा चुका है । फिर कुछ वसूलियां उद्योग-पतियों से भी की जानी हैं। मैं नहीं जानता कि इस एक करोड़ की राशि में से पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों से कितना प्राप्त हुआ है जिनको १३० करोड़ रुपए की सहायता दी गई है और जिनकी संख्या ४.५५ लाख परिवार है ।

†**श्री प्रभात कार** : जो शरणार्थी भुगतान कर सकते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है परन्तु जो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है उनकी या हालत होगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा विचार यह है कि ऋणों की राशि वसूल करने का समुचित प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : आप उसे बट्टे खाते में क्यों नहीं डाल देते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** आपका सुझाव बहुत अच्छा है तथा उसको मैं नए वित्त मंत्री के सामने रखूंगा और यदि वह उसको स्वीकार कर लें तो वैसा किया जा सकता है। अन्यथा वैसा नहीं किया जा सकता और उनकी वसूली करनी ही होगी। हां, यह मैं मान सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भुगतान करने की स्थिति में न हो तो उससे वसूली न की जाए।

जहां तक आसाम से आए विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, इस समय केवल ६,००० परिवार पश्चिम बंगाल के कैम्पों में हैं। किसी समय उनकी संख्या ३१,००० व्यक्ति थी जो अब लगभग २२,००० रह गई है क्योंकि वे धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। आसाम सरकार ने ५,६०० फार्म सत्यापन करके लौटा दिए हैं तथा ५,००० से अधिक को नेकनीयत प्रव्रजक स्वीकार किया है। जहां तक अयोग्य समझे जाने वाले व्यक्तियों का संबंध है, प्रत्येक फार्म की एक अधिकारी दल द्वारा छानबीन की जाएगी जिसमें मेरे मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार और आसाम सरकार का एक एक प्रतिनिधि होगा। विचार यह है कि किसी भी अभागे व्यक्ति को, जो एक बार नुकसान उठा चुका है, फिर से नुकसान न उठाना पड़े। यदि वह थोड़ी बहुत गलती भी करता है तब भी हम उसे संदेह-लाभ देने को तैयार हैं। मैं श्री घोषाल तथा अन्य सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि उन्हें आसाम सरकार की नेकनियती पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि ५,६०० फार्मों में से वे ५,००० को पात्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वे ऐसी बातें कर रहे हैं जो आसाम सरकार का सम्मान नहीं बढ़ाती हैं।

दूसरे, इन कैम्प में रहने वालों को बंगाल से आसाम वापस भेजना पश्चिम बंगाल सरकार का कार्य है। जब मेरी मुख्य मंत्री तथा पुनर्वास मंत्री से बात हुई थी तो मुझे बताया गया था कि वे इन व्यक्तियों को आसाम वापस भेजना चाहते हैं। जिनका पुनर्वास किया जाना है उनको पुनर्वास सहायता आसाम सरकार द्वारा दी जानी चाहिए और जिनको सहायता दी जानी है उनको वह सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। **(अन्तर्बाधा)**

इन परिवारों को तुरन्त लौट जाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के कैम्पों में कोई दूसरी टोली रहे। यदि कल मैं जीवित रहा तो मुझसे यह कहा जाएगा कि मैंने इन लोगों को रहने की अनुमति देकर दूसरी गलती की है। मैं महसूस करता हूं कि इन लोगों का यथाशीघ्र लौट जाना स्वयं उन लोगों और आसाम सरकार के हित में है।

कुल लगभग १८,००० परिवार प्रभावित हुए थे। उनमें से लगभग १६,००० वे लोग हैं जिनके मकान, दुकानें अथवा सम्पत्ति जल गई है अथवा लूट ली गई है। १४,००० के मामले में मकानों और दुकानों की मरम्मत की जा चुकी है। जहां तक गोरेश्वर का संबंध है, मैं अनेक दलों के व्यक्तियों से मिला हूं और मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां ६० दुकानें जली हैं, ४०० नहीं। २९ दुकानों के अधिभोक्ता वहां वापस लौट चुके हैं। अब केवल ३१ दुकानों का प्रश्न रह जाता है। जिस भूमि पर वे दुकानें बनी थीं उनके संबंध में कुछ झगड़ा है परन्तु मुझे आसाम के मुख्य मंत्री ने बताया है कि वह उन लोगों का उसी भूमि पर लौट आना पसंद करेंगे। जो भूमि विकल्प में दी जा रही है उस पर कुछ लोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

पहले से अनधिकृत तौर से बैठे हुए हैं । इसलिए आसाम के मुख्य मंत्री ने स्वयं ३१ दुकानें बनवाने का प्रस्ताव किया है और उन्होंने शिलांग में मेरी उपस्थिति में ही वह आदेश जारी किया था । वह स्थान उस भूमि के निकट ही है । वास्तव में वह मुख्य सड़क पर है । मुझे आशा है कि जहां तक गोरेश्वर का संबंध है, यह दुकानों के निर्माण की समस्या सुलझ जाएगी और शीघ्र ही दुकानें बन जायेंगी । मैं श्री घोषाल को यह बता देना चाहता हूं कि कल यहां जिस दैनिक पत्र को उद्धृत किया गया था उसको पढ़ने के बाद मैं आसाम के मुख्य मंत्री के साथ उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि उस पत्र में दिए गए आंकड़े सही हैं अथवा गौहाटी के बंगाली भाषी लोगों द्वारा मुझे बताए गए आंकड़े सही हैं। मैं इसकी जांच करूंगा और यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह की जाएगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आसाम में जो बंगाली हैं उनको सरकार ने १,००० रुपए देने का वचन दिया था । परन्तु मुझे एक प्रतिनिधिमंडल, जो यहां आया हुआ है, ने यह बताया है कि १,००० रुपए थोड़े ही मामलों में दिए गए हैं और अन्य लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है । क्या यह सही हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य आसाम विधान सभा के सदस्य हैं । मैं शिलांग में तीन दिन रहा परन्तु सिलचर अथवा कछार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी सदस्य मुझ से मिलने नहीं आया । विधान सभा के दो सदस्य मुझसे मिलने आए थे तथा उनकी मुख्य प्रार्थना एक कालेज की स्थापना के संबंध में थी । आसाम में दो घाटियां हैं—सर्मा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी । सर्मा घाटी में अधिकांश में बंगाली भाषी लोग रहते हैं । उपद्रव ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुआ था जहां कि बंगाली धितरे हुए रहते हैं । मैं ने उनसे बातें की थीं । हो सकता है मैं ने गलत समझा हो और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं । मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनके संबंध सामान्य होते जा रहे हैं । असुरक्षा की भावना खत्म होती जा रही है और आसाम सरकार उनके पुनर्वास के लिए भरसक यत्न कर रही है । नीचे के अधिकारियों के स्तर पर कुछ कठिनाई अवश्य है अन्यथा उच्चतम अधिकारी भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं । मैं ने ऐसा ही समझा है और मेरी अपनी धारणा भी ऐसी ही है । यदि श्री घोषाल अथवा श्री बनर्जी सिलचर, कछार अथवा ब्रह्मपुत्र घाटी के कुछ लोगों को ला सकें तो मैं उनके साथ बड़ी खुशी से मिलूंगा ।

इसके बाद बेरूबारी को लेकर मैं पूर्वी क्षेत्र की बात खत्म करूंगा । इसके संबंध में भी मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री के साथ बात की थी । हमारी सूचना के अनुसार लगभग १,००० या १,२०० परिवारों के बेदखल होने की संभावना है जिनमें ५,००० से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे । वह विभाजन किस प्रकार होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है । मेरा संबंध तो केवल इस बात से है कि जब ये १,००० या १,२०० परिवार पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आयेंगे तो उनके पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । उत्तर बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के कैम्पों के अनुभव के आधार पर हमने यह निश्चित निर्णय कर लिया है कि कैम्प नहीं खोले जाने चाहिएं । दूसरी बात यह है कि बेरूबारी से आने वाले प्रत्येक परिवार की उचित जनगणना और

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच की जाए । तीसरे, यदि दुर्भाग्यवश प्रव्रजन आवश्यक हो जाये तो वह न्यूनतम अवधि तक सीमित रहना चाहिए । इस बीच मैं ने राज्य सरकार से पुनर्वास की योजनायें बनाने के लिए कहा है । वह पुनर्वास चाहे भूमि पर हो अथवा किसी व्यापार में परन्तु वे योजनायें यथाशीघ्र आनी चाहिए और मैं उनको मंजूरी दिलाने का प्रयत्न करूंगा । मैं उन योजनाओं के यथाशीघ्र कियान्वयन के लिए भी प्रयत्न करूंगा ताकि जब वे लोग आयें तो उन्हें सीधे पुनर्वास के स्थान में भेज दिया जाये ।

इसके बाद मैं पश्चिम की ओर आता हूं । पश्चिम के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में पुनर्वास की समस्या दो या तीन वर्ष पूर्व ही हल की जा चुकी है । उसके बाद हमने न कोई ऋण दिया है और न मकान ही बनाये हैं । पूर्वी क्षेत्र में जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं वैसा पश्चिम में कुछ भी नहीं किया जा रहा है । केवल एक समस्या रह गई है और वह है पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान । उनकी संख्या लगभग पांच लाख है जिनमें से ४.८६ लाख को जनवरी, १९६१ के अन्त तक प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। अब १० या १५ हजार व्यक्तियों को और प्रतिकर दिया जाना है । जहां तक भूमि का संबंध है, श्री अजित सिंह सरहदी द्वारा दिये गये आंकड़े सही हैं । परन्तु एक बात है कि २४ लाख प्रतिमान एकड़ में से लगभग २० लाख प्रतिमान एकड़ के संबंध में स्थायी अधिकार दिये गये हैं । परन्तु इन ५ लाख व्यक्तियों में से ५० प्रतिशत हमारे पास अपने स्थायी अधिकारों के लिये नहीं आये हैं । जिन्हें अधिक भूमि मिलती थी उनको सनदें मिल चुकी हैं । अब २½ व्यक्तियों को केवल ४–५ लाख प्रतिमान एकड़ भूमि मिलनी है । इन लोगों को वास्तव में उस भूमि पर समस्त अधिकार प्राप्त हैं, केवल सनदें अभी नहीं प्राप्त की गई हैं । वे चाहें तो हमारे पास आकर सनदें ले सकते हैं अन्यथा वैसे ही अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं । यदि लोग सनदें लेने नहीं आते हैं । तो मेरा क्या अपराध है ? मैं उनके लिये जलन्धर के संस्थापन को कायम नहीं रख सकता हूं । अभी कुछ महीनों तक मंत्रालय और चलेगा अतः उन लोगों को आकर सनदें प्राप्त कर लेनी चाहियें ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** उन लोगों को उपस्थित हुये बिना भी स्थायी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं इस मामले के संबंध में जांच कराऊंगा । यदि दफ्तर में बैठकर ऐसा किया जा सकता है तो मैं अधिसूचना द्वारा वैसा कर दूंगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** केवल एक अड़चन है कि सरकारी बकाया नहीं होनी चाहिये । यदि कोई बकाया न हो तो वे अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त कृतज्ञ हूं । ऐसा मालूम होता है कि उन लोगों पर सरकारी बकाया होगी इसीलिये वह मेरे सामने नहीं आना चाहते हैं । मैं इस मामले पर विचार करूंगा परन्तु मैं सभा को यह वचन दे सकता हूं कि यदि वे लोग मेरे पास आयेंगे तो मैं उन्हें सनद दिलाने का प्रयत्न करूंगा । यदि सनद देने के लिये कोई सरल प्रक्रिया निकाली जा सकती है तो उसकी जांच की जायेगी ।

फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत का प्रश्न है । मेरे पाकिस्तान में अभी भी बहुत से मित्र हैं । स्थिति यह है कि हमारे भरसक प्रयत्न के बावजूद पाकिस्तान से कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इस समस्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । पहला है भारत व पाकिस्तान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महर चन्द खन्ना]

में छोड़ी गई निष्क्रांत आस्तियों का अन्तर। हमने पाकिस्तान में ५०० करोड़ रुपये की आस्तियां छोड़ी हैं जबकि भारत में केवल १०० करोड़ रुपये की आस्तियां छूटी हैं। इस प्रकार ४०० करोड़ रुपये का अन्तर है। मैं कई बार पाकिस्तान हो आया हूं परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उस पर कभी भी चर्चा नहीं की।

प्रश्न का दूसरे भाग का संबंध चल सम्पत्ति समझौते के क्रियान्वित करने से है। उसके बारे में भी मैंने अपनी योग्यतानुसार काम किया है। हाल में ही दो बैठकें हुई थीं। हमें कभी भी स्पष्ट नकारात्मक उत्तर नहीं मिला और इसीलिये हम बैठकें करते चले गये। हम पिंडी गये, कराची गये और उनको यहां बुलाया। हमने उनकी दावत की, उन्होंने हमारी दावत की। एक वक्तव्य भी जारी किया गया परन्तु सारांश यह है कि इन बैठकों के परिणाम कोई नहीं निकले।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तब आप वहां गये क्यों ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसलिये कि मैंने अभी आशा नहीं छोड़ी है। मैं अपनी पूर्ण योग्यता से काम कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि इस समय जब यह मंत्रालय समाप्त होने को है, मैं भी पाकिस्तान से अनुरोध करने को तैयार हो रहा हूं कि क्या वह अब भी कुछ करने को तैयार है।

मेरे ऊपर यह आरोप भी लगाया गया है कि मैंने पाकिस्तान से लौटे हुये मुसलमानों के लिये कोई काम नहीं किया है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान गये हुये १२,८०८ मुसलमानों से आवेदन पत्र मिले हैं कि वह भारत लौट आये हैं और उनको उनकी सम्पत्ति वापस दिला दी जाये। १२,६९९ मामलों में सम्पत्ति पुनः दिलाये जाने के आवेदन पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं और केवल १०९ मामले ही शेष हैं।

दूसरा प्रश्न उन सम्पत्तियों के बारे में है जिन पर विस्थापित व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। यह सम्पत्तियां ८३४ मुसलमानों की हैं तथा ९४१ हिन्दुओं की हैं। इन में १९००० व्यक्ति रहते हैं। ५००० व्यक्ति मुसलमानों के मकानों में तथा १४००० हिन्दुओं के मकानों में। यह एक बड़ी भारी समस्या है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि या तो सम्पत्ति के स्वामी को सम्पत्ति दिला दूं अथवा उसका मुआवजा दिला दूं। इसके बारे में बंगाल सरकार के साथ बातचीच की गई हैं और वहां के मुख्य मंत्री ने भी हाल में ही विधान सभा में बताया है कि वह उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमारा इस समय यह विचार है कि इन में रहने वाले लोगों को यदि और किसी स्थान पर नहीं बसाया जा सकता तो मकान मालिकों को उचित मुआवजा दे दें।

मेरे दिल्ली के माननीय मित्र ने, जम्मू और काश्मीर से आने वाले लोगों को अनुदान देने की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमें लगभग २०००० से २५००० तक फार्म मिले हैं। इन में से लगभग ९,००० मामलों में कार्यवाही कर ली गई है तथा लग भग ६००० मामलों को वेतन तथा लेखा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है लगभग २००० से ३००० तक वापस आ गये हैं। अन्य भी वापस आ रहे हैं और भुगतान करना आरम्भ कर दिया गया है। मैं प्रयत्न करूंगा कि अगले छः महीनों में यह सभी मामले निबटा दूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बलराज मधोक :** उन २०००० अथवा २५००० व्यक्तियों का क्या होगा जिनको अभी भुगतान करना बाकी है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह कृपा कर के मुझ से मिलें। मैं उनकी सभी बातों का उत्तर दे कर उन्हें संतुष्ठ करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अ० मु० तारिक : मुझे मिनिस्टर साहब से एक बात पूछनी है । जम्मू-काश्मीर का जिक्र करते हुए आनरेबल मेम्बर, श्री मधोक, ने कहा कि वहां जो रुपया तक्सीम किया जाता है, वह सही तरीके से तक्सीम नहीं किया जाता है। मैं वज़ीर साहब से जानना चाहता हूं कि इस सिल-सिले में सही पोज़ीशन क्या है ।

दूसरी बात यह है कि क्या यह सही नहीं है कि काश्मीर में जितना रीहैबिलिटेशन होता है, वह सैंट्रल गवर्नमेंट के मशविरे से होता है, जिन लोगों को जायदाद दी जाती है, वह सैंट्रल गवर्नमेंट के मशविरे से दी जाती है और इस बारे में हर छः महीने के बाद कांफ़रेंस होती है ? मैं वज़ीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मामले पर रोशनी डालें ।

उपाध्यक्ष महोदय : वज़ीर साहब ने कहा है कि यह लम्बी बात है और इस लिये उन्होंने मधोक साहब से इल्तजा की है कि वह उन से बाहर मिल लें। यही बात वह तारिक साहब से भी कहेंगे और वे दोनों इकट्ठे उन से मिल लें।

श्री अ० मु० तारिक : उन्होंने कहा कि वहां पर पैसा सही तरीके से खर्च नहीं होता है। मैं इस बारे में वज़ीर साहब से जानना चाहता हूं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं काश्मीर के बारे में इतना अर्ज़ कर दूं कि जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है, जिन को कि हम ने ग्रान्ट देनी है और जिन की तादाद २५ से ३० हज़ार है—और चन्द एक करोड़ रुपया उन को मिलेगा—उन की ज़िम्मेदारी मेरी है, वह मामला मेरे महकमे का है और उस का काश्मीर गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ।

जहां तक शरणार्थियों की आबादकारी का सवाल है, चाहे वे जम्मू में हैं, चाहे वे श्रीनगर में हैं, चाहे वे कठूआ में हैं, किसी भी जगह हैं, उस की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की मार्फ़त पूरी करता हूं। यह कायदा है। मैं खुद जाता हूं और देखता हूं। अगर स्टेट गवर्नमेंट में त्रुटियां हैं, तो मुझ में भी हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकता।

†पुराने किले में रहने वाले लोगों का प्रश्न सभा के सामने कई बार आ चुका है । इस में ६८९ परिवार रहते थे जिन में से २३९ परिवारों को जमीन अथवा मकान दे दिए हैं और वह पुराना किला छोड़ गए हैं। अन्य ४५० परिवारों को ज़मीने आवंटित कर दी गई हैं। मुझे खेद है कि इन निवासियों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने पहले वायदा किया था कि यदि इनको ज़मीने दे दी जायें तो यह पुराना किला छोड़ देंगे परन्तु अब वह वहां से निकलने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

फरीदाबाद की समस्या के दो पहलू हैं। एक रोजगार का है तथा दूसरा मकानों की बिक्री का है । हमारी सूचना के अनुसार फरीदाबाद में लगभग ५००० परिवार बसे हैं। इन में लगभग ६००० वयस्क हैं जो नौकरी कर सकते हैं। इन ६००० में से २५०० व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों में अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में नौकर कर लिया गया है । लगभग ३०००

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

उद्योगों में लग गए हैं। इस प्रकार यह सभी व्यक्ति ५,५०० हो जाते हैं। इस के अतिरिक्त फरीदाबाद में २४०० अथवा २५०० बाहरी आदमी आ गए हैं और उद्योगों में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही यह तो नहीं बता सकता कि कितना व्यय हुआ है। संभवतया ३ करोड़ रुपये अथवा ४ करोड़ रुपये हुआ हो।

इस से स्पष्ट हो जाता है कि जब २४०० व्यक्ति बाहर से आ कर फरीदाबाद के उद्योगों में नौकरी हासिल कर सकते हैं तो कुछ सौ व्यक्ति वहां बेकार है क्या उन को रोजगार नहीं मिल सकता है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

आप जानते हैं कि मकानों के मूल्यों के बारे में इस सभा में तथा राज्य सभा में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। फरीदाबाद में जमीन समेत एक मकान के मूल्य २७०० रुपये हैं। एक बार मंत्रालय ने गणना गलत कर ली थी और मकान का मूल्य २६०० निर्धारित कर दिया था। हम उसी मूल्य पर दृढ़ हैं। यदि मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री यह चाहते हैं कि वह मकान का मूल्य ३० वर्षों में दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। उन को केवल सूद और देना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इन ४००० अथवा ५००० मकानों में से पचास प्रतिशत मकान प्रति मकान २६०० रुपये में बिक चुके हैं। परन्तु यदि ३० वर्षों की किश्त के द्वारा मकान देने की व्यवस्था की जाये तो उन्हें निश्चित रूप से सूद देना होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में जब मेरा विश्वास नहीं किया गया तो मैं ने श्री कुंजरू से कहा था कि इस मामले को अपने हाथ में ले लें। परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया और मुझे मामला प्रधान मंत्री को सौंपना पड़ा। प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि उन्होंने १० वर्ष से बकाया नहीं दिए हैं जो लगभग १० लाख रुपये आते हैं। मैंने उन से कहा कि मैं उन्हें यह हिदायत दे सकता हूं कि वह १० वर्षों में अपना बकाया धन अदा कर दें। इस प्रकार मकान मालिक बनने के लिये उन्हें २४ रुपये माहवार देना होगा।

मेरा सभा से एक निवेदन है कि मेरी बात कृपा कर के समझे। मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मकान मालिक न बनना चाहता हो और किरायेदार ही रहना चाहता हो तो उस को किरायेदार ही रहने देने में क्या हर्ज है। क्या यह जरूरी है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो उस को यहां मकान मालिक बनना ही चाहिए चाहे उस के पास पाकिस्तान में मकान रहा हो अथवा नहीं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री यदि उन के मित्र हैं तो उन्हें उन को परामर्श देना चाहिए कि मकान मालिक न बनें, किरायेदार रहें तथा राज्य की किराया विधियों के अनुसार किराया देते रहें। प्रतिकर नियमों के अनुसार उन को दो वर्ष का संरक्षण दिया जा चुका है। पंजाब में हजारों आदमी किराये पर मकान ले कर रहते हैं। इसीलिए मेरी भी उन को यही सलाह है कि किरायेदार ही बने रहें तथा मकान मालिक बनने का प्रयत्न न करें। उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन से सूद नहीं लेना चाहिए। उन से सूद अवश्य लिया जायेगा।

राजस्थान का प्रश्न हमारे सामने बहुत दिनों से है। पंजाब तथा अन्य राज्यों की भू-आवंटन योजना के अतिरिक्त ५८००० व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये भूमि का आवंटन किया गया है। इनमें से लगभग ३०००० राजस्थान में है तथा शेष २८००० पंजाब तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में लगभग २०,००० परिवार हैं तथा शेष १०००० गंगा नगर में हैं। यह भूमि इनको आरम्भ में १० एकड़ प्रति परिवार दी गई थी। इनको १२०० अथवा

१००० रुपये का ऋण दिया गया था। इस के बाद यह प्रश्न सामने आया कि क्या प्रतिकर योजना के अधीन यह भूमि के मालिक बन सकते हैं। हमारी योजना के अनुसार भुगतान की अवधि सात अथवा आठ वर्ष रखी गई थी। पहली किस्त २० प्रतिशत की थी तथा शेष धन सात बराबर किस्तो में दिया जाना था। उन की दशा देखते हुए तथा उनकी आवश्यकता देखते हुए हमने यह निर्णय किया था कि इन आवंटियों की पुनः भुगतान की अवधि ८ वर्ष से १५ वर्ष कर दी जाये। हमने दूसरी बात यह की कि पहली किस्त में २० प्रतिशत धन लेने के बजाये केवल १० प्रतिशत धन ही लिया और शेष धन को १४ वर्षों की अवधि में फैला दिया। हमने उनके लिये तीसरी बात यह की कि आरम्भ में उन को २५० रुपये का खाद्यान्न ऋण दिया गया था जो कुल ३५ लाख रुपये होता था उस को अब उनसे नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार उगाहे जाने वाला ऋण १,१५० रुपये से ९०० रुपये रह जाता है। इसकी भी पहली किस्त २० प्रतिशत से १० प्रतिशत कर दी गई है मेरे माननीय मित्र को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन रियायतों के होते हुए भी अलवर तथा भरतपुर के लोगों ने अभी तक एक पाई भी नही दी है जबकि गंगा नगर के १ ०००० व्यक्तियों में से अधिकांश ने अपना अंश दे दिया है और केवल १०० अथवा २०० लोग ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने अभी अपना अंश नहीं दिया है।

भू-राजस्व एक रुपया राज्य सरकार तथा एक रुपया हमें मिलना था परन्तु राज्य सरकार ने यह कहा कि २ रुपये लेने के बजाय वह इनसे भू-राजस्व १¼ रुपया उगाहेगी और १ रुपया अपने आप ले कर हमें केवल ४ आने देगी। हमने राज्य सरकार से कहा कि आधा आधा कर ले अर्थात् १० आने अपने लिये रख ले तथा १० आने हमें दे दे। परन्तु उस ने हमारी बात नहीं मानी। तब हम ने उनकी ही बात मान ली। परन्तु मैं इस से अधिक और कुछ करना नहीं चाहता हूं। हाल में ही मेरे कुछ मित्र तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिले थे। उन्होंने उनसे बहुत देर तक बातचीत की और यह तय पाया गया कि मामले पर प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, पुनर्वास मंत्री तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री के बीच बातचीत की जायेगी। जो नोट मैं प्रधान मंत्री को देना चाहता हूं उसकी एक प्रति मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को पहले भेज दूंगा जिससे वह उस पर पूरी तरह से विचार कर लें और समस्या हल करके निर्णय किया जा सके। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ अन्याय किया जाये। परन्तु साथ ही साथ यह भी नहीं चाहता कि एक राज्य में एक स्थान के व्यक्तियों के साथ एक व्यवहार हो तो दूसरे स्थान के व्यक्तियों के साथ दूसरा व्यवहार किया जाये मैं तो अलवर, भारतपुर, गंगानगर सभी नगरों के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास मंत्री हूं।

†**श्री शोभा राम** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के विस्थापित व्यक्तियों के साथ भी वही व्यवहार किया जायेगा जो फरीदाबाद के विस्थापित व्यक्तियों के साथ किया गया है। अर्थात् जो व्यक्ति मकान मालिक नहीं बनना चाहते हैं उन को किरायेदार रहने दिया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि समय की बहुत कमी है। माननीय मंत्री बता चुके हैं कि मामला प्रधान मंत्री के स्तर पर विचाराधीन है और वह कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा यह है कि मंत्री महोदय को आगे बढ़ने दिया जाये क्यों कि अन्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ करनी है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विस्थापित सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में क्या होगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: हम उन के लिये भरसक चेष्टा करेंगे। इस से ज्यादा और मैं कह ही क्या सकता हूं। पाकिस्तान में उन को जो हानि उठानी पड़ी थी, उस के लिये उनको हमने कोई प्रतिकर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

नहीं दिया है। और यदि अब उन को कुछ अधिक राशियां दे कर कुछ लाभ पहुंचाया जा सकेगा, तो मैं पीछे नहीं हटंगा।

मैंने अपने-आपसे भी यही प्रश्न पूछा है कि क्या आज भी परिस्थितियां वही हैं, जो इस मंत्रालय के आरम्भ के समय, आज से १४ वर्ष पहले थीं? क्या आज भी इस काम के लिये, पहले की भांति, पूरा समय देने वाला एक मंत्रालय बनाये रखना जरूरी है? पूर्वी प्रदेश के बारे में मैंने अपना दृष्टिकोण आप के सामने रख ही दिया है।

पश्चिमी प्रदेश के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी यह मंत्रालय एक वर्ष तक और है। मैं इस एक वर्ष में पश्चिमी प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिये प्रयत्नशील रहूंगा। मैं हाराकिरी या आत्महत्या नहीं कर लंगा, तब तक। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था। पाकिस्तान के साथ इसके सम्बन्ध में जो बात चल रही है उस की सफलता की अधिक आशा नहीं। मंत्रालय को बन्द करने से लोगों में कोई गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिये। वह विस्थापितों के अपने ही हित में है। इस मंत्रालय को १९६१–६२ के बाद नहीं रहना चाहिये। शरणार्थियों को अब देश के जन-जीवन में घुल-मिल जाना चाहिये। १४ वर्ष तक यह जो अलगाव रहा है, उस से काफी हानि हो चुकी है अब इस मंत्रालय को भंग कर दिया जाना चाहिये। मंत्रालय की यही राय है। वैसे अभी मंत्रि-परिषद् इस प्रश्न पर विचार करेगी, और अन्तिम निणय वही करेंगी।

हमारा प्रस्ताव यह है कि इस मंत्रालय को भंग कर दिया जाये और इस का काम अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों में बांट दिया जाये। और, मंत्रालय के स्थान पर एक निदेशालय बनाया जाये, जो किसी एक स्थायी मंत्रालय के अधीन रखा जाये। दण्डकारण्य योजना का भार भी भारत सरकार के उसी मंत्रालय को सौंप दिया जाये। तब वह निदेशालय ही समूची शरणार्थी समस्या के सम्बन्ध में कार्य करेगा। तब तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी दण्डकारण्य जाकर वहां बस चुके होंगे और तब दण्डकारण्य को राष्ट्रीय योजना समझा जायेगा। वहां कोई भी भारतीय जाकर बस सकेगा।

†**सभापति महोदय :** कोई भी माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों पर आग्रह नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७४	पुनर्वास मंत्रालय	२५,३३,०००
७५	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों पर व्यय . .	१०,३३,७३,०००
१३०	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५,४९,१७,०००

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय

†सभापति महोदय : अब सभा परिवहन तथा संचार मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें लेगी ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	६४,१२,०००
८७	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	६८,६८,२९,०००
८८	डाक तथा तार का सामान्य राजस्व में दिये लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . .	१०,६०,३७,०००
८९	वणिक नौवहन	६९,९८,०००
९०	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत .	१,३८,००,०००
९१	ऋतु-विज्ञान . . .	१,८३,४२,०००
९२	समुद्रपार संचार सेवा . . .	१,३३,८८,०००
९३	उड्डयन	६,०४,०३,०००
९४	केन्द्रीय सड़क निधि	४,००,०३,०००
९५	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	५,९७,६७,०००
९६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२,५४,२५,०००
१३३	भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया)	१८,६९,३४,०००
१३४	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय . .	३,९९,५८,०००
१३५	पत्तनों पर पूंजी व्यय	२,६४,४६,०००
१३६	सड़कों पर पूंजी व्यय	२९,४८,९२,०००
१३७	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	१२,३०,८०,०००

†सभापति महोदय : ये मांगें सभा के सामने हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम): बड़े सन्तोष की बात है कि डाक-तार विभाग ने देहाती क्षेत्रों में २०,००० डाक घर खोलने का लक्ष्य पूरा कर लिया है । तृतीय योजना काल में २०,००० और नये डाक घर खोलने का लक्ष्य है । हमारे देश में अभी भी ऐसे हजारों गांव हैं जहां डाकिया सप्ताह में एक बार ही पहुंच पाता है । डाक-तार विभाग जनता की उपयोगिता की सेवा है । इस लिये यदि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

कुछ हानि भी पड़े तो भी कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिस से कि डाकिया वहां और जल्दी-जल्दी पहुंच सके। इस के लिये डाकियों को साइकिलें दी जानी चाहिये।

केन्द्रीय वेतन आयोग की यह सिफारिश क्यों कार्यान्वित नहीं की गई है कि एक दिन से अधिक ड्यूटी पर बाहर रहने वाले डाकियों को दैनिक भत्ता दिया जाये ? इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

जिन स्थानों में तार घर खोलना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न हो, वहां के पोस्टमास्टरों और सहायक पोस्टमास्टरों को तार के संकेत भेजने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इस प्रकार कम लागत से मिले जुले डाक-तार घर खोले जा सकते हैं।

तृतीय योजना काल में तीन लाख टेलीफोन कनैक्शन दिये जाने का लक्ष्य है। उस के बाद भी हम इस मामले में अन्य उन्नत देशों से बहुत पीछे रहेंगे। हमारे देश में टेलीफोन बनने लगे हैं। यह लक्ष्य दोगुना बढ़ाया जाना चाहिये।

विभाग की ओर से हर वर्ष आश्वासन दिये जाते हैं कि कार्यालयों के लिये इमारतें बनाने का काम और तेजी से किया जायेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ साल पहले हैदराबाद मे बड़े डाक घर की इमारत के लिये ९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वह व्यपगत हो गई है।

प्राक्कलन समिति ने बताया है कि डाक तथा तार विभाग के ४.४ प्रतिशत कर्मचारियों को रहने के मकान नहीं मिल पाते। शहरी क्षेत्रों में तो और ज्यादा तंगी है। कुछ स्थानों में तो कर्मचारियों को अपने वेतन का १५ से ३० प्रतिशत तक भाग निजी मकान के किराये के रूप में दे देना पड़ता है।

चार-पांच साल से हैदराबाद में १२० से २०० तक रिहायशी मकान बनाने की बात कही जा रही है, पर धन सुलभ होने पर भी उनका निर्माण नहीं हो सका है।

सरकार ने अपनी वित्तीय नीति का पुनरीक्षण कर दिया है। अब रेलवेज की भांति ही वित्त का बंटवारा किया गया है। इस वर्ष, रेलवेज की भांति ही, सामान्य राजस्व में अंशदान की मात्रा ४ प्रतिशत से बढ़ा कर ४.७५ प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन उसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रेलवेज के लिये तो यह कुछ ठीक है, क्योंकि उसे विश्व बैंक से काफी ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता है। लेकिन डाक तथा तार विभाग के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं। इस विभाग को विकास के लिये काफी राशि रखनी चाहिये। इमारतों के निर्माण पर काफी व्यय होगा, फिर यह ४.२५ प्रतिशत की दर पर कैसे अदायगी कर सकेगा ? इसीलिये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस प्रश्न की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। वह समिति ही यह निश्चित करे कि राजस्व को सामान्य राजस्व और विकास व्यय के बीच किस प्रकार बांटा जाये। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

व्यावसायिक संस्थायें पांच नये पैसे के पोस्ट कार्ड पर अपना मजमून छपा लेते हैं और उसे बुकपोस्ट से आठ नये पैसे में भेजने की बजाय पांच नये पैसे में ही भेजते हैं। इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। इससे डाक-तार विभाग की आय बढ़ सकती है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पिछली आम हड़ताल के बाद डाक तथा तार विभाग कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ की मान्यता छीन ली गई थी ; उसे बहाल किया जाना

चाहिये । उस संघ को शक्ति पहले से और अधिक बढ़ गई है ह्विटले परिषदों की स्थापना के बहाने, मान्यता बहाल न करना अनुचित होगा । ह्विटले परिषदों से कर्मचारी-संघों की पूर्ति तो नहीं होगी ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : माननीय सदस्य को भली प्रकार विदित है कि इन बातों का निबटारा एक बैठक में हुआ था और वे उस से संतुष्ट भी हो गये थे । फिर उन्होंने हड़ताल क्यों की ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उन्होंने हड़ताल इसलिये की, इस मांग को लेकर की थी कि मंहगाई भत्ता निर्वाह देशनांक के अनुरूप दिया जाये । उनकी मांग थी कि पंद्रहवें श्रम सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित किया जाये । उसके कारण उनके संघ की मान्यता तो नहीं छीनी जा सकती ।

आखिर देश में कार्मिक संघ तो रहेंगे । योजनाओं के काल में उत्पादन बढ़ाने के लिये भी उनकी आवश्यकता रहेगी ।

पता नहीं योजना आयोग ने अब मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर दिया है या नहीं । मध्यम पत्तन विकास समिति ने इन दोनों पत्तनों के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है । काकिनाडा पत्तन का भी विकास किया जाना चाहिये ।

सेतुसमुद्रम परियोजना के प्रारम्भ में भी अब अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। मद्रास और रंगून के बीच सीधी यात्री सेवा बहाल करने का आश्वासन पूरा किया जाना चाहिये ।

नागपुर और हैदराबाद के बीच एक राष्ट्रीय राजपथ बनना चाहिये । गोदावरी नदी पर एक रेल और सड़क पुल का निर्माण शुरू किया जाना चाहिये, यदि रेलवेज़ उसकी अनुमति दे दे ।

मंत्रालय को राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अपनी नीति बदलनी चाहिये । यदि कोई राज्य सरकार यात्री या माल सेवा का राष्ट्रीयकरण करना चाहे, तो उसकी अनुमति दे दी जानी चाहिये । सरकार की कराधान नीति सुनिश्चित होनी चाहिये ।

असैनिक उड्डयन में ७४ विमान-चालक बेरोज़गार हैं । उनको काम दिया जाना चाहिये ।

द्वितीय योजना में एक भी ग्लाइडिंग केन्द्र नहीं खोला गया है, जबकि लक्ष्य १० केन्द्र खोलने का था ।

भारतीय विमान निगम को मद्रास से दिल्ली तक सुबह के वक्त एक विमान सेवा चालू करनी चाहिये ।

भारतीय विमान सेवा के कलकत्ता कार्यालय में ४०,००० रुपये का गबन हुआ था । लेकिन गबन करने वाले अधिकारी को सेवा विस्तार की अनुमति दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को 'ओवर टाइम' का भत्ता मिलना चाहिये । कई जगह चौकीदारों को १२ घण्टे तक लगातार काम करना पड़ता है । कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल जाने के लिये परिवहन की सुविधा जुटाई जानी चाहिये ।

†**श्री बर्मन** (कूच--बिहार--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : यह मंत्रालय पूरे देश के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है । यह सारे देश में संचार की व्यवस्था करता है । डाक-तार विभाग ने गत वर्ष के अन्त तक देश के ३९ प्रतिशत देहाती क्षेत्रों में रोज़ाना डाक वितरण की व्यवस्था की थी । अब प्रयास यह होना चाहिये कि शेष देहाती क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिये । इसलिये कि देश की ८५ प्रतिशत जनता देहाती क्षेत्रों में ही रहती है । अब हमारे देहाती क्षेत्रों की जनता में एक नयी जाग्रति आ रही है ।

डाक हरकारों को दैनिक भत्ता मिलना चाहिये । उनकी दशा बड़ी दयनीय है । उनको हर रोज तीन चार मील जाना पड़ता है । उनको २५ या २७ रुपये प्रति माह ही मिल पाते हैं । इतने से वेतन में उनके परिवारों का निर्वाह कैसे हो सकता है ।

अब टेलीफोन एक्सचेंजों को समूचे देश में फैलाया जा रहा है । लेकिन कई सब-डिवीजनों तक में टेलीफोन-एक्सचेंज नहीं हैं । कूच-बिहार सब-डिवीजन के मतभंगा में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना चाहिये ।

डाक-तार विभाग ने देहाती क्षेत्रों में डाक घर खोलने का काम आगे बढ़ाया है । उससे जीवन बीमा निगम का काम बढ़ा है ।

लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गांव की जनता में बचत की प्रवृत्ति बढ़ाई जाये । और इसके लिये जरूरी है कि देहाती क्षेत्रों के कुछ चुने हुए डाकघरों में बचत बैंक खोले जायें ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पिछली हड़ताल में भाग लेने के कारण कई कर्मचारियों को निकाला गया है । कई पर मुकदमे चलाये गये हैं । ३८ कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे मामले चल रहे हैं । सरकार को उन से बदला लेने की भावना त्यागनी चाहिये । उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री मो० त० मसानी** (रांची--पूर्व) : अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १०२८, १०२९ और १०३० का समर्थन करते हुए मैं सड़कों और सड़क परिवहन के विकास पर बल देना चाहता हूं । इस दिशा में मंत्रालय का किया हुआ गत वर्ष का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन का सदन के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया था, परन्तु खेद है कि समिति की सिफारिशों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया है । इस उपरोक्त समिति के प्रतिवेदन का सरकार द्वारा भी स्वागत किया गया था । परन्तु वास्तविकता यह है कि गत वर्ष के दौरान सड़क तथा सड़क परिवहन के मामले की नितान्त उपेक्षा की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मेरा निवेदन है कि पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क विकास सम्बन्धी धन का उपबन्ध लगातार कम होता रहा है, प्रथम योजना के अन्तर्गत इस मद में ४.६ प्रतिशत की व्यवस्था थी, परन्तु तीसरी योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था घटा कर २.५ प्रतिशत कर दी गयी है। यह हमारे मंत्रालय का काम है। सदन का पूरा समर्थन होते हुए भी वह योजना आयोग से मंत्रालय अपने काम को मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। आयोग ने यह बात स्वीकार नहीं की उसके कार्य का भी हमारी सरकार की दृष्टि में कुछ महत्व है।

१९४७ में राष्ट्रीय राजपथों को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस दिशा में भी बहुत कुछ कहना शेष है। ४०० मील तक संयोजक सड़कें बनवाई हैं, सैकड़ों रेल के फाटक बनवाने हैं तथा ८० बड़े-बड़े पुल बनवाने हैं। इस काम के लिए २०० करोड़ रुपये की राशि की जरूरत है, परन्तु केवल ४७½ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस मामले में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को चाहिए कि वह इस प्रयोजन के हेतु ऋण लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से बातचीत करे।

यह दुःख की बात है कि हमारे देश में सड़कों के विकास करने की ओर किसी ने ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा। विदेशों में सड़कों के विकास करने की प्रवृत्ति बहुत ही तेज है। सर्वत्र रेलवे का पूर्ण साम्राज्य है और सड़कों से केवल १० प्रतिशत यातायात होता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सड़कों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और एक बात यह भी है कि कम लागत पर अधिक लाभ होता है। इसका परीक्षण किया जा सकता है। यदि भारी ट्रकों को काम में लाया जाय तो माल का प्रति टन मील खर्च रेलवे की अपेक्षा कम बैठता है। यह भी बात है कि रेलवे लाइन बिछाने की अपेक्षा सड़क बनाने पर व्यय कम होता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सड़क परिवहन कोयले के यातायात में भी महत्वपूर्ण काम कर सकता है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार योजना आयोग से कहे कि वह सड़क परिवहन के विकास के लिए अधिक धन निर्धारित करे।

अन्त में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नियोगी समिति में समुचित परिवर्तन किया जाये यदि संभव हो तो इस नीति निर्धारित करने वाली समिति में अधिकारियों के स्थान पर सार्वजनिक कार्य कर्ताओं को लिया जाय, वे अधिकारियों से इस मामले में अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टेहरी गढ़वाल): यह बात ठीक ही है कि इस मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ विषयों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मंत्री महोदय भी प्रायः उदासीन ही रहे हैं विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था भी नहीं की गयी। सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड में परिवहन तथा संचार मंत्रालय के मंत्री महोदय को नहीं रखा गया। इस बोर्ड का संगठन बड़े गलत तथा असन्तोषजनक ढंग से किया गया है। यह बड़े खेद की बात है कि परिवहन परिचालन विशेषज्ञों को इसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया। कितने आश्चर्य की बात है कि सड़कों के निर्माण से जो नये क्षेत्रों का निर्माण हुआ है उनके विकास

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मानवेन्द्र शाह]

की ओर ध्यान देने तथा तत्संबंधी योजनायें निर्माण करने के संबंध में जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसको यह भी पता नहीं कि उसने क्या करना है ।

अन्य बात यह है कि देश के भीतर विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में यह मंत्रालय आत्म-तुष्ट है । परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत जो पोत बनाने के लिए १५ लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया था मंत्रालय उसका उपभोग नहीं कर सका। तीसरी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक महत्व की सड़कों तथा अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए राज्यों को दिए जाने हेतु केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गयी है उसके लिए चालू वर्ष के आय-व्ययक में कोई धन नहीं रखा गया है । अन्तर्राज्यीय सड़कों की कुल व्यवस्था जो है उसका केवल १० प्रतिशत दिया गया है । यह धन पर्याप्त नहीं है । मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती सड़कों के लिए जो भी राशि निर्धारित है उसका ब्यौरा दिया जाना चाहिए । इन सड़कों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए ।

जहां तक टेलीफोन तथा एक्सचेंज यंत्रों का संबंध है हमारी सरकार को यह विचार करना चाहिए कि इसका निर्यात किया जाना व्यावहारिक अथवा देश के हित में है अथवा नहीं।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** (बेल्लारी) : अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए सभी प्रकार के परि-वहन के साधन उपयोगी हैं । विभिन्न परिवहन साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति बिठाई गई थी जिसका नाम नियोगी समिति था । उस समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में लिखा है कि समन्वय के सम्बन्ध में अभी समिति ने किसी प्रकार की सिफारिशें नहीं की हैं क्योंकि ऐसी नीति दीर्घकालीन नीति के एक अंग के रूप में ही प्रस्तुत की जा सकती है । इस संबंध में तीन विकल्पों पर उन्होंने विचार किया है पर अभी तक वह किसीके बारे में पक्की राय नहीं बना सके हैं ।

अब हम सड़कों के विकास की एक बीस वर्षीय योजना बना रहे हैं । पहली योजना जिसे नागपुर योजना कहते थे समाप्त हो चुकी है । उसके लक्ष्यों की लगभग पूर्ति हो चुकी है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सड़कों से हमें केवल पक्की सड़कें ही न समझनी चाहिए । इन में रोड़ी वाली और मुरूम सड़कें भी शामिल हैं । हो सकता है कि कोई एक आध गांव सड़क से पांच मील की दूरी पर हो परन्तु व्यापक दृष्टि से यह लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है ।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** : हालांकि हमारा देश बहुत विस्तृत है तथापि यह लक्ष्य करीब-करीब पूरा हो चुका है । केन्द्र और राज्यों के इंजीनियरों ने सड़कों के विकास की दूसरी बीस वर्षीय योजना तैयार कर ली है । किन्तु इसे अंतिम रूप से इस कारण स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी नियोगी समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । इस को देखते हुए यही लगता है कि इससे तो काम में रुकावट पैदा हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना में सड़कों के विकास पर २५० करोड़ रुपया खर्च किया गया अब भी उतना ही रुपया खर्च किया जाना है । इसमें से १७० करोड़ रुपया राज्यों आदि की सड़कों पर खर्च किया जायगा परन्तु यह रकम थोड़ी प्रतीत होती है । जहां तक सड़कों का परिवहन का संबंध है, १९६०-६१ में ५४,००० बसें थीं और १,५०,००० ट्रक थे । कई राज्यों में यात्री बसों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है पर ट्रक सभी गैर-सरकारी हाथों में हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार को इस दिशा में और बढ़ावा देना चाहिए ।

जहां तक पश्चिमी -तटीय सड़क के निर्माण का सम्बन्ध है, इसमें से २४० मील सड़क बना दी गयी है । अनेक पुल भी बन चुके हैं इस तरह से प्रगति उत्साहवर्द्धक है परन्तु अभी भी काफी काम बाकी है । सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को कहे कि वह इस काम को शीघ्रता से पूरा करें बेल्लारी में होजपेट के निकट लाइन पर सड़क का पुल बनाना चाहिए ताकि यातायात अवरुद्ध न हो ।

जहां तक सब ऋतुओं में खुली रहने वाली बन्दरगाहों के विकास का प्रश्न है कारवाड़, ट्यूटीकानं और मंगलौर का विकास बड़ा ही उपयोगी होगा । इन बन्दरगाहों से अर्थ-व्यवस्था को काफी लाभ होगा आंतरिक जल मार्गों के विकास की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । यह खेद की बात है कि जो थोड़ा बहुत रुपया इस प्रयोजन के लिए रखा भी जाता है, उसे भी खर्च नहीं किया जाता ।

डाक व तार विभाग ने स्वतंत्रता के बाद से काफी उन्नति की है । तीसरी योजना के अंत तक हम १७,००० डाक घर और भी बनवा लेंगे । इस से और विकास होगा । किन्तु अभी डाक बांटने की प्रणाली को और सुधारने की आवश्यकता है । गांवों में डाक यथासंभव शीघ्र बंटनी चाहिए । छोटे डाक घरों को बड़े डाकघर बनाना चाहिए ।

पर्यटकों से हम हर साल काफी विदेशी मुद्रा कमाते हैं इस लिये हमें उन को काफी सुविधायें भी देनी चाहिएं । हमारे यहां हाम्पी के स्थान पर एक विश्राम-गृह बनाया जाना चाहिए । इसके बनाने की योजना तो थी किन्तु यह फिर रह गया । कम से कम इसे पूरा अब तो करना चाहिए ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	९३७	श्री अरविंद घोषाल	गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मार्ग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपय
८६	९३८	श्री अरविंद घोषाल	गंगा-ब्रह्मपुत्र मार्ग के एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१०२८	श्री मी० रु० मसानी	सड़कों के लिये पर्याप्त व्यवस्था न करना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	१०२९	श्री मी० रु० मसानी	परिवहन आयोजन सम्बन्धी समिति का गठन	१०० रुपये
८६	१०३०	श्री मी० रु० मसानी	सड़क परिवहन उपयोगी गाड़ियां बनाने को सुविधायें देने में असफलता	१०० रुपये
८६	१०६९	श्री अरविंद घोषाल	ब्रह्मपुत्र नदी की खुदाई की जरूरत	१०० रुपये
८६	१०७०	श्री अरविंद घोषाल	हुगली नदी के लिये अधिक ड्रेजरों की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१०७१	श्री अरविंद घोषाल	हुगली नदी की खुदाई की जरूरत	१०० रुपये
८६	११२२	श्री आसर	रत्नगिरि के तटवर्ती दरियाओं की खुदाई की जरूरत ताकि आंतरिक जल मार्गों का विकास हो	१०० रुपये
८६	११२३	श्री आसर	महाराष्ट्र में बन्दरगाहों के विकास का काम शुरू करना	१०० रुपये
८६	११२४	श्री आसर	रत्नगिरि में सब ऋतुओं में खुली रहने वाली बंदरगाह बनाने की जरूरत	१०० रुपये
८६	११२५	श्री आसर	डामल, जायगड में समुद्र के मुहाने से रेत हटाने में विलम्ब	१०० रुपये
८६	११२६	श्री आसर	स्टीमरों में यात्रा करने वालों को अच्छी सुविधायें देने की जरूरत	१०० रुपये
८६	११२७	श्री आसर	कोंकण के तट पर स्टीमर सर्विस का काम	१०० रुपये
८६	१३५८	श्री अरविंद घोषाल	फरक्का बांध की पूर्ति में विलम्ब	१०० रुपये
८६	१३५९	श्री अरविंद घोषाल	सीमांत संचार के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	१३६०	श्री अरविंद घोषाल	हुगली की सतह से डूबे जहाजों आदि को निकालना	१०० रुपये
८६	१३६१	श्री अरविंद घोषाल	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाजों को शीघ्र देने की जरूरत	१०० रुपये
८६	१३६२	श्री अरविंद घोषाल	जहाज निर्माण सम्बन्धी सामग्री को भारत में बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६३	श्री अरविंद घोषाल	जहाजों के लिये आवश्यक इस्पात की चादरों को बनाने के लिये इस्पात मंत्रालय से समन्वय की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६४	श्री अरविंद घोषाल	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पूरे समय का काम देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६५	श्री अरविंद घोषाल	कोचीन के दूसरे शिपयार्ड के चालू होने से पहले सहयोगी उद्योगों के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६६	श्री अरविंद घोषाल	संयुक्त स्टीमर कम्पनियों को विकास के लिये दिये गये ऋण के ठीक इस्तेमाल की जरूरत	१०० रुपये
८६	१३६७	श्री अरविंद घोषाल	एन० ई० पी० टी० ई० यू० को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६८	श्री अरविंद घोषाल	सुभाष चन्द्र बोस की याद में टिकट जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१३६९	श्री अरविंद घोषाल	हल्दिया के विकास को तेजी से करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१४१४	श्री अरविंद घोषाल	हुगली नदी में आधुनिक खुदाई प्रणाली से काम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१४१५	श्री अरविंद घोषाल	अधिक भारतीय नाविक भर्ती करने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	१४१६	श्री अरविन्द घोषाल	नाविकों के लिये भविष्य निधि जारी करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४१७	श्री अरविन्द घोषाल	नाविकों को सेवा की सुरक्षा की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४१८	श्री अरविन्द घोषाल	नाव चलने योग्य नदियों में से रेत निकालने के लिये पश्चिमी बंगाल में आंतरिक जलमार्गों का विकास करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४१९	श्री अरविन्द घोषाल	सेतुसमुद्रम परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४२०	श्री अरविन्द घोषाल	नौचालन की एक संस्था बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
८६	१४७४	श्री त० ब० विट्ठलराव	शिपिंग डायरेक्टोरेट, कलकत्ता का काम ।	१०० रुपये
८६	१४७५	श्री त० ब० विट्ठलराव	युनाइटेड सी-मैन यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४७६	श्री त० ब० विट्ठलराव	समस्त प्रशिक्षित नाविकों को पूरा रोजगार देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८६	१४७७	श्री त० ब० विट्ठलराव	नाविकों को बेकारी के समय का मुआवजा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८६	१४७८	श्री त० ब० विट्ठलराव	"इंडियन सक्सैस" की क्षति की जांच ।	१०० रुपये
८६	१४७९	श्री त० ब० विट्ठलराव	भारत में नाविक होटलों के अंदर नाविकों को खाना और स्थान मुफत देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८६	१४८०	श्री त० ब० विट्ठलराव	मद्रास और रंगून के बीच एक सीधी स्टीमर सेवा चालू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	११	श्री ब० च० मलिक	उड़ीसा सर्किल आफिस के लिये काफी कर्मचारी मंजूर करने की जरूरत ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८७	१२	श्री ब० च० मलिक	उड़ीसा सर्किल को बड़ा केन्द्र बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१३	श्री ब० च० मलिक	उड़ीसा सर्किल के डाक तार डायरेक्टर का दफ्तर भुवनेश्वर में बनाने की असफलता ।	१०० रुपये
८७	१४	श्री ब० च० मलिक	उड़ीसा सर्किल में जयपुर में बड़े डाक घर का भवन न बना सकना ।	१०० रुपये
८७	१५	श्री ब० च० मलिक	उड़ीसा सर्किल में डाक तार सलाहकार समिति में प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद्-सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१६	श्री ब० च० मलिक	जो डाक घर एक साल से चल रहे हैं उनमें बचत बैंक खोलने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१७	श्री ब० च० मलिक	जयपुर बड़े डाक घर में २५-लाईन एक्सचेंज के बनने में विलम्ब रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१८	श्री ब० च० मलिक	कैंपाड़ा अतिरिक्त विभागीय डाक घर को विभागीय बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	२०३	श्री म० ब० ठाकुर	इमाता, विष्णुनगर तालुका, गुजरात, में डाक घर तथा तार घर खोलने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	२०४	श्री म० ब० ठाकुर	गुजरात में बलियाने, पाटन तालुका में तार घर खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	२०५	श्री म० ब० ठाकुर	गुजरात तथा पाकिस्तानी सीमा के के नगरों में तारघरों पर टेली-फोन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८७	२०६	श्री म० ब० ठाकुर	गुजरात के गांवों में डाक घर खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	२०८	श्री म० ब० ठाकुर	बड़ौदा में डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	२०९	श्री म० ब० ठाकुर	अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	२१०	श्री म० ब० ठाकुर	डाक घरों के बड़े अफसरों को तीन साल पश्चात् बदल देने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	२६३	श्री म० ब० ठाकुर	पंडारा रोड तथा पश्चिमी व पूर्वी विनय नगर में टेलीफोन सुविधाओं की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	५०३	श्री अरविन्द घोषाल	रत्नगिरि जिले में ज्यादा डाक घर खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	५०४	श्री अरविन्द घोषाल	रत्नगिरि जिले में ज्यादा तार घर खोलने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	५०५	श्री अरविन्द घोषाल	रत्नगिरि जिले के चार तालुकों में ट्रंक काल टेलीफोन लगाने में असफलता ।	१०० रुपये
८७	५०६	श्री अरविन्द घोषाल	रत्नगिरि जिले में और ब्रांच डाक-घर खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१३८४	श्री अरविन्द घोषाल	डाक व तार कल्याण सलाहकार समिति के व्यापक विधान की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१३८५	श्री अरविन्द घोषाल	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए डारमिट्रियें व विश्राम-गृहों की व्यवस्था करना ।	१०० रुपये
८७	१३८६	श्री अरविन्द घोषाल	हड़ताल में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को बहाल करने की जरूरत ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८७	१३८७	श्री अरविन्द घोषाल	हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की स्थिति बहाल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१३८८	श्री अरविन्द घोषाल	उन कर्मचारियों के उन्नति के रास्ते से रुकावट हटाने की आवश्यकता जो हड़ताल में शामिल हुए थे और जिन्होंने विभागीय परीक्षाएं पास की हैं ।	१०० रुपये
८७	१४२१	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता टेलीफोन के मुख्य कार्यालय के प्रशासन को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४२२	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता में अवैध टेलीफोनों को हटाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४२३	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता टेलीफोन के मुख्य दफ्तर में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४२४	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता टेलीफ़ोन के मुख्य दफ्तर में जनता से अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४३५	श्री अरविन्द घोषाल	हैदराबाद में डाक व तार कर्मचारि ों के लिए रिहायशी क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४३६	श्री अरविन्द घोषाल	हैदराबाद में जनरल पोस्ट आफिस की नयी इमारत बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१४३७	श्री अरविन्द घोषाल	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
८७	१४५५	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता टेलीफोन गाइड में विधान सभा और संसद् के सदस्यों की सूची अलग देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८७	१४५६	श्री अरविन्द घोषाल	टेलीग्राफ वर्कशापों में कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४५७	श्री अरविन्द घोषाल	आर० एम० एस० के काम से रेलवे मंत्रालय के समन्वय की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४५८	श्री अरविन्द घोषाल	हावड़ा मुख्य डाक घर में ज्यादा डाकियों की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१४५९	श्री अरविन्द घोषाल	हावड़ा के बड़े डाक घर के लिए अच्छा भवन बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४६०	श्री अरविन्द घोषाल	हावड़ा प्लेटफार्म पर आर० एम० एस० के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता ।	१०० पय
८७	१४६१	श्री अरविन्द घोषाल	डाक व तार के लिए लोक निर्माण शाखा के निर्माण की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१४६२	श्री अरविन्द घोषाल	जबलपुर के तार संचार प्रशिक्षण केन्द्र में सुधार की जरूरत ।	१०० रुपये
८७	१४६३	श्री अरविन्द घोषाल	डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों को समय पर वर्दी देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४६४	श्री अरविन्द घोषाल	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के आवास की स्थिति सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपय
८७	१४८१	श्री अरविन्द घोषाल	आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८७	१४८२	श्री अरविन्द घोषाल	डाक तथा तार कर्मचारियों के नेशनल फैडरेशन के पदाधिकारियों का बुरा बर्ताव ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८७	१४८३	श्री अरविन्द घोषाल	जिन कर्मचारियों ने एक वर्ष से अधिक की सेवा की है उन्हें स्थायी बनाया जाये ।	१०० रुपये
८७	१४८३	श्री अरविन्द घोषाल	नेशनल फैडरेशन को फिर से मान्यता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८९	१३८९	श्री अरविन्द घोषाल	इण्डियन मर्केन्टाइल मेरिन के फ्लीट के विस्तार की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८९	१३९०	श्री अरविन्द घोषाल	अधिक मर्चेन्ट नेवी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
८९	१३९१	श्री अरविन्द घोषाल	इण्डियन नेवीगेटर की दुर्घटना की पूरी जांच की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९०	१३९२	श्री अरविन्द घोषाल	प्रकाश स्तम्भों को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९०	१३९३	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता के प्रकाश स्तम्भ तथा लाइट कीपर प्रशिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९४	श्री अरविन्द घोषाल	अगरतला तथा इम्फाल के हवाई अड्डों को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९५	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिमी बंगाल में बेहदा के हवाई अड्डे की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९६	श्री अरविन्द घोषाल	आसनसोल अथवा दुर्गापुर में हवाई अड्डे की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९७	श्री अरविन्द घोषाल	इम्फाल हवाई अड्डे पर विश्रामालय के सुधार की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९८	श्री अरविन्द घोषाल	दमदम हवाई अड्डे को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९३	१३९९	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता से देहली को प्रतिदिन सुबह जहाज भेजने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
९३	१४००	श्री अरविन्द घोषाल .	जो हवाई लाइन अनुसूचित नहीं हैं उनके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	१४०१	श्री अरविन्द घोषाल .	दमदम हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि की क्षतिपूर्ति देने में असफलता।	१०० रुपये
९३	१४०२	श्री अरविन्द घोषाल .	जो ओपरेटर अनुसूचित नहीं हैं उन से दमदम हवाई अड्डे पर हेंगर चार्ज लेने में असफलता।	१०० रुपये
९३	१४०३	श्री अरविन्द घोषाल .	जो वाय-समवाय अनुसूचित नहीं हैं उनकी अवांछित कार्यवाहियों को रोकने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	१४०४	श्री अरविन्द घोषाल .	जो हवाई अड्डे अनुसूचित नहीं हैं उनको आई० ए० सी० के चार्टर हवाई जहाजों को देने की व्यवस्था को रोकना।	१०० रुपये
९३	१४०५	श्री अरविन्द घोषाल .	आई० ए० सी० हवाई सेवाओं को अलीपुर द्वार तक बढ़ाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	१४२५	श्री अरविन्द घोषाल	आई० ए० सी० सेवाओं को कुच्छ बिहार तक बढ़ाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	१४२६	श्री अरविन्द घोषाल .	जो आपरेटर अनुसूचित नहीं हैं उनकी कार्यवाहियों को रोकने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९५	१४३८	श्री त० ब० विट्ठलराव .	नागपुर तथा हैदराबाद के बीच राजपथ बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९६	१४३९	श्री त० ब० बिट्ठलराव .	इंडियन एयरलाइन्स निगम की सेवाओं को हैदराबाद होकर मद्रास से नई दिल्ली तक प्रतिदिन सुबह चलाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९६	१४४०	श्री त० ब० विट्ठलराव .	विशाखापटनम् में ड्राई डाक के बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
९६	१४४१	श्री त० ब० विट्ठलराव .	कलकत्ता के आई० ए० सी० कार्यालय में कुप्रथाएं ।	१०० रुपये
१३५	१९	श्री व० च० मलिक .	तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदीप को बड़ा बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३५	१४४२	श्री त० ब० विट्ठलराव .	तूतीकोरन तथा मंगलौर को सभी मौसम के लिये बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३५	१४८६	श्री त० ब० विट्ठलराव .	सेठू समुद्रम परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३५	१४८७	श्री त० ब० विट्ठलराव .	काकीनादा को सभी मौसमी बंदरगाह बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	२०	श्री व० च० मलिक .	उड़ीसा में इन्दुपुर घाट पर ब्रह्मी नदी पर बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	२१	श्री व० च० मलिक	उड़ीसा में ब्रह्मनी नदी पर खर्सारोटा, वैतरणी पर राजपथ बनाने में देरी ।	१०० रुपये
१३६	१७७	श्री व० च० मलिक .	मनीपुर में सभी मौसमी सड़कों के बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	२१२	श्री मो० ब० ठाकुर	कांडला से अहमदाबाद और राजकोट से पत्तन तक राजपथ बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	२१३	श्री मो० ब० ठाकुर .	बम्बई दिल्ली राजपथ को समय के भीतर बनाने में असफलता ।	१०० रुपये
१३६	२६९	श्री मो० ब० ठाकुर	कांडला से पालनपुर तक राजपथ बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं मंत्रालय को इस बात की बधाई देता हूं कि लगभग सभी गांवों में डाक तथा तार घर खुल गये हैं । जिस गांव की आबादी दो हज़ार है उसमें निश्चित रूप से एक डाक घर होगा । लेकिन मेरा एक निवेदन है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि टेलीफोन कनेक्शन देने तथा टेलीफोन उद्योग सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्विति में विलम्ब न किया जाये । मेरा निवेदन तो यह है कि इन योजनाओं की जांच करने में जो समय लगाया जाता है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

वह नहीं लगाना चाहिये। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी योजना की जांच में और बाद को उसे सरकार की स्वीकृति मिलने में तथा स्वीकृति मिल जाने के बाद उसे कार्यान्वित करने में काफ़ी समय लग जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि तब तक वह योजना पुरानी हो जाती है।

डाक तथा तार मिलने में प्राय: देरी हो जाती है। लेकिन इसके लिये विभाग क्षमा याचना कर तो लेता है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि काम बिगड़ जाने पर माफी मांगने से क्या लाभ अत: यह अच्छा होगा कि डाक तथा तार विभाग सावधानी से कार्य करे और होने वाली इस देरी को रोके।

सड़कें प्राय: अधिक चौड़ी नहीं होती और न वह पक्की ही होती हैं। अत: मेरा निवेदन है कि गाड़ियों को आसानी से आने जाने के लिये पक्की सड़कों को कम से कम १८ फीट चौड़ा बनाया जाये। और इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाये जायें और उनकी समुचित देखभाल की जाये। सड़कों पर पुलों को भी चौड़ा किया जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्तमान सड़कों को नगर से मिलाने के लिये उनका रास्ता बदलने की अपेक्षा उन नगरों को मिलाने वाली पुरानी सड़कों का ही विस्तार किया जायें।

टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये स्थान अर्जित करने में बहुत समय नहीं लगाया जाना चाहिये। ताकि एक्सचेंज बनाने का काम शीघ्र ही शुरू किया जा सके। दिल्ली में जो टेलीफोन डाइरेक्टरी अभी दी गई है उसमें टेलीफोन नम्बर साफ नहीं छपे हैं परिणामस्वरूप बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: प्राधिकारियों को इस मामले में रुचि लेनी चाहिये ताकि ये डाईरेक्टिरियां ठीक से छपें। अन्तर्राष्ट्रीय डाइरेक्टरी का स्तर भी अच्छा बनाना चाहिये।

मनीआर्डर फार्म तथा अन्य लेखन सामग्री आदि भी प्रादेशिक भाषाओं में छपाने चाहिये। मेरा निवेदन है कि विशेषरूप से मनीआर्डर फार्म प्रादेशिक भाषाओं में छपाये जायें। हिन्दी में ये फार्म भी छपते हैं लेकिन हिन्दी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं में भी ये फार्म होने चाहियें। इसका परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार हिन्दी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं को भी प्रोत्साहन देगी।

यदि गंगा और गोदावरी को मिला पाना कठिन है, तो सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये कि किसी तरह उत्तर और दक्षिण भारत को नदियों के द्वारा मिला दिया जाये। इससे यह लाभ होगा कि देश में जहाजरानी के द्वारा व्यापार हो सकेगा। हो सकता है कि इस योजना पर १००० करोड़ रुपये व्यय हों लेकिन इसको क्रियान्वित करना आवश्यक है। ऐसा कुछ उपाय किया जाना चाहिये कि पहाड़ों के फिसलने तथा बाढ़ों के कारण वहां की संचार व्यवस्था को हानि न होने पाये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, ट्रांस्पोर्ट एंड कम्युनिकेशंज़ मिनिस्ट्री के तीन हिस्से हैं, एक पी० एंड टी०, दूसरा ट्रांस्पोर्ट और तीसरा सिविल एवियेशन। मैं देखता हूं कि सिविल एवियेशन के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है और यह एपेरेंट भी है। पी० एंड टी० को एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर रख दिया गया है, ट्रांस्पोर्ट को स्टेट मिनिस्टर के अंडर

रखा गया है लेकिन सिविल एवियेशन को एक डिप्टी मिनिस्टर के अंडर ही रखा गया है। ये जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, इनका भी रुतवा बढ़ा दीजिये और उनको भी स्टेट मिनिस्टर बना दीजिये जिससे उनका भी कुछ रौब हो, कुछ डिपार्टमेंट में उनकी चल सके। आप जानते हैं कि आजकल अगर किसी की पोजिशन होती है तभी लोग उसकी बात को मानते हैं; मैं बता रहा हूं। सिविल एवियेशन में सर्विसिज का जो आर्गनाइजेशन है, उसमें भी एक अजीब धांधली है। आर्डिनेरिली हम समझते हैं जो ग्रेड हैं वे १, २, ३, ४ हैं और इस हिसाब से चलते हैं सभी डिपार्टमैंट्स में। लेकिन यहां क्या है? यहां १ टू १० आर १२ हैं। और डिपार्टमैंट्स में ग्रेड १ इज़ दी हाइएस्ट, लेकिन इस डिपार्टमेंट में ग्रेड १ इज़ दी लोएस्ट। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो बात मेरी समझ में नहीं आई। यह क्या धांधली है? एक और दो ग्रेड के आदमी शायद चपरासी होत हैं---

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन): हवाई जहाज़ नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए।

पंडित द्वा० ना० तिवारी: एप्वाइंटमेंट्स जो होती हैं, उनमें भी यहा वैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं। हवाई केस है इस वास्ते लोगों को एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज़ के जरिये नहीं लिया जाता है। डिपार्टमेंट में भी देखा है कि अगर कोई एप्वाइंटमेंट होना होता है ग्रेड ४ और ५ में तो यह नहीं देखते हैं कि ग्रेड ३ के जो लोग हैं और जो सीनियर लोग हैं उनका प्रोमोशन कर दें, लेकिन मनमानी की जाती है। जो इनचार्ज लोग हैं वे करते यह हैं कि एडवर्टिज़मेंट निकाल देते हैं, यदि उनको किसी को बाहर से लेना होता है और जो काम कर रहे लोग होते हैं, उनके क्लेम को छोड़ देते हैं। अगर मन होता है तो ग्रेड ३ और ४ के लोगों को ग्रेड ५ और ६ में ले लेते हैं। तब उस सूरत में ऐसा नोटिस निकालते हैं ताकि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वे दरख्वास्त दे सकें। लेकिन फिर भी सीनियारिटी और एफिशेंसी पर प्रोमोशन नहीं होता है। एक बोर्ड बना देते हैं और बोर्ड के लोग करते यह हैं कि जिसका मन चाहा नाम निकाल दिया और जिसको मन चाहा रख लिया। मैंने एक एडवर्टिज़मेंट डिप्टी मिनिस्टर साहब को दिया था और एक चिट्ठी भी लिख कर साथ दी थी कि किस तरह से यह धांधली हो रही है और इस बात को चार महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे जवाब नही मिला है। शायद जवाब भी इसका उनके पास कोई नहीं है। हवाई जहाज़ नीचे से ऊपर जाता है लेकिन डिपार्टमेंट को मैं समझता हूं नीचे की तरफ देखना चाहिये। जो स्टाफ के लोग हैं, उनकी सीनियारिटी और एफिशेंसी को आप नजर अंदाज़ करेंगे तो लोगों में डिसकंटेंटमेंट फैलेगा जिससे काम में हर्जा होगा।

अभी हाल ही में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें सिर्फ रुपये बढ़ाने की ही बात नही थी, और भी लोगों के ग्रीवेंसिज़ थे। छोटे छोटे ग्रीवेंसिज़ को ले कर भी बहुत बवाल हो जाता है। इस की तरफ आप देखिये, केवल हवा में उड़ने का प्रयत्न न कीजिये, नीचे धरातल पर आइये और जो एम्प्लायीज़ हैं उन की बातों को देखने की कोशिश कीजिये। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ यही चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब तवज्जह दें इस तरफ जिस में लोगों को जस्टिस मिल सके।

अपने ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर से मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत प्रगति की है, उन्होंने बहुत काम किया है, इस के लिये उन को बधाई है और बधाई उन की सिविल ऐविएशन मिनिस्ट्री को भी है क्योंकि उन के समय में कुछ नफा हुआ है एअर सर्विस में। इस के लिये बधाई है, लेकिन इस बधाई देने के साथ साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऊंचे उड़ने के साथ साथ वे नीचे भी आयें।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का कैपिटल पटना है । पटना के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है । उत्तर में नदी, दक्षिण में नदी । अगर आप यहां गंगा के ऊपर एक रोड ब्रिज बनवा दें तो अच्छा होगा जिस में पटना बाहर निकल सके, उस का बिजिनेस बढ़ सके, उस की आबादी बढ़ सके और कैपिटल से उस पार के लोगों से सम्बन्ध हो जाये । इस पर कोई बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होगा । आप इस के लिये कोशिश कीजिये, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से ले कर, कुछ अपने पास से कर, आप इस को बनवा सकते हैं ।

श्री राज बहादुर : मोकामा ब्रिज है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मोकामा ब्रिज हमारे यहां हैं, लेकिन उस का कैपिटल से कोई सम्बन्ध नहीं है । हम लोग बहुत चाहते थे कि वह पुल पाटन में आ जाय, सारे बिहार के लोगों ने उसके लिए कहा था लेकिन आप की मिनिस्ट्री ने बनने नहीं दिया । आप ने उसे मोकामा में बना दिया, नहीं तो हम चाहते थे कि अगर पटना में बनता तो दोनों काम चल जाते । कैपिटल का भी काम चल जाता और मोकामा वाला काम भी चल जाता । उसे बनने नहीं दिया गया । इसका किस्सा तो आप जानते ही होंगे । बड़ी बड़ी बातें हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाना*

†**अध्यक्ष महोदय :** अब आधे घंटे की चर्चा शुरू होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, अपनी आध घंटे की चर्चा आरम्भ करने के पूर्व मैं स्पष्ट भाषा में यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष में कदापि नहीं हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय । न मैं इस पक्ष में कि शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जायें कि जो स्वतंत्र मस्तिष्कों का विकास न हो सके । परन्तु मैं यह आध घंटे की चर्चा विशेष रूप से इसलिये आरम्भ करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आज एक व्यापारिक मनोवृत्ति घर करती चली जा रही है जो कि शिक्षा के लिये एक लांछन है । इस को किस प्रकार समाप्त किया जाय इस पर यह सदन विचार करे ।

हमारे देश में तीन प्रकार की शिक्षण संस्थायें हैं । एक शिक्षण संस्थायें तो वे हैं जो सरकार द्वारा सीधी चलाई जाती हैं, दूसरी शिक्षण संस्थायें वे हैं जो सरकारी सहयोग प्राप्त कर के चलती हैं और तीसरी शिक्षण संस्थायें वे हैं जो न गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, न सरकारी सहयोग प्राप्त करती हैं और न ही उन को किसी प्रकार की सरकारी मान्यता प्राप्त है जो इस देश में स्वतंत्र रूप से चल रही हैं । यह शिक्षण संस्थायें हमारे शिक्षा जगत पर एक प्रकार का भार और लांछन होती जा रही हैं । उन के सम्बन्ध में हम थोड़ा गम्भीरता से विचार करें । सन् १९५५–५६ में "एजुकेशन इन इंडिया" की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इस देश में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की संख्या लड़कों के लिये ७१७५ थीं । और जो इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें लड़कियों के लिये थीं वे ८१९ थीं । जहां तक मेरी जानकारी है अब से कोई दो वर्ष पूर्व इस दिल्ली नगर के अन्दर

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

लगभग ५०० इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही थीं । इन शिक्षण संस्थाओं में से कुछ इस प्रकार की संस्थायें हैं जो मांटेसरी स्कूल के रूप में चलती हैं, कुछ इस प्रकार की हैं जिन में प्रभाकर, पैट्रिक और पंजाब की दूसरी परीक्षाओं के लिये तैयारियां कराई जाती हैं, कुछ संगीत की शिक्षण संस्थायें हैं, किन्हीं में नृत्य की शिक्षा दी जाती है, और कुछ ऐसी भी संस्थायें दिल्ली में और भारत के बड़े बड़े नगरों में हैं जिन के द्वारा केवल परीक्षायें ही ली जाती हैं, और वे केवल व्यापारिक स्तर पर परीक्षायें ले रही हैं । लेकिन जो सब से भयावह चीज है और चिन्तन का विषय है, जिसका शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये, वह वे शिक्षण संस्थायें हैं जो बच्चों से या अध्यापकों से उनका पेट काट कर पैसा लेती हैं और दूसरे उपयोग में लगाती हैं । अभी कुछ समय पहले आप ने केरल के सम्बन्ध में सुना होगा कि वहां पर इसी प्रकार की कठिनाई थी, जिस पर केरल की तत्कालिक गवर्नमेंट ने कुछ कार्रवाई भी करनी चाही थी, और वहां पर मिशनरियों द्वारा जो शिक्षण संस्थायें चलाई जा रही हैं उन में इस प्रकार की स्थिति है कि मान लीजिये किसी अध्यापक को २०० रु० वेतन दिया जाना है तो उस के २०० रु० के वेतन में से उसे केवल १०० रु० दिये जाते हैं, कहा यही जाता है कि उस को २०० रु० दिया जाता है, और इस तरह से जो बाकी का १०० रु० होता है अध्यापकों के वेतनों का बचा हुआ वह धर्म के प्रचार में व्यय किया जाता है । कहीं इस प्रकार की स्थिति है कि कोई मिशनरियों द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल है, वहां के मैनेजर को तनख्वाह दी जाती है जितना कि स्कूल का पूरे वर्ष का व्यय भी नहीं होता है । इस स्थिति को मैं नहीं कह रहा हूं, जो आप की सेकेन्डरी एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट है उस में है कि मिशनरियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थायें जो हैं उन में स्थिति क्या है : वहां मैनेजरों को उनके द्वारा संस्था को दी गई राशि की अपेक्षा बहुत अधिक धन वेतन के रूप में दिया जाता है । अब आप स से अनुमान लगायें कि किस प्रकार से शिक्षण संस्थायें व्यापारिक स्तर पर कार्य करती चली जा रही हैं ।

अब कुछ संस्थायें इस प्रकार की हैं जिन में एक ही व्यक्ति है और वह सारी की सारी संस्था को चला रहा है । अभी कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार में २३ सितम्बर को एक खबर निकली, श्री सुनन्दा के० दत्त रे के द्वारा । इस समाचार में लिखा है कि कलकत्ता में भी इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें हैं जहां एक ही कमरा है, एक ही अध्यापक, वही मैनेजर है, वही अध्यापक है. वहां पर कुछ कुर्सियां डाली हुई हैं, और वहां पर सुबह से शाम तक तीन-तीन, चार-चार शिफ्टें लगती हैं । कहीं कहीं पर उस को स्कूल लिखा जाता है और वहीं कहीं पर स्कूल न लिख कर यनिवर्सिटी लिखा जाता है । और उस को व्यापार का साधन बनाया हुआ है । अभी पीछे ३५वीं अखिल भारतीय शिक्षा कांफरेंस कानपुर में हुई । उस सम्मेलन में भी इस बात को खास तौर पर एक प्रस्ताव पास कर के कहा गया था कि व्यापारिक स्तर पर जो इस प्रकार की संस्थायें चल रही हैं उन के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय । इन संस्थाओं में से कुछ ऐसी हैं जिन में एक ही व्यक्ति सब कुछ है शिक्षण संस्थाओं में कुछ ऐसी भी हैं जिन में दो-चार व्यक्तियों ने मिल कर कम्पनी के शेयरहोल्डरों की तरह से इस प्रकार की संस्था चला रखी है । मैं चाहता हूं कि आप कम से कम यह तो देखिये कि यह जो व्यापारिक स्तर पर संस्थायें चल रही हैं, उन में जो मैनेजिंग कमेटियां हैं वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं । दूसरी चीज यह कि यह जो संस्थायें हैं उन का हिसाब किताब जो होता है वह विधिवत होता है या नहीं और उस के सम्बन्ध में क्या कोई चेकिंग होती है । तीसरी चीज यह है कि जहां कई कई शिफ्टें चलती हैं उन के अन्दर यह होता है कि जो थर्ड क्लास अध्यापक हैं, जिन को कहीं पर चांस नहीं मिल पाता है, वह दो चार मिल कर अपना स्कूल खोल लेते हैं । परिणाम यह होता है कि वहां शिक्षा का स्तर इतना नीचा होता है

कि जो स्वतंत्र भारत के लोकतंत्रात्मक ढंग के सर्वथा विपरीत हैं। कहीं फीस ज्यादा है तो कहीं कई कई शिफ्टों द्वारा वे उस की पूर्ति कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या पर स्वतंत्र भारत में विचार किया जाना आवश्यक है।

इस के बाद देखिये कि विद्यार्थी एसी शिक्षण संस्थाओं में कैसे जाते हैं। मैं आप के सामने दिल्ली की स्थिति रखना चाहता हूं। जहां दिल्ली में हायर सेकेन्डरी परीक्षा पास करने में एक विद्यार्थी को ११ वर्ष लगते हैं वहां अगर कोई पंजाब का मैट्रिक पास करना चाहे और इस प्रकार की प्राइवेट संस्था में चला जाय तो ८ वर्ष में ही पास हो सकता है। तीन वर्ष बच गये। स्वभावत: आदमी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ने के पश्चात् ज्ञान का स्तर कैसा होगा ? पंजाब यूनिवर्सिटी ने कायदा बनाया है कि पंजाब के बाहर का कोई विद्यार्थी उन की परीक्षा में नहीं बैठ सकता। परिणाम यह होता है कि वर्ष भर विद्यार्थी दिल्ली में पढ़ते हैं और वर्ष भर पढ़ने के बाद परीक्षा देने के लिये प्राय: रोहतक और गुड़गांव पहुंचते हैं। वहां कहते हैं कि वे वहीं के रहने वाले हैं और इस प्रकार वहां परीक्षा में बैठ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो स्कूल हैं उन की पढ़ाई का स्तर बहुत खराब है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि सभी स्कूल खराब हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हों जिन की पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, लेकिन अधिकांश इस प्रकार के स्कूल हैं जिन की पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है। होता यह है कि वर्ष के अन्त में जो अनुमानित प्रश्न पत्र होते हैं, उन के द्वारा तैयारियां कराई जाती हैं, या नोट्स दिये जाते हैं। इस प्रकार के पढ़े हुए विद्यार्थी जिस समय सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो उन की योग्यता कितनी होगी, इस का आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या वे समाज के लिये गौरव का कारण बन सकेंगे ? इस लिये यह आवश्यक है कि हम इस पर विचार करें। मैं चाहता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूं, और सुझाव मैं ही नहीं देना चाहता, बल्कि आप का जो सेकेन्डरी एजुकेशन कमिशन है उस ने जो सुझाव दिया है, उन में लिखा है : वैयक्तिक तथा स्वामित्व वाले प्रबन्धों को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। उनकी भी अपनी यही राय है कि इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जितनी भी इस प्रकार की प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उन में से अधिकांश इस प्रकार की हैं जो कि शिक्षा क्षेत्र के लिए लांछन हैं। ये संस्थाएं इसी कारण चल रही हैं कि सरकार इतने स्कूल नहीं खोल पायी है कि उनमें सब बच्चों को स्थान दिया जा सके। तो एक तो शिक्षा मंत्रालय को यह प्रयास करना चाहिए कि स्कूलों की संख्या हमारे पास इतनी अधिक हो कि बच्चों को निराश हो कर इस प्रकार की संस्थाओं में जाने के लिए विवश न होना पड़े।

दूसरी सब से बड़ी चीज इन संस्थाओं के विषय में यह कहनी है कि वहां बड़ी बड़ी फीसें ली जाती हैं। इस फीस के अतिरिक्त भी और अनेक रूप से पैसा लिया जाता जैसे २६ जनवरी का चन्दा, १५ अगस्त का चन्दा, अमुक दिन का चन्दा, अमुक दिन का चन्दा, या स्कूल के लिए माता पिता से कुछ दान देने को कहा जाता है। इस प्रकार से ये संस्थाए बड़ी राशि एकत्र कर लेती हैं लेकिन उसका सदुपयोग होता है या नहीं इसके सम्बन्ध में जानकारी अवश्य होनी चाहिए और इसका एक प्रकार हो सकता है। अगर संविधान ने हमारे हाथ में यह अधिकार नहीं दिया है कि हम इस प्रकार की संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकें, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि इन संस्थाओं के संचालकों को एकत्र करें, और उनसे कहें कि वे स्वयं अपनी एक कमेटी बनावें जो कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने पर ध्यान दे और इन संस्थाओं के हिसाब-किताब का निरीक्षण करें। अभी तो यह हो रहा है कि एक आदमी स्कूल खोल कर बै

जाता है और रजिस्टर के अन्दर बिल वगैरह लगा कर उसको ठीक कर देता है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की संस्थाओं के हिसाब किताब पर किसी न किसी प्रकार का चैकिंग अवश्य होना चाहिए ।

दूसरी चीज यह है कि इस प्रकार की शिक्षण सस्थाओं के बारे में कोई नीति निर्धारण की कार्वाई अवश्य होनी चाहिए । आखिरकार ये भी तो हमारे देश के अंग हैं और जसा कि मैं ने कहा ७१७५ ऐसी सस्थाए ल कों के लिए और ८१९ ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं लड़कियों की शिक्षा का काम कर रही हैं । इनमें जो विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या भी हजारों में होगी । तो देश की स भावी पीढ़ी को जो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर रही है यह कह कर उपेक्षित कर देना शोभा की बात नहीं है कि संविधान हमारे इस विषय में हाथ बांधे हुए है ।

मैं चाहता हूं कि स प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिसके अनुसार जो ये शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं और जो कि शिक्षा क्षेत्र के लिए लांछन हैं और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पद्धति के लिए लांछन हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का निरीक्षण होना चाहिए जिससे कि ये संस्थाएं हमारे देश की गौरव वृद्धि में सहायक हों । यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : श्रीमान्, शास्त्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

१. क्या स सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से और संघ शासित प्रदेशों से आवश्यक परामर्श किया है और यदि परामर्श किया है तो उन्होंने क्या सम्मति दी है ।

२. यद्यपि जो ८००० विद्यालयों की संख्या बतायी गयी है उनमें से अधिकांश की स्थिति इस प्रकार की हो सकती है जैसी कि बतायी गयी है, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे प्राइवेट विद्यालयों का भी मुझे पता है जिन्होंने इस सम्बन्ध में काफी प्रशंसनीय सेवा की है, खासकर श्रमजीवी लोगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करके, जिनके लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं था । अतः क्या ऐसी संस्थाओं के बारे में आंकड़े एकत्र किये ग ै हैं और क्या कम से कम उनको कोई सहायता देने पर विचार किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मुझे खेद है कि मैं श्री प्रकाशवीर के इन शब्दों का "शिक्षा का व्यापार" से क्या आभिप्राय है, नहीं समझ सका हूं । उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख किया है जो अधिक शुल्क लेती हैं । उनका कहना है कि पब्लिक स्कूल जैसी संस्थाओं का जो बहुत अधिक फीस लेती है समाजवादी समाज में कोई स्थान नहीं होगा । वास्तव में मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि 'व्यापार' शब्द से उनका क्या अभिप्राय है ।

पब्लिक स्कूल तथा कुछ स्वतंत्र स्कूल जो कि बहुत अधिक फीस लेते हैं उनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती । ये सस्थाएं उन लोगों की मांग पूरी करते हैं जो अपने बच्चों को उच्च प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं । लेकिन यह बात भी सच है कि वे अच्छी प्रकार की शिक्षा देती हैं जिनकी आज काफ़ी मांग है । यह बात भी ठीक है इन सस्थाओं में बच्चों के नाम उनकी पैदाइश के बाद ही दर्ज हो जाते हैं । अतः ऐसी सस्थाओं की आज बहुत आवश्यकता है और उनकी मांग भी बहुत हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि हम इन संस्थाओं को सहायता नहीं दे सकते । जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें अधिक फीस भी देनी चाहिये । चूंकि ये संस्थायें उल्लेखनीय सेवाएं करती हैं अतः इनको हतोत्साहित करना भी ठीक नहीं होगा । क्योंकि ये समाज की वास्तविक आवश्यकता की भी पूर्ति करती हैं । हम इन संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर पढ़ने के लिये भेजते हैं और उन्हें जनताभिमुख बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार निर्धन विद्यार्थी भी इस प्रकार की शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं । वस्तुतः हम इस प्रकार की छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने जा रहे हैं ताकि ऐसी अधिक संस्थाएं खुल सकें ।

उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख किया है जो संघ राज्य क्षेत्रों में है और अपने धन को अन्य प्रयोजनों में व्यय कर रही हैं । मैंने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है और जहां तक मेरी जानकारी है ये निजी संस्थाएं बड़ी कठिनाई में कार्य कर रही हैं । प्रायः इन संस्थाओं को दान मिलना भी अब मुश्किल हो गया है । एक समय था जब लोग इन संस्थाओं को दान दिया करते थे । दिल्ली का ही उदाहरण लीजिये हमें इन संस्थाओं के लिये दी जाने वाली सहायता में ९० से ९५ प्रतिशत तक की वृद्धि करनी पड़ी है । स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को चलाना भी कठिन हो गया है ।

सरकार की इच्छा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये । यदि लोग शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लें तो ये संस्थाएं और भी अच्छे ढंग से कार्य कर सकती हैं । हो सकता है कि कुछ बुरी संस्थाएं भी हों और वे अपने लेखे आदि ठीक न रखतीं हों और हो सकता है कि वे कभी कभी अपने धन का दुरुपयोग भी करती हों । लेकन जैसे ही सरकार की जानकारी में ये बातें आती हैं तो सरकार उन पर सदा कड़ी कार्यवाही करती है । उनकी सहायता बंद कर दी जाती है । तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियां भी की जाती हैं । लेकिन फिर भी ये संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं और हम इनको हतोत्साहित करना नहीं चाहते । दिल्ली में जब ऐसी संस्थाओं के बारे में हमें सूचना मिली कि वे बोगस हैं तथा झूठे सर्टीफिकेट देते हैं तो हमने उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की । लोगों को, जो ऐसी गड़बड़ करते हैं गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ जांच की गई । हम इतना ही कर सकते थे । और हमने वही किया । अगर देश में एक दो संस्थाओं में आपको खराबी मिली है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम देश की इस प्रकार की सभी संस्थाओं की निंदा करें । मेरे विचार से ऐसा करना ठीक भी नहीं है । मेरा अपना विचार तो यह है कि इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कलकत्ता की कुछ संस्थाओं का उल्लेख भी किया जिनमें केवल एक कमरा और एक अध्यापक हैं । उन्होंने कहा कि उन संस्थाओं का प्रबन्ध ठीक नहीं है और उनमें शोषण होता है । इस समय राज्य सरकारों पर शिक्षा के प्रसार का भार इतना अधिक है कि उनके द्वारा किए जा रहे भरसक प्रयत्नों के बावजूद अधिक स्कूलों और अच्छे किस्म के स्कूलों की आवश्यकता बनी ही रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः उन्होंने इस प्रकार के उदाहरण पेश किए थे जिनमें प्रबन्धक को स्कूल समस्त अंशदान से भी अधिक वेतन दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्होंने केरल का उदाहरण दिया था और मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूं। उन्होंने केरल के संबंध में यह कहा था कि वहां कुछ मिशनरी स्कूल अपने कोषों का धार्मिक प्रयोजनों के लिए व्ययवर्तन कर रहे हैं। कभी कभी प्रबन्धकों को अधिक वेतन का भुगतान भी किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न वेतन का नहीं है। कुछ मामलों में प्रबन्धकों का स्कूल को अंशदान मैनेजर के वेतन से भी कम है। इस प्रकार स्कूलों को व्यवसायिक बना लिया गया है। कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों से फीस के अतिरिक्त भी किसी न किसी बहाने कुछ रुपया वसूल किया जाता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैं ने अभी बताया जब कभी भी इस प्रकार के मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं तो सरकार कार्यवाही करती है जैसा कि केरल के मामले में किया गया था। लोग इतना ही कर सकते हैं कि ऐसे मामले सरकार की जानकारी में ला दें। फिर जहां तक सरकारी स्कूलों और सरकार की सहायता पाने वाले स्कूलों का संबंध है उनका नियंत्रण सरकार के सहायतार्थ अनुदानों संबंधी नियमों द्वारा होता है। फीसें भी कुछ नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित हैं, उनके हिसाब का नियमित लेखा परीक्षण भी किया जाता है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हजारों में कुछ थोड़े से स्कूल हो सकते हैं जिनको सरकार की सहायता न मिलती हो तथा जो पूर्णतः स्वतंत्र हों परन्तु अधिकांश सस्थायें अच्छा कार्य कर रही हैं। कोई एकाध संस्था ऐसी हो सकती है जो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही हो और कुछ लाभ कमा रही हो। यह सम्भव संभव है। परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि शिक्षा में बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बैठ जायें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह एक नीति संबंधी प्रश्न है कि क्या सरकार इन चीज़ों को ठीक समझती है? उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक इंजीनियरिंग कालेज खोलता है और प्रवेश के लिए ५००० रुपए या ६००० रुपए चन्दे के रूप में मांगता है। क्या सरकार इसे ठीक समझती है? ऐसी संस्थाओं को सरकारी सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का व्यापार है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि वे बहुत अधिक फीसें अनिवार्य चन्दे और प्रति व्यक्ति फीस वसूल कर रहे हैं तो वह गलत होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार इस प्रकार की संस्थाओं को संचालन की अनुमति नहीं देती है। जब श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने मुझे इसके बारे में बताया था तो मैंने उनसे ठोस उदाहरण पेश करने का अनुरोध किया था। आपको याद होगा कि जब यह मामला सभा में लाया गया था तब भी मैं ने उनसे ठोस उदाहरण पेश करने की प्रार्थना की थी ताकि मैं जांच करके निश्चित उत्तर दे सकूं। परन्तु उन्होंने कोई उदाहरण नहीं पेश किया। वह अभी भी उदाहरण पेश कर सकते हैं ताकि मैं जांच कर सकूं। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार की एक भी संस्था नहीं हो सकती है। अतः सरकार को अधिक सर्तक रहना चाहिए और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जब कभी ऐसे मामले उसकी जानकारी में आयें तो कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो यह निवेदन किया था कि बहुत से स्कूल इस प्रकार के हैं, जो कि मिशनरियों के द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिन में मैनेजर को इतनी तन्ख्वाह दी जाती है कि जितना स्कूल का वर्ष भर का व्यय नहीं होता है, वह मैं ने किसी आधार पर कहा था । सैकंडरी एडूकेशन री-आर्गनाइज़ेशन कमेटी, उत्तर प्रदेश, की १९५३ की रिपोर्ट के पेज ६१, ६२ और ६५, ६६ पर यह कहा गया है । यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो मैं माननीय मंत्री के सामने रख रहा हूं । इस के अतिरिक्त वह और क्या इन्स्टेंस चाहते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने कहा कि मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार के कोई भी मामले नहीं होंगे । हो सकता है कि कुछ संस्थाओं में कुछ बुरी बातें चल रही हों । परन्तु क्या सरकार के लिए इन समस्त सस्थाओं को बन्द कर देना ठीक होगा । हां, सरकार को अधिक ठोस कदम अवश्य उठाने चाहिए । इन बुराइयों को रोकने का एकमात्र उपाय केवल यह है कि हम अपनी शिक्षा संस्थाओं का सुधार करें । बच्चों की शिक्षा के निर्णयक उनके माता पिता होते हैं । मुझे विश्वास है कि यदि वे यह देखेंगे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है तो बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा संस्थाओं में नहीं भेजेंगे । जब कभी भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है तो वे उसे सरकार की जानकारी में लाते हैं । कुछ समय पहले दिल्ली में भी एक स्कूल ने बहुत अधिक फीस वसूल की थी और माता पिता मेरे पास आए थे । हमने शिक्षा संचालक को लिखा और तुरन्त जांच की गई । मैंने वे फीसें माता पिता को वापस दिलाने का प्रयत्न किया । ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिनमें मैंने माता पिता को फीसें वापस दिलाई हैं । हम इतना ही कर सकते हैं । हम में से कोई भी व्यक्ति सर्वथा पूर्ण नहीं है । अतः केवल इतना देखना चाहिए कि इस समय जो शिक्षा व्यवस्था है वह सन्तोषजनक है अथवा नहीं ।

जो सरकारी स्कूल हैं वे पूर्णतया सरकारी नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं । उन संस्थाओं में व्यवसाय का कोई प्रश्न ही नहीं है । उन संस्थाओं में भी व्यवसाय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जिनको सरकार सहायता देती है क्योंकि वे भी सरकारी नियमों द्वारा अनुशासित होते हैं । हमारे सहायतार्थ अनुदान के लिए निश्चित नियम हैं और हिसाब का उचित लेखापरीक्षण किया जाता है । जब कभी कोई अनियमितता होती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है ।

फिर कुछ स्वतंत्र स्कूल हैं । यह ठीक है कि वे अधिक फीस लेते हैं परन्तु उन्हें वाणिज्यिक स्कूल कहना गलत होगा क्योंकि वे लाभ के लिए नहीं चलाए जा रहे हैं । वे अधिक फीस अवश्य लेते हैं परन्तु उनके अध्यापक भी अधिक अच्छे होते हैं । वे अधिक अच्छी शिक्षा देते हैं । उनकी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी अधिक अच्छी होती है । इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं को भी वाणिज्यिक कहना गलत होगा ।

मैं समझता हूं कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संकेत उन संस्थाओं से था जो लोगों को धोका देती हैं और अधिक फीसें वसूल करती हैं । कभी कभी वे नाम भी गलत दे देती हैं । जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जो अपने को विश्वविद्यालय कहती हैं । विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी संस्था अपने को तब तक विश्वविद्यालय नहीं कह सकती है जब तक कि उसके पास चार्टर न हो अथवा उसे संसद् या राज्य विधान मण्डल द्वारा प्राधिकार न दिया गया हो । वास्तव में हम कार्यवाही कर सकते हैं और दिल्ली में इस प्रकार की कई संस्थाओं के विरुद्ध कायवाही की भी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार मेरे विचार से ऐसे पर्याप्त परित्राण हैं जिनके अन्तर्गत हम इस प्रकार के व्यवसाय को रोक सकते हैं जिसका संकेत श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने किया है । यदि वे कोई उदाहरण पेश करें तो मुझे उनके बारे में जांच कराने में बड़ी खुशी होगी । मैं समझता हूं कि माता पिता अपने हित समझते हैं । सामान्यतः वे किसी संस्था द्वारा ठगा जाना पसन्द नहीं करेंगे । जब भी कोई अनुचित बात होगी तो वे सरकार से शिकायत करेंगे और सरकार ऐसे मामलों में अवश्य जांच करती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की शिकायतें कोई नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से उनके बच्चों की शिक्षा के नष्ट होने का डर रहेगा । कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का जीवन खराब हो अतः अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इस प्रकार की शिकायतें करने में हिचक करेगा । यह वैसी ही बात है जैसी कि डाक्टर के सम्बन्ध में होती है । प्रत्येक व्यक्ति डाक्टर को कुछ देकर अपना कार्य करा लेना ही अधिक पसन्द करता है और झगड़ा नहीं करना चाहता । ये बातें हम सभी जानते हैं । अतः मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से यह कहूंगा कि वह गुप्त रूप से इन बातों की सूचना दे दें । शिक्षा के प्रसार का का तात्पर्य यह नहीं है कि इस प्रकार की वाणिज्यिक संस्थाओं को चलने दिया जाये ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : फीस अधिक लेने के अतिरिक्त केरल में कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिनके प्रबन्धक अध्यापक बनने के इच्छुक विद्यार्थियों से पैसा मांगते हैं क्योंकि नियुक्ति वही लोग करते हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो उनमें क्या किया जाना चाहिये ? इसीलिये मैंने श्री प्रकाशवीर शास्त्री से प्रार्थना की है कि वह ठोस उदाहरण पेश करें ताकि हम उन मामलों में कार्यवाही कर सकें । इसके अतिरिक्त हम अन्य कुछ नहीं कर सकते हैं । जहां तक हमारी सामान्य नीति का सम्बन्ध है, वह शिक्षा में गैरसरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने की है । कुछ संस्थायें बुरी हो सकती हैं परन्तु उसके आधार पर हम अच्छी संस्थाओं को हतोत्साहित नहीं कर सकते । जब कभी भी ऐसे मामले हमारी जानकारी में आते हैं तो हम कड़ी कार्यवाही करते हैं । मैं बाहर से देखने में कैसा भी लगूं परन्तु जब कोई बुरी बात होती है तो हम उसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्यवाही करते हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में ऐसी गैरसरकारी संस्थायें हैं जो बहुत अधिक फीसें लेती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे सब मामले माननीय मंत्री की जानकारी में लाए जा सकते हैं । कुछ संस्थायें उनके ही क्षेत्राधिकार में हैं तथा अन्य के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार से कह सकते हैं ।

अब सभा स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ६ अप्रैल, १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१
१५ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	४३४१—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३१६	आसाम को कोयले का संभरण .	४३४१–४२
१३१७	छात्रों का राजनैतिक प्रदर्शनों में भाग लेना	४३४३—४८
१३१८	आसाम में प्राकृतिक गैस का उपयोग	४३४८—५०
१३१९	खेलकूद जांच समिति की रिपोर्ट .	४३५०—५२
१३२०	बैंक निक्षेप बीमा योजना .	४३५२—५४
१३२१	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के वेतन क्रम	४३५४—५६
१३२२	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	४३५६—६०
१३२३	नागार्जुनकोंडा में पुरातत्वीय खुदाई . . .	४३६०—६२
१३२४	अंडमान द्वीप के पास मछलियां पकड़ने की विदेशी नावों का पकड़ा जाना .	४३६२—६४
१३५३	दिल्ली को 'क' श्रेणी में रखना	४३६४—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	४३६६—४४१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२५	सीसा-जस्ता अयस्क	४३६६
१३२६	पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान क्लब .	४३६७
१३२७	विधान मण्डलों के लिये अध्यापकों का चुनाव .	४३६७
१३२८	भिलाई के निकट तापसह ईंटों का संयंत्र . . .	४३६७–६८
१३२९	पैराशूट कारखाना, कानपुर	४३६८
१३३०	भारतीय अशोधित तेल . . .	४३६८
१३३१	पुनर्वित्त निगम . . .	४३६९
१३३२	मद्रास राज्य का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	४३६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३३३	पदाधिकारियों का आरक्षित बल	४३६९
१३३४	हिन्दी विश्व कोष . .	४३७०
१३३५	द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश और रुक्मिणी देवी का मन्दिर	४३७०–७१
१३३६	कोयला परिषद् . .	४३७१–७२
१३३७	१० टन भार वाले ट्रकों का निर्माण	४३७२
१३३८	रुद्रसागर में तेल के कुएं	४३७२
१३३९	उड़ीसा में खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण	४३७२–७३
१३४०	उत्तरी कामरूप में कोयला . . .	४३७३
१३४१	द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों की परीक्षायें	४३७३
१३४२	उड़ीसा का आय-व्ययक .	४३७३–७४
१३४३	तेल कम्पनियों के साथ मूल्य सम्बन्धी करार	४३७४
१३४४	छावनी अधिनियम	४३७४–७५
१३४५	सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखाने	४३७५
१३४६	तेल की खोज के लिये विदेशी सहायता	४३७५–७६
१३४७	राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति	४३७६
१३४८	लोहे और इस्पात की बिक्री पर लाभ .	४३७६
१३४९	७०० लिटर 'बकट व्हील एक्सकेवेटर' .	४३७६–७७
१३५०	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन .	४३७७
१३५१	रूस से भट्टी के तेल की खरीद . . .	४३७७
१३५२	जन्तर मन्तर, नई दिल्ली .	४३७८
१३५४	खम्भात प्रदेश में तेलशोधक कारखाना . .	४३७८–७९
१३५५	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल (महिला डिवीजन) . .	४३७९
१३५६	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड . .	४३७९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२७६८	विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब	४३७९–८०
२७६९	तांबा की खानें	४३८०—८२
२७७०	महाराष्ट्र को कोयले का संभरण . . .	४३८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२७७१	सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन .	४३८२
२७७२	इस्पात का आयात .	४३८३
२७७३	मध्य प्रदेश को इस्पात का आवंटन	४३८३
२७७४	मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन	४३८४–८५
२७७५	विदेशों से ऋण . .	४३८५–८६
२७७६	तस्कर व्यापार निरोधक दल के कर्मचारी .	४३८६
२७७७	दिल्ली में गुम हुए व्यक्तियों सम्बन्धी दल	४३८६–८७
२७७८	दिल्ली में फौजदारी के मामले .	४३८७
२७७९	दिल्ली के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	४३८७
२७८०	दिल्ली पुलिस . .	४३८८
२७८१	आगामी सामान्य निर्वाचन की व्यवस्था .	४३८८–८९
२७८२	दिल्ली में लोक सभा के मतदाता . . .	४३८९
२७८३	दिल्ली प्रशासन .	४३८९–९१
२७८४	उद्योगों के लिये भूतपूर्व सैनिक	४३९१
२७८५	पंजाब में जूनियर टेक्निकल स्कूल .	४३९१–९२
२७८६	आयुध फैक्टरियों में मोटर साइकिलों का निर्माण . .	४३९२
२७८७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां . .	४३९२
२७८८	राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां	४३९२–९३
२७८९	दिल्ली नगर निगम . .	४३९३
२७९०	'वंडर वर्ल्ड आफ साइंस' का प्रकाशन	४३९३
२७९१	पंजाब में केन्द्रीय करों की वसूली . .	४३९३
२७९२	खेतड़ी दरीबो तांबे की खानें .	४३९३–९४
२७९३	हरिजन कल्याण	४३९४
२७९४	हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का प्रशिक्षण .	४३९४–९५
२७९५	जीवन बीमा कम्पनियों को मुआवजा . . .	४३९५–९७
२७९६	पंजाब के शिक्षा सम्बन्धी दौरों के लिये अनुदान . .	४३९७
२७९७	पंजाब में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का अध्ययन .	४३९७
२७९८	खनन उद्योग में प्रयोग किये जाने वाला नया उपकरण . .	४३९७–९८
२७९९	ललित कला अकादमी	४३९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर(क्रमश :)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८००	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम . . .	४३९८
२८०१	नये पैसे को नया नाम दिया जाना . .	४३९८–९९
२८०२	अंधे तथा गूंगे विद्यार्थियों को सहायता . . .	४३९९
२८०३	राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन सम्बन्धी फिल्म	४३९९
२८०४	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन	४३९९–४४००
२८०५	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला . . .	४४००–०१
२८०६	वन सर्वेक्षण नक्शे . . .	४४०१
२८०७	मद्रास राज्य का भूतत्वीय सर्वेक्षण	४४०१
२८०८	दिल्ली नगर निगम के लिये इमारत	४४०१–०२
२८०९	बैंक . . .	४४०२
२८१०	आर्मी वर्कशाप दिल्ली . . .	४४०२
२८११	पश्चिम बंगाल के द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति .	४४०३
२८१२	केन्द्रीय शिक्षण संस्था में प्रार्थना . .	४४०३
२८१३	उत्तर प्रदेश में तेल के लिये छिद्रण . . .	४४०३
२८१४	रद्दी लोहा सम्बन्धी समिति	४४०४
२८१५	सैलम जिले में रसिपुरक का भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	४४०४
२८१६	भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें . . .	४४०५
२८१७	आदिम जातीय भूमियों के लिये कृषि सम्बन्धी ऋण .	४४०५
२८१८	त्रिपुरा में आग लगाया जाना . . .	४४०५
२८१९	त्रिपुरा के विद्यार्थियों को पुस्तक-अनुदान . . .	४४०६
२८२०	'चेला बासव नायक' . . .	४४०६
२८२१	अभियोग चलाने पर केन्द्रीय सरकार का व्यय .	४४०६
२८२२	उड़ीसा में सरकारी गेस्ट हाउस .	४४०७
२८२३	चाय उद्योग के लिये कोयला . . .	४४०७
२८२४	स्वामित्व के आधार पर खमिज लाइसेंस .	४४०७–०८
२८२५	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर . . .	४४०८
२८२६	सरायकेला और खरासवान में जनगणना . .	४४०८
२८२७	विमान बल प्रतिष्ठानों में असनिक कर्मचारी . .	४४०८–०९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२८२८	खमारिया में आयुध फैक्टरी अस्पताल . . .	४४०९
२८२९	पश्चिम बंगाल में चीनी राष्ट्रजन .	४४०९–१०
२८३०	उड़ीसा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा .	४४१०
२८३१	उड़ीसा में लड़कियों के लिये स्कूल छात्रावास	४४१०–११
२८३२	कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता	४४११–१२
२८३३	भारत में कोयले की समस्यायें	४४१२
२८३४	उड़ीसा में बकाया बिक्री कर .	४४१२–१३
२८३५	बकाया आय कर . . .	४४१३
२८३६	एच० टी० २ हवाई जहाज . . .	४४१३
२८३७	उड़ीसा में बाढ़ पीड़ित राजनैतिक व्यक्ति . .	४४१३–१४
२८३८	दिल्ली में हायर सैकेंडरी स्कूल .	४४१४
२८३९	दिल्ली छावनी में बिजली की दर . . .	४४१४
२८४०	दिल्ली छावनी में जमीन के भीतर नालियां .	४४१५
२८४१	दिल्ली छावनी में बिजली की कमी	४४१५
२८४२	छावनी बजट	४४१५–१६
२८४३	कोयले का कोटा . .	४४१६
२८४४	मद्रास राज्य में तांबा, सीसा और जस्त	४४१६–१७
२८४५	भारत के रिजर्व बैंक मे भर्ती .	४४१७
२८४६	राष्ट्रपति वनस्पति उद्यान, लखनऊ	४४१७
२८४७	त्रिपुरा में पिछड़े वर्ग . .	४४१७–१८
२८४८	त्रिपुरा में रुपया उधार देना .	४४१८
२८४९	उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक . .	४४१८
२८५०	जोकोल (मनीपुर) में वनस्पति उद्यान .	४४१८–१९
२८५१	इस्पात कारखानों में श्रीलंका के इंजीनियरों का प्रशिक्षण .	४४१९
२८५२	उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम .	४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४४२०

भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को राशनकार्ड न दिये जाने के श्रीलंका सरकार के कथित निर्णय से पैदा होने वाली स्थिति की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीयलोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (क्रमशः)

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२१-२२

(१) कोयला बोर्ड के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद२१३(२) (क) के अन्तर्गत उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा १० फरवरी, १९६१ की प्रख्यापित उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश १९६१ (१९६१ का उड़ीसा अध्यादेश संख्या २) की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति : —

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य के बारे में सरकार की समीक्षा ।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ३५५ ।

(दो) दिनांक १८ मार्च, १९६१ का जी० एस०आर० संख्या ३५६ ।

(तीन) दिनांक २५ मार्च १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ४०२ ।

(चार) दिनांक २५ मार्च, १९६१ का जी० एस० आर० संख्या ४०३ ।

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०० की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४४२२

एक सौ तेइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४४२२-२३

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने गेहूं तथा गेहूं की चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के प्रश्न के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४२३—७०

(१) पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हो गयी। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

(२) परिवहन और संचार मंत्रालय की अनुदानो की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ५४७०—७७

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग से चलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के १० मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

गुरुवार, ६ अप्रैल, १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि

परिवहन और संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान।

GMGIPND—LSIII——315(Ai)LSD—24-5-61—125